



**vedanta
foundation**

A Not –For- Profit Initiative



VEDANTA JOURNAL OF RESEARCH & MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Volume-1 ; April 2023

Vedanta PG Girls' College

(Affiliated to P.D.U. Shekhawati University, Sikar) NAAC Accredited

Reengus (Sikar) Rajasthan

| VEDANTA JOURNAL OF RESEARCH & MULTIDISCIPLINARY STUDIES | | |
|---|---|-------------------------|
| EDITORIAL BOARD | | |
| S.NO | MEMBERS | DESIGNATION |
| 1 | Dr Prashant Madan, MentorPrincipal, Vedanta PG Girls College, Ringus | Patron |
| 2 | Dr Unmesh Mandloi, Principal, Sri Aurobindo Inst of Management &Science, Indore | Review Editor |
| 3 | Dr Rita Sharma, Asso.Prof History, Maheshwari GirlsPG College, Jaipur | Review Editor |
| 3 | Dr Budesh kanwar Professor-CSE, Poornima Engg College, Jaipur | Technical Editor |
| 4 | Dr Pankaj Gupta, Professor & Dean-Academics,FMS-IRM, Jaipur | Member- Editorial Board |
| 5 | Dr Mudit Gupta, Principal, LBS PG College, Jaipur | Member- Editorial Board |
| 6 | Dr Kirti Singh, Principal, Vedanta College, Kolkata | Member- Editorial Board |
| 7 | Dr Sangita Kohli, Principal , Vedanta College, Mumbai | Member- Editorial Board |
| 8 | Dr Richa Singhal, Asst Prof- EAFM, S.S.Jain Subodh PG College, Jaipur | Member- Editorial Board |
| 9 | Dr Neel Kamal Rajpurohit,Head-Dept of Accounting, S.S.Jain Subodh P.G College, Jaipur | Member- Editorial Board |
| 10 | Dr Ruchi Goyal, Professor & HOD, JECRC University, Jaipur | Member- Editorial Board |
| 11 | Dr Archana Sharma, Vice-Principal, Vedanta PG Girls College, Ringus | Member- Editorial Board |
| 12 | Dr Jyoti Rajawat, AsstProf-Botany, Vedanta PG Girls College, Ringus | Member- Editorial Board |
| 13 | Dr Neetu Sharma, Asst Prof-Public Adm, Vedanta PG Girls College, Ringus | Member- Editorial Board |
| 14 | Dr Nidhi Shekhawat, AsstProf-Zoology, Vedanta PG Girls College, Ringus | Member- Editorial Board |
| 15 | Dr Mahesh Paliwal, Asst Prof-Chemistry, Vedanta PG Girls College, Ringus | Member- Editorial Board |

INDEX

| S. No. | Article Topic | Submitted By | Page No. |
|--------|--|--|----------|
| 01. | The Ovicidal Efficiency Of SeedExtracts Of Trigonella Fenum- Gracium Against Trogoderma Granarium. | Dr. Nidhi Shekhawat (Asst Professor) Department of Chemistry Vedanta PG Girls College, Reengus Sikar Rajasthan, India, 332404 | 04 - 06 |
| 02. | Rise Of English Trade During TheMugal Empire (1556-1707) | Dr Rita Sharma (Asst Professor) Maheshwari Girls PG College, Jaipur | 07 - 12 |
| 03. | A Critical Study Of Feminine Sensibility: Through The Lens OfArt, Culture And Literature | Ms. Kirtika Panjwani (Asst Professor) Department Of English Vedanta PG Girls College, Reengus Sikar Rajasthan, India, 332404 | 13 - 17 |
| 04. | Physicochemical And PhytoplanktonStatus Of Jangali Pond In Ranthambhore Fort, Rajasthan, India | Dr. Jyoti Rajawat (Asst Professor) Department of Botany Vedanta PG Girls College, Reengus Sikar Rajasthan, India, 332404 | 18 - 30 |
| 05. | An Analysis Of The Significance OfThe Role Of Women Police In Preventing Domestic Violence | Dr. Archana Sharma (Vice Principal) Vedanta PG Girls College, Reengus Sikar Rajasthan, India, 332404 | 31 - 48 |
| 06. | Congo Red Dye Adsorption By French Fries-Like Ceo2: A KineticStudy | Dr. Mahesh Kumar Paliwal (Asst Professor) Department of Chemistry, Vedanta PG Girls College, Reengus Sikar Rajasthan, India, 332404 | 49 - 57 |
| 07. | A study on the role of state government in health management | Mrs. Neetu Sharma (Asst Professor) Department of Public Administration Vedanta PG Girls College, Reengus Sikar Rajasthan, India, 332404 | 58 - 60 |
| 08. | Poetry: The Healer of Society | Sanghmitra Rathore Assistant Professor Vedanta P. G. Girls' College Reengus (Raj.) | 61 - 65 |
| 09. | Depicting the sublime form of women in Marwari Society | Dr. Sushila Garhwal Assistant Professor Vedanta P. G. Girls' College Reengus (Raj.) | 66 - 69 |

The Ovicidal efficiency of seed extracts of *Trigonella fenum-gracium* against *Trogoderma granarium*.

Nidhi Shekhawat
Vedanta PG Girls' College, Reengus
nidhi14sikar@gmail.com

Abstract: These experiments were help to depict the efficacy of seed extract of *Trigonella fenum-gracium* called Fenugreek in two different solvents Acetone and petroleum ether. The percent egg mortality and percent corrected egg mortality was estimated in *Trogoderma granarium*. Each extract was applied in four different concentrations as 25%, 50%, 75% and 100% along with control using the solvent only. The solvents were allowed to be evaporated in each. Results showed that seed extract using acetone as solvent, was more effective

Introduction:

Rapid growth of population increases the demand of food products which increases pressure on production. To increase the productivity rate of crops human increases the use of hybrid crops and also the use of fertilizer and pesticides. These pesticides are not used only to save standing crop but also in the storage of our grains. Continuous use of pesticides creates adaptations in insect pest and with time also mutation in them as result new stains are developed. As these pesticides are added with our food material they bio accumulated and magnified in top consumers of food chain and produces many side effects in them. Herbivores are also severely affected by these pesticides, many grains consuming bird species are vanished due their harmful effects. Besides the use of artificial pesticides to prevent the stored food there are many plants natural ingredients that help to reduce the number of insect pest and also no harmful effects on other non- target species. These plants are not only help to regulate the insect population but also safe for our health.

Trogoderma granarium beetle which belongs to Order Coleoptera completed its life cycle in four different stages: egg, larvae, pupae and adult. The larvae are the only feeding stage which mainly feeds on our stored grain wheat. The pupae are the dormant stage to convert them into adult and lay eggs to increase their number. If the number of eggs will be controlled then further population growth will be regulated.

Trigonella foenum-graecum and known as fenugreek or 'Methi' belongs to Papilionaceae family and its seeds are generally used as food spices and medicine. This legume has antidiabetic, anticarcinogenic and antioxidant properties ⁽¹⁴⁾ and also used. In this paper we will discuss about the effects of seed extract *Trigonella foenum-graecum* on stored grain pest *Trogoderma granarium*

Material and Method:

The insect pest culture was reared at 35±2°C & 60±10% RH. The two types of seed extract were prepared by soxhlet extraction method using acetone and petroleum ether as solvents and prepared extract was used as stock solution of 100%.

The egg stage was treated by contact method. A thin layer of desired concentration of extract was prepared by uniformly spreading 1 ml of extract in petric dish, after evaporation of solvent, 20 newly laid 20 eggs were transferred in the petridish. The egg hatching was observed after 5 days.

The percent mortality and percent corrected mortality was calculated by Abotts formula (1925)⁽¹⁾.

$$\% \text{ Mortality} = \frac{\text{Mortality}}{\text{No. of insect taken}} \times 100$$

$$\% \text{ Corrected Mortality} = \frac{\% \text{ MT} - \% \text{ MC}}{100 - \% \text{ MC}}$$

Here, MC = Mortality in control; MT = Mortality in treated.

Result and Discussion:

Acetone extract exhibited 58.63 percent corrected egg mortality at 25 percent concentration, which was at par (58.92 percent corrected egg mortality) in petroleum ether extract, at the same concentration, at higher concentrations 50, 75 and 100 percent, percent corrected egg mortality was 81.02, 91.36 and 96.53 percent in acetone extract and 64.28, 82.14 and 92.85 percent in petroleum ether extract respectively. Control depicted 3.33 percent egg mortality in acetone and 6.66 percent egg mortality in petroleum ether.

. (Table 1)

| S.N. | % Dose Level | % Egg Mortality | | % Egg hatched | | % Corrected Egg Mortality | |
|------|--------------|-----------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | Acetone | Pet-ether | Acetone | Pet-ether | Acetone | Pet-ether |
| 1 | 25 | 60.00 | 61.66 | 40.00 | 38.33 | 58.63 | 58.92 |
| 2 | 50 | 81.66 | 66.66 | 18.33 | 33.33 | 81.02 | 64.28 |
| 3 | 75 | 93.33 | 83.33 | 6.66 | 16.66 | 91.36 | 82.14 |
| 4 | 100 | 96.66 | 93.33 | 3.33 | 6.66 | 96.53 | 92.85 |
| 5 | Control | 3.33 | 6.66 | 96.66 | 93.33 | - | - |

Results express that acetone extract was more effective as it can be due to ingredients are being more soluble in acetone. Similar effects were observed against *Rhizopertha dominica* with using contact method in which extracts were loaded on filter paper.⁽⁹⁾

The seed oil of *Trigonella foenum-graecum* content some specific properties as acid value mg KOH/g of 5.00, Saponification value mg KOH/g of oil 200, Ester value 192.50 Free fatty acid value (Oleic acid) /100g 2.50 and Refractive index (at 37 0C) 1.470. ⁽¹³⁾ Hence its concluded that the many plant extracts are also have potent pesticidal properties and this is the much safer way to regulate the pest population.

References:

1. Abott, WS 1925 A method of computing the effectiveness of insecticide 1 Even Ent 1 265-267.
2. Ahmed, S. M. and Ahmed, A. 1992. Efficacy of some indigenous plants as pulse pulse protectants against *Callosobruchus chinensis* L. infestation Int Pest Control 34.: 54-56.
3. Ahmad, A., Husain, A., Mujeeb, M., Khan, S.A., Najmi, A.K., Siddique, N.A., Damanhour, Z.A., Anwar, F. A(2013). Review on therapeutic potential of *Nigella sativa*: A miracle herb. Asian Pac J Trop Biomed; 3(5): 337-352.
4. Anuradha C.V;(2001) Ravikumar P. Indian J Physiol Pharmacol., 45, 408–420

5. Cheikh-Rouhou,S., Besbes,S., Lognay,G., Blecker, C., Deroanne, C., & Attia, H. Sterol(2008).composition of black cumin (*Nigella sativa* L.) and Aleppo pine (*Pinus halpensis* Mill.) seed oils. *J Food Comp Anal*; 21(2): 162-168.
6. Cw Fetrow; JR. Avila (1999) *Professional's Handbook of Complementary and Aternative Medicines*. Springhouse, PA: Springhouse Corporation
7. El-Hadiyah, T.M., Raza, M., Mohammed, O.Y., & Abdallah, A.A.(2003). Evaluation of *Nigella sativa* Seed Constituents for Their in vivo Toxicity in Mice. *Natural Product Sciences*; 9(1): 22-27
8. G.Ribes; Y Sauvaire; CD Costa; JC Baccou; MM Loubatieres-Mariani.(1986).proc soc Exp Biol Med,182, 159–166.
9. G. W. Tang, C. J. Yang & L. D. Xie (2007). Extraction of *Trigonella foenum-graecum* L. by supercritical fluid CO₂ and its contact toxicity to *Rhyzopertha dominica* (Fabricius) (Coleoptera: Bostrichidae)
10. Kaviarasan, S., Ramamurty, N., Gunasekaran. P., Varalakshmi, E.,& Anuradha, C.V.(2006) Fenugreek (*Trigonella foenum graecum*) seed extract prevents ethanol-induced toxicity and apoptosis in chang liver cells. *Alcohol & Alcoholism* ; Vol. 41, No.3, 267-273
11. Parthasarathy, V.A., Chempakam, B., & Zachariah, T.J. (2008). "Chemistry of Spices". CAB International .
12. P. Khosla,P D. D. Gupta, and R. K Nagpal(1995). *Int. J.of Pharmacol.*, 27-89
13. Sara T. Hadi , Mohammed M. Abed , Noor j. Fadhi (2018). Chemical Composition of *Trigonella foenum-graecum* Seeds and Inhibitory Activity of Their Seeds Oil Against Some Microbes. *International Journal of Life Sciences and Biotechnology*, 2018. 1(2): p. 75-83.
14. Shyamapada Mandal , Manisha Deb Mandal (2016). Fenugreek (*Trigonella foenum-graecum*) oils. Ch.47, *Essential oils in food preservation*, Page 421-429.

RISE OF ENGLISH TRADE DURING THE MUGAL EMPIRE (1556-1707)

Dr. Rita Sharma

Asst Professor

Maheshwari Girls PG College, Jaipur

Abstract

Much before the foundation of the English east India company, India had been visited by a number of English travelers like Thomas Stephens, Ralph Fitch, Newberry and Leeds. They were essentially adventurers and came with that spirit. However, in 1599, John Mildenhall came during the time of Akbar. His object was to try to negotiate with the 'Great Mughal' some kind of commercial treaty or understanding, which should be a basis for the English trade in India. He failed to secure any treaty with the king and returned unsuccessful. However, more systematic attempts to open up trade with India were made during the time of Jahangir, when Hawkins, the 'Envoy of the king of England' visited his (Jahangir) court in 1609. It is evident that none of the great Mughal Emperors had any constructive policy for encouraging or extending the commerce of India. There was no Endeavour to ensure commerce freedom from interference and the handicaps were innumerable. They incurred religious fanaticism, Zenana intervention official obstruction, fights of the kings, monopolizing this or that trade and the fixation of prices at this or that level, interference of the economic force working in the market and finally, the inclination of the Monarch to earn commercial profits for themselves.

RISE OF ENGLISH TRADE DURING THE MUGAL EMPIRE (1556-1707)

Much before the foundation of the English East India company, India had been visited by a number of English travelers like Thomas Stephens, Ralph Fitch, Newberry and Leeds. They were essentially adventurers and came with that spirit. However, in 1599, John Mildenhall came during the time of Akbar. His object was to try to negotiate with the Great Mughal' some kind of commercial treaty or understanding, which should be a basis for the English trade in India. He failed to secure any treaty with the king and returned unsuccessful. However, more systematic attempts to open up trade with India were made during the time of Jahangir, when Hawkins, the Envoy of the king of England' visited his (Jahangir) court in 1609. He came in during the third voyage of the English east India company in his ship Hector in 1608. Hawkins met the Emperor at Agra and was given every assurance, regarding trade facilities to be provided to the English. However, nothing substantial could be obtained due to Portuguese intransigence who frustrated the attempts of the English for any trade conclusion'. Therefore, the commercial position of the English was far from satisfactory during Jahangir's time. The conflict (1613) between Portuguese and English provided a suitable opportunity to the English which

considerably helped them in coming closer to the Mughal king' and thus, acquired trade concession in India. By 1614, the factors opened the trade avenues at various places like Cambay, Baroda, Bharuch and Agra. The commercial position of the English was further strengthened by coming of Thomas Roe, an ambassador designate of the king of England to India. Thomas Roe was sent by the company in 1615 for concluding a commercial treaty. He stayed at the draft treaty. Though a failure so far as the treaty was concerned, he was able to raise the prestige of his country to a considerable extent by exposing and fighting against the corrupt officials of the Mughal Empire. His embassy was a landmark in the history of Indo-British Relations. However, Indo-British commerce was more or less regular after 1614, and was making steady progress. But what Thomas Roe, did not realize was his status or position in Mughal Empire. Their (English) status and privileges were greatly dependent on the firman issued by the emperors from time to time which were also alterable and revocable as the situation demanded. There did not arise any question of making an agreement or convention on terms of equality between the Mughal State and foreign merchants. Secondly, English had nothing to offer in return. Their goods were a few and expensive of them broadcloth formed the most important item which was hardly in demand in India. Mostly, the cloth and other goods brought by the English were often given as presents to the King and nobles in order to secure trade facilities. Even their presents, as compared to the Dutch or Portuguese. Even their presents, as compared to the Dutch or Portuguese were not very attractive and even returned some times. Moreover, Indian merchants also never showed any desire to buy English goods or share English trade. Therefore, the English soon realized that their demands would never be accepted but they persistently went ahead with their schemes and insisted upon the Mughal authorities to grant them free trade in India. Thomas Roe though not successful in signing a treaty with the Mughal Monarch, tried to control the Red Sea trade by capturing Indian Vessels and other belonging to the Mughal royalty. The underlying idea was to compel the Mughal authorities to redress their old standing grievances in India.

Since English goods were never in much demand in India to produce return cargoes', he thought of establishing a branch trade' between Surat and Red Sea.

Moreover, the English were facing considerable opposition of the Dutch in south East Asia, so they thought of finding new avenues and therefore, concentrated on Indian trade.

But it soon became clear that Roe had underestimated the opposition of Surat merchants to his new venture. They (merchants) organized a general boycott of the English and stopped selling their goods, not a single Yard of calico would be sold to them. The principal merchants of Surat petitioned the prince (Khurram) not to allow the English to share that trade for if he did, they were all under and city beggared, having no other place to trade unite but the Red Sea which they were contended with.

The import of coral trade into India from "Red Sea" was again resented by the Surat merchants. As they thought, "this innovation was a gratuitous interference with their trade" and strong representations were made to the English and the Mughal Governor. The petitioners said, "they will not suffer it to be

brought into Surat by strong hand". After four day's disputes, coral was warehoused at Render pending a reference to the court.

Roe could not implement his scheme of seizing Indian vessels in red sea before August 1619 when he had already left India. Much before the implementation of his (Roe's) policy, English had been indulging in piratical activities and capturing Indian junks in red sea. The first set of drama began in November 1619. The English fleet under commander Briskly captured a cargo vessel belonging to Surat merchants going from Sindh to Persia. As a result of the act of hostility against the Mughal Empire, Hughes and Parker, two servants of the East India Company at Agra were imprisoned by the orders of Asaf Khan and Sind merchants were ordered to be given Rs. 10,200 as a compensation to the grievous losses incurred by them. After a few days' confinement, both the factors were released from the goal.

The company soon found itself in big dilemma as it knew by this time that it would not be possible for a handful of company's servants to enter into combat with the Mughal authorities. As the Mughal authorities always took a serious view of the situation, so they never took it lying down. If they were not strong on sea, they were not weak on the land. They were not slow to react to the piratical activities of the Europeans and particularly those of the English. If a ship was looted by some Englishmen, the president of the East India Company had to face the difficult situation. The president was taken into custody and asked to make up the loss. Sometimes, even the other members of the Council had to feel the wrath of the Mughal authorities. The piratical activities of the English greatly jeopardized their commercial interests and their trade suffered. Naturally, the English would not resort to piratical activities, easily and would mostly avoid it. Even rumors of piracies sent a shiver through them as they feared to be kept fast and their goods seized upon. It, therefore, appears paradoxical that Thomas Roe who was strongly opposed to the view of English indulging in piracy as they served no useful purpose, would resort to such a recourse. He had on one occasion even warned the directors that "your goods and our persons" would have to answer for the nefarious activities of sea-rovers, "there must be no trader and consequently, your trade in India is utterly lost. In January 1916, Ilalas Khan, the Captain of Jahangir' approached Roe and requested him for the safe conduct of his ship to red sea. The English ambassador sent instructions to all English merchants to refrain from molesting the vessel and its mariners. Next month, Roe assured Siraj-ud-daula that English stood by their promise to safe conduct of Indian ships to the red sea. He was aware of the fact that the Mughal authorities would not be able to resort to retaliation as the strong position of the English on seas placed a powerful weapon in their hands. If on the one hand they could harass the Mughal ships, on the other hand, they offered dam protection on payment basis. The Mughal of an applied for safe conduct of their ships two different European Nations. Captain Willoughby, a factor, obtained a royal farman from Jahangir, then at Lahore, reached Surat on September 7, 1624. By this agreement, the Mughals not only allowed the English to have an access to red sea trade but the English secured the right to convey to Mughal junks from Surat

to Mocha and back. The Mughal prestige and trade had suffered a great set-back and their monopoly of red sea was completely shattered. The English had to suffer in Agra as well, where they were kept in prison for ever five months, first in their own house and then in the common castle. It appears from a letter of Surat President that the Ahmadabad factors were in prison even in May 1622. He suggested that endeavors should be made by all possible methods including bribery to get certificates from the Governor in our favor. Therefore, the piratical acts of the English could not produce results which they were hoping as the Mughals were quite powerful on the land. They (the English) were subjected to severe punishments when caught, packed and stifled together into close and airless and unwholesome corners. The (English) therefore, could not stand any longer and their resistance collapsed. In last the factors gave their consent to come to an agreement with the Mughal Government. From the Surat merchants on condition that they should accept payment in goods on rates prescribed upon. Thus, the European and particularly English exerting pressure on the Mughals by capturing their junks did not always produce favorable results as the President and other factors had to bear the brunt at the hands of the Mughals in India. But still the Mughals could not deny them certain trade privileges due to the powerful naval positions of the English in India. The other methods besides looting the ships were adequate presents given from time to time to the Mughals. They always produced favorable results as the Mughal monarchs and the nobility had a big crease from the European goods. Jahangir demanded the presents straight from the English king James I, without showing least hesitation. However, the famine of 1630-31 had considerably effected the English trade in India and they had to close all their factories in the Deccan except Surat. The financial losses incurred by the slump were further aggravated by the attempts made by Shahjahan to monopolize the indigo trade. But the king had to dissolve the monopoly for the Europeans shoed a little desire to buy this commodity save at the prices agreed upon. Shahjahan had to remove the embargo on the indigo trade, but forbade the English ships to anchor anywhere except selected ports, and also the building of frigates in India.

The president of East India Company was kept in close confinement and was not allowed to leave the city and the English trade with Thatta or Cambay was completely banned. Their goods were also seized. Their goods were restored, but they were forbidden to carry arms. However, President Method showed his ignorance about the capturing of Indian junks and he was therefore, pardoned and a farman was issued for the furtherance of English trade in Bengal.

The year 1641 was signalized by an important change in Government of Surat. Mir Musa, the Governor of the Surat had through corrupt practice had amassed a huge wealth from the Surat mint and custom house, it was roughly 72 lakhs of mahmudis per annum. Therefore, he was summoned to Court explain matter and the emperor decided to abandon the system of farming the post and appoint salaried officials to receive the revenue and pay it into the royal treasury. His transfer was heralded by Surat merchants and equally by English merchants. Mir Musa was a typical product of his age and fairly representative of the character of Mughal district administration, especially in commercial policies, during the last

year of Shahjahan. There was a practice of farming out important posts in Mughal Empire and the payment of bribes for continuance in them.

For instance, in trade of Coral, he fixed its price in such a way as to extort higher duty and as for lead, he takes into his own hand and at what rate he pleases. This was not an isolated example as the decline in administrative standards appears to have started from 1630 onwards. The royal monopoly over certain selected items of trade created serious problems like finding transportation, quicker release of commodities through customs and securing a fair return on business venture. To make matters worse, Governors like Muiz-ul-mulk, Shaista Khan, Asaf Khan and many more had their own extensive interests which naturally took the precedence over the interests of the merchants to the detriment of general mercantile community.

In the time of Aurangzeb (1661), the English trade was shaping very well and they (the English) were doing lucrative business. There was apparently a change in the working of English factories in India, all the Bengal establishments were made subordinate to the Presidency of Madras which turned out to be important like that of Surat. The Bengal trade grew rapidly. Subordinate factories were opened in Malda in 1676 and Dacca in 1668. But, however, the English came in confrontation with the Mughal authorities in Bengal. The English had their grievances against the local agents, who took bribes under the name of rahdari, presents (Peshkash) were also taken by the Mughal officers very frequently. Moreover, the English also complained that their packages of goods in transit were opened and goods taken away. Certain Governors tried to enrich themselves by seizing goods at low prices and then selling them in the market at normal prices. This deal was termed as Sauda-i-Khas.

In western India also the English traders complained about their suffering from the vexations and illegal interference and greed of the local officers to the emperor. These instances clearly reveal that the English in spite of frequent complaints about difficulties encountered by them so far as trade was concerned, they had achieved a significant degree of economic penetration in various parts of the country in the 17th Century.

It is well known that the economic life during Aurangzeb's time, was greatly, effected due to Maratha raids and plundering. From the Factory Records, it becomes clear that even persons like Virji Vohra and many others in Surat suffered great losses in the hands of Shivaji. To make the matters worse, Aurangzeb's fanaticism and irrational trade policies and continuous wars were posed serious problems in the country. As compared to Indian merchants, the English and Dutch were given Valuable concessions by the Mughal Monarch. This preferential treatment also placed the English in a very favorable position. Piracy also did a considerable damage to Indian shipping and transferred the sovereignty of the seas to the English. A dynasty like that of Moghuls whose traditions were all the fighting and conquest of land, never learned the lesson of Sea power and the commerce was permanently at the mercy of European navies that commanded the coastal at different times.

It is evident that none of the great Mughal Emperors had any constructive policy for encouraging of extending the commerce of India. There was no Endeavour to ensure commerce freedom from interference and the handicaps were innumerable. They incurred religious fanaticism, Zenana intervention official obstruction, fights of the kings, monopolizing this or that trade and the fixation of prices at this or that level, interference of the economic force working in the market and finally, the inclination of the Monarchs to earn commercial profits for themselves.

References-

1. Alexander Rogers, Henry Beveridge, Tuzuk-i-Jahangiri, vol II, English translator, Royal Asiatic Society, London, 1914.
2. William foster(ed.), The English Factories in India,1618-21, vi, Introduction.,
3. Phanindranath Chakrabarty, Anglo-Mughal commercial Relations,1583-1717, O.P.S publishers pvt. Ltd., Calcutta, 1983, pp. 65-94.
4. William foster (ed.), Letters received by the East India company from its servants in the East, vol V, Sampson low Marston co. , London, 1896-1901.pp. 206-207.
5. B.P.Saxena, Shahjahan of Delhi , central Book Depot, Allahabad,1973 p.306.
6. B.G. Gokhale, “Muiss-ul-mulk, Governor of Surat”, Journal of the Indian History, vol. XIV, April,1966, p.65.
7. William Foster (ed.) The English Factories in India 1651-54, pp. 1-11, Introduction.
8. William Foster (ed.) The English Factories in India 1668-69, Introduction, Charles Fawcett, The English Factories in India, New series, pp.311-315.

A Critical Study Of Feminine Sensibility: Through The Lens Of Art, Culture And Literature

Kirtika Panjwani

Assistant Professor, Department Of English
Vedanta PG Girls College, Ringus Rajasthan, India

Abstract

This article explores the issue of feminine sensibility being ignored in various aspects of society, including art, literature, and culture. Despite progress in gender equality, traditional notions of masculinity continue to dominate and overshadow feminine perspectives, resulting in the marginalisation and undervaluation of women's experiences and voices. Drawing on interdisciplinary insights from feminist theory, cultural studies, and psychology, this article examines how gendered biases operate in different contexts and affect our perceptions and judgments of what is considered valuable, credible, and meaningful. By highlighting the importance of recognizing and embracing feminine sensibility, this seeks to foster a more inclusive and diverse understanding of human experience and creativity.

Issue of feminine sensibility being ignored in various fields and contexts, despite its importance and relevance. Drawing from feminist theory and literature, the article explores the cultural and societal factors that contribute to this disregard for feminine ways of knowing, feeling, and perceiving. The article here argues that this exclusion of feminine sensibility has negative consequences for women's empowerment, creativity, and well-being, as well as for the broader society's capacity for empathy and social justice.

Keywords: Feminism, Feminine sensibility, Literature, Gender, Biased

Introduction :

Essentially, feminist literature covers a wide range of written expression, but what they all have in common is a variety of literature focusing majorly on female experience, how it changes, expands and evolves, therefore the need for sensibility arises. Feminine sensibility is a branch of feministic approach. Feminism is a collection of competing and often opposing social theories, political movements and moral philosophies. It is largely concerning the experiences of women with an ideology of reflecting the ability to feel or perceive."We sensible often resist intrusive love and its chaos practically, employing measures to prevent the former for fear of the latter. But for all our wit and work, that desperation for control also prevents the pure and transcendental freedom more often delivered by both."

Feminism and Women's Liberation movement greatly supported the reformation of women. The Women's Liberation Movement is the social fight which aims at eliminating forms of tyranny based on gender and as well gaining for women equal economic and social status, rights to settle in their own lives as are enjoyed by men.

Literary View

Literature is a depiction of life as outlined in written. There is a close relationship between literature and life, because the social function of literature involves the people. Literature is a domain where feminine sensibility can be acknowledged and valued through the representation of women's experiences and perspectives. For literary works are human personal expressions in the form of experiences, thoughts, feelings, ideas, enthusiasm, beliefs in a form of life description, which can be

described in writing. Jakop Sumardjo in his book entitled "Literature Appreciation" said that literary work was an attempt to record the contents of the literary soul. For example, in Virginia Woolf's novel "Mrs. Dalloway," the main character's interior monologue reveals her sensitivity to the beauty and complexity of the world around her, as well as her struggles with gender norms and social expectations. Similarly, in Toni Morrison's novel "Beloved," the protagonist's traumatic experiences as a former slave are depicted with a profound sense of empathy and compassion, highlighting the importance of feminine sensibility in the recognition of human dignity and suffering. By incorporating feminine sensibility into their writing, these authors challenge the dominant narratives that exclude or marginalize women's voices and experiences.

Sensibility is the kind of reaction, towards action, the rights acclaimed, the freedom charged, the status granted, even the language constructed as worked on by Hellen Cixous in her essay "The Laugh of the Medusa". Foregrounds the fact of "Man" being in the centre. Inside the Haveli by Rama Mehta, Sense and sensibility by Jane Austen the protagonist Survives the action which Subsequents the standards of a society where everything is accomplished in comparison with a male identity which itself is a self constructed constrained embedded by the society stated by John Stuart Mill published The Subjection of Women to demonstrate that "The legal subordination of one sex to the other is wrong...and...one of the chief hindrances to human improvement."

Literary works often show men's hegemony against women and that women are male erotic objects. "In Old Javanese literature, especially in wiracarita and kakawin are clear if the image of women tends to be a figure of idolatry. Women are figures that should be contested by men, especially their beauty and skill. Female intellectuals of the Enlightenment were quick to point out this lack of inclusivity and the limited scope of reformist rhetoric. Olympe de Gouges, a noted playwright, published *Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne* (1791; "Declaration of the Rights of Woman and of the [Female] Citizen"), declaring women to be not only man's equal but his partner. The following year Mary Wollstonecraft's *A Vindication of the Rights of Woman* (1792), the seminal English-language feminist work, was published in England. Challenging the notion that women exist only to please men, she proposed that women and men be given equal opportunities in education, work, and politics. Women, she wrote, are as naturally rational as men. If they are silly, it is only because society trains them to be irrelevant.

In "The Laugh of the Medusa" by Hélène Cixous - This influential essay, published in 1975, argues that women must reclaim their bodies and their sexuality in order to develop a feminine sensibility that challenges patriarchal power structures. Cixous emphasises the importance of writing as a means of reclaiming feminine subjectivity and breaking free from the constraints of masculine language and logic. The term gender performativity, coined by Judith Butler in 1990 in book *Gender Trouble: Feminism and subversion of Identity* criticises what they consider to be an outdated perception of gender. This outdated perception, according to Butler, is limiting in that it adheres to the dominant Societal constraints. In scrutinising gender duality of difference, measured by sensibility is representative of a scenario, where in, *The Edible Woman*, Atwood asserted, "I don't consider it feminism; I just consider it social realism." Fully awakened personality of modern outward society still finds traces of trapped sensibility.

Luce Irigaray, born in Belgium on May 3, 1930, is one of the famous feminist figures who supports by arguing and rejecting Freud and Lacan's opinion that women are real creatures, symbolic beings and imaginary creatures for men. Irigaray herself focused her attention on schizophrenia, which was considered a personal language or dialect focused on symbolic order. In order to reject Freud's argument and reject male domination, Irigaray also focused her attention on the role of language, especially women's language. According to her because men have a language house, women also have to build their own language house, a house that frees them from male prison, a house that will be used as a place to carry out a total improvement of fate. So that later women do not speak like women but speak as women (Sarup in Ratna, 2004: 198). Irigaray also stated that to match the male phallus, women must speak through language her own feelings unbiased. And to shape her own image, women

must be able to appear for themselves, in a way that is different from what men do.

Sensibility versus Insensibility: the differentiation between using personal feelings and emotions to understand nature and man, and the active, if not completely conscious, overwhelming of oneself in his or her emotions that Austen explores and illustrates through her characters in *Sense and Sensibility*. Her particular study of sensibility is illustrated in the characters of Marianne, who is the epitome of insensibility near the end of the novel, and in Elinor, who represents sense, with traces of sensibility. “Elinor is the guiding light of the text, Marianne plays the role of the stereotypical Sentimental heroine.” Sense does never cry on the contrary Sensibility portrays emotions with hype subverting resigning to the norms of patriarchy being weak and fragile. Inside the Haveli does strain from tears and cry to show wisdom and subside but there hides the “why?” Society needs to hear the wry of a heart that is full of emotions, the same can also have the brain of Einstein. Rat race to which the world complies is now moving to an era where sensibility is feminine and foolish that doesn’t flourish. Anger is a vice which today resides in the poetic flavour of the fortunate fever that has passed the generations being transformed into tech-fi.

Art and Cultural Aspect

Art is another domain where feminine sensibility can be acknowledged and valued through the representation of diverse aesthetics and perspectives. For instance, in the paintings of Georgia O’Keeffe, the beauty of nature and the human body is depicted with a sensuousness and intensity that challenges the traditional male gaze and objectification of women. Similarly, in the films of Sofia Coppola, the interior worlds of women are explored with a delicacy and subtlety that subvert the stereotypes and clichés of mainstream cinema. By valuing and integrating feminine sensibility into their artistic expression, these artists create works that are not only aesthetically innovative but also socially and politically relevant.

Men cannot become feminists, they can only be sympathisers or supporters. Gender is the same as gender. Gender refers to the biological anatomy between women and men. Whereas gender explains the social interests or understanding referred to in those differences. The concept emerged as a critique of the male-centred Western canon and the patriarchal power structures that have excluded or marginalised women’s voices, experiences, and perspectives. “Did they know why they knew? Not at all. But they knew!!” is the dominant mode of thought and representation by emphasising the ways of knowing, feeling, and perceiving that are traditionally associated with femininity. Feminist scholars have explored how popular culture, such as fashion, music, and film, reflects and shapes the social norms and values related to femininity and masculinity. They have also examined how different cultural forms and practices have been gendered, such as the romanticization of motherhood or the stigmatisation of menstruation. The Cultural symptoms often differentiate the genders on the basis of certain group interests, in this case the male group, and the literary work often makes women as objects and merely weak beings who are under male domination. This theory tries to give way middle so that both have a balanced position in their conditions in society. By analysing the ways in which cultural texts and practices embody or challenge feminine sensibility, cultural studies have highlighted the political and social significance of cultural production.

"This Bridge Called My Back" edited by Cherrie Moraga and Gloria Anzaldúa - This anthology, published in 1981, brought together a diverse range of women writers and scholars who sought to challenge the marginalisation of women of colour in feminist discourse. The anthology emphasised the

importance of developing a feminine sensibility that recognizes and values difference, and that can bridge the gaps between different cultures and experiences. Queer and feminist performance artists have used their art to challenge the heteronormative and patriarchal cultural norms that have defined and oppressed women's bodies and desires. By subverting dominant cultural codes and challenging traditional gender roles, these artists embody a feminist and queer sensibility that challenges and transforms dominant cultural norms and values. The liberation movement as mentioned above raises the feminist movement that wants to fight for the rights of women, deconstruct the system of domination and hegemony, and engage in conflict between weak groups and strong groups. Whereas feminine sensibility theories are closely related to class and racial conflict, especially confining the role of emotions only to gender stereotypes. Although feminism is generally associated with emancipation, the women's movement to demand equal rights with men, both in the political, economic and socio-cultural fields this makes the line of difference here.

On the other hand, cultural texts and practices may also perpetuate and reinforce patriarchal norms and values that undermine feminine sensibility. For example, popular culture, such as advertising or romantic comedies, often reinforces gender stereotypes and reinforces the idea that femininity is passive, emotional, and primarily concerned with relationships and appearance. By perpetuating these stereotypes, popular culture may undermine feminist and feminine sensibility by limiting the ways in which women can imagine and express themselves

Conclusion

In conclusion, cultural studies scholars have analysed the ways in which cultural texts and practices embody or challenge feminine sensibility by examining the cultural norms and values that shape and are reflected in cultural production. By highlighting the political and social significance of cultural production, cultural studies offer a critical lens for analysing and transforming cultural practices and representations. Through a critical analysis of examples from literature, art, and everyday life, it offers insights into the ways in which feminine sensibility can be acknowledged, valued, and integrated into different domains. The article concludes by calling for a more inclusive and intersectional approach to knowledge production, one that recognizes the diversity of human experiences and perspectives, including those traditionally associated with femininity.

"A Room of One's Own" by Virginia Woolf - This feminist classic, published in 1929, explores the ways in which women's writing has been marginalised and silenced throughout history. Woolf argues that women need both financial independence and a physical space of their own in order to write and create, and that this is essential for the development of feminine sensibility in literature.

"The Female Complaint" by Lauren Berlant - This book, published in 2008, explores the ways in which women's dissatisfaction with their lives is both a personal and a political issue. Berlant argues that women's struggles with intimacy, desire, and emotional labour are all rooted in a broader cultural and political context that undermines feminine sensibility and perpetuates patriarchal power structures.

"Gender Trouble" by Judith Butler - This influential book, published in 1990, argued that gender is not a fixed or natural category, but rather a social and cultural construct that is constantly being produced and reproduced. Butler emphasized the importance of developing a feminist sensibility that can challenge and transform the ways in which gender is constructed and performed in everyday life.

Moreover, cultural studies scholars have argued that cultural texts and practices are not isolated from broader social and political structures, but rather are embedded in and shaped by them. Thus, the analysis of cultural texts and practices must also consider the larger social, economic, and political contexts in which they are produced and consumed.

References

Shukla, Bhaskar A. *The British Feminists*. vol. I, *Book Enclave*, 2008.

"Feminine Sensibility Of An Immigrant Woman." *Www.Ukessays.Com*, 11 May 2017, www.ukessays.com/essays/english-literature/feminine-sensibility-of-an-immigrant-woman-english-literature-essay.php. Accessed 23 Apr. 2023.

"Gender Identity." *Study.Com*, 20 Nov. 2015, study.com/learn/lesson/gender-identity-overview-history.html. Accessed 23 Apr. 2023.

"Feminism." *www.Britannica.Com*, 12 June. 2018, www.britannica.com/topic/feminism. Accessed 23 Apr. 2023.

Madison, Tiffany. "Entrepreneur." *Goodreads.Com*, 6 Mar. 2021, www.goodreads.com/quotes/249770-we-sensible-often-resist-intrusive-love-and-its-chaos-practically. Accessed 23 Apr. 2023.

"History and Theory of Feminism." *Gender.Cawater-info.Net*, 12 Feb. 2019, gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism_e.htm. Accessed 23 Apr. 2023.

Ariza, Mila. "FEMINISM: EQUALITY GENDER IN LITERATURE." *INTERNATIONAL SEMINAR AND ANNUAL MEETING BKS-PTN Wilayah BaratAt: Palembang. Indonesia*, 2020. Accessed 24 Apr. 2023.

Wolf, Virginia. (1997). *A Room of One's Own*, London: Grafton

Showalter. (1988). 4 Lyn Pykett, *The Improper Feminine*. London: Routledge, 1992)

Gladwell, Malcolm . *Blink: The Power of Thinking Without Thinking*. 2nd ed., *Back Bay Books*, 2005.

PHYSICOCHEMICAL AND PHYTOPLANKTON STATUS OF JANGALI POND IN RANTHAMBHORE FORT, RAJASTHAN, INDIA

Jyoti Rajawat¹ Vijendra K. Sharma²and Shyam sundar Sharma ³

¹Department of Botany, Vedanta P.G. Girls' College, Reengus-332404 (Sikar), Rajasthan, India

²Department of Botany, Government P.G. College, Thanagazi-301022 (Alwar), Rajasthan, India

³ .Department of Botany, Agrawal P.G College Hindone -(Karauli) ,Rajasthan,India.

ABSTRACT

Regular monitoring of every water body has become an important environmental concern due to their contamination by human activities and modernization. These days, most of the freshwater bodies all over the world are getting polluted, thereby decreasing the suitability of the freshwater. The present paper deals with the assessment of certain physicochemical parameters and phytoplankton community in surface water samples of Jangali Pond man-made ancient freshwater reservoir located in Ranthambhore Fort in Sawai Madhopur District of Rajasthan State. The water samples were collected from the sampling site for two years study period between November 2014 to October 2016 on a monthly basis and the seasonal data were evaluated. The results show fluctuations in the values of different physicochemical parameters in each season of both the sampling years. However, the values of most parameters were recorded higher in summer season except for the pH and dissolved oxygen which found slight higher in winter season, while fluoride and alkalinity were noted highest in the rainy season. A total of 17 genera and 26 species belonging to four classes of algae have been accounted with Chlorophyceae 10 species, Cyanophyceae 10 species, Euglenophyceae 4 species and Bacillariophyceae 2 species. Seasonal variation with regard to the presence of various phytoplankton species has been observed. The majority of phytoplankton species were found to be abundant during the summer season where values of most physicochemical factors were also higher. The pollution tolerant species observed throughout the study period were *Oscillatoria sp*, *Closterium sp*, *Microcystis sp*, *Nostoc sp*, *Pediastrum sp* and *Euglena sp*. These species are good indicators of water pollution.

Key Words: Phytoplankton, Rani Sagar Pond, Ranthambhore Fort, Water quality assessment

INTRODUCTION

Water is a life-supporting factor of ecosystem, every cell (microcosm), individual organism and cosmos required water for their life. During the recent past, many studies on microscopic forms of algae (phytoplankton) have been highlighted their important role in monitoring the human-modified aquatic ecosystems. Phytoplankton, also regarded as biological indicator organisms, is essential component of

any aquatic habitat and their presence are good source for the assessment of water quality¹. The water quality assessment involves the analysis of both physicochemical and biological characters of water and it reflects the biotic and abiotic status of an ecosystem. Aquatic organisms need a healthy environment to live and they require adequate nutrients for their growth and development, the productivity depends on the unique physicochemical properties of the water. The changes in hydrological condition of water considered as ecological indicators are being used to estimate the status of water pollution²

Stagnant water bodies like Ponds, Dams and Lakes etc. have an ecology that is more complicated and delicate than running water bodies, since they lack the capacity to self-clean and hence collect more populations easily. Increased anthropogenic activities have affected the fragile aquatic system and, consequently, physicochemical characteristics of water in and around these water bodies.. Increased anthropogenic activities have affected the fragile aquatic system and, consequently, physicochemical characteristics of water in and around these water bodies. Day-by-day, the water pollution is becoming a serious problem. Water pollution is enhancing due to increase in human population, urbanization, industrialization, development of new technologies, excess use of fertilizers etc. This problem is resulting turbidity (cloudiness) in water and rich growth of diversified phytoplankton which render the water unfit for use³. Furthermore, the loss of fauna, flora and ecosystem of freshwater could have significant impacts on our identity, wellbeing, cultural values and economy⁴.

A study in phytoplankton are very valuable tools for the quality and productivity assessment of water in any water body and play an important role in maintaining an aquatic ecosystem and form the base of food chain.⁵

During the recent past, many studies on microscopic forms of algae (phytoplankton) have been highlighted their important role in monitoring the human-modified aquatic ecosystems. Phytoplankton's, also regarded as biological indicator organisms, are essential component of any aquatic habitat and their presence are good source for the assessment of water quality. The productivity of an aquatic system is directly dependent on phytoplanktons, which are tiny free-floating algae colonies found in water bodies. Phytoplankton also affect water properties (such as colour, odor, and chemical composition) which may cause potential hazard for human and animal health.⁶ The drinking water is sometimes rendered unfit for use owing to the presence of Myxophyceae, Diatoms, etc. Temperature, pH, turbidity, nutrients, hardness, alkalinity, BOD, DO etc. are some of the important hydrological factors that determine the growth of living organism in several freshwater bodies⁷. In the last three decades, a number of authors have studied the occurrence and range of algal flora in relation to physicochemical properties of polluted as well as non-polluted freshwater bodies across the world⁸⁻¹⁷. Several of these reports also emphasized the seasonal distribution of phytoplankton community¹⁴⁻¹⁷. The Ranthambhore fort is a well-known fort in the Southeastern Rajasthan. It has marvelous architectural monuments, ponds and lakes enlighten avid lovers. Every part of the fort reflects the ancient character of Indian culture and philosophy. Many people around the world visit the fort throughout the year. In

the fort, Padmala Pond, Rani Sagar Pond and Jangali Pond is the major freshwater bodies and a regular source of water for drinking, washing, bathing and other activities of the local inhabitants and pilgrims. The local people of fort, Shopkeepers, take water either directly from the pond or nearby water-wells. Since last two decades, daily human activities resulting into pollution of water with visible growth of water blooms and hydrophytes in the pond. This situation may cause a serious problem for future use of water. Since last two decades, daily human activities resulting into pollution of water with visible growth of water blooms and hydrophytes in the pond. This situation may cause a serious problem for future use of water. Thus, these freshwater pond has been selected for the present study with regard to the assessment of water quality and phytoplankton community and further to know the current status of water pollution.

Material and Methods Investigation area

Sawai Madhopur is the gateway to the world renowned Ranthambhore (also

Ranthambore) National Park (<http://www.ranthambhorenationalpark.com>) in district Sawai Madhopur (Rajasthan). The Ranthambhore fort, a famous place of historical importance, is situated 14 km away from Sawai Madhopur, located 76°28' East longitude and 26°2' North latitude, which is surrounded by the Vindhyas and Aravalli hills of the desert ecology of Rajasthan state. Ranthambhore National Park (RNP) is derived its name from the fort situated within its precincts. This park is one of the best parks in the country for observing and photographing the activities of tigers by the visitors of all around the world. Ranthambhore fort is part of World Heritage site under the category hill forts of Rajasthan, which is situated near Sawai Madhopur town in Rajasthan. (Fig-1(a). Ranthambhore Fort lies within the RNP. Ranthambhore Fort is located 5 km inside the park on a hill top. The area of fort amidst vast and arid ecosystem having summer temperature (maximum 37°C, minimum 23°C), winter temperature (maximum 29°C, minimum 9°C), relative humidity 67.17%, average rain fall 680 mm annually and monsoon period from July to September. *Anogeissus pendula*, *Butea monosperma*, *Ziziphus mauritiana* are some of the dominant tree species of this area. From various places of historical interest inside the fort, the 'Trinetra Ganesh temple' is a major attraction of the fort where millions of people come from every corner of the country to seek blessing for happiness and prosperity.

There are five ancient artificial (man-made) water-bodies situated in and around the Ranthambhore fort. These are Padmala Pond, Rani Sagar Pond, Jangali Pond, Sukh Sagar Pond and Bada Sagar Pond. All these ponds are located within the area of about 4 sq. km in and around the fort area. Some of these ponds are the major source of water for inhabitants living in the fort.

Few distance from the Ganesh Temple, on the way of Gupt ganga, Jangali Pond (also called Jangali Talab) was developed as an extremely effective water harvesting region which was made to flow through a channel of hard, impermeable rock, ultimately flowing into Jangali Pond (Fig-1(b)).

This freshwater pond has been selected for the present study with regard to the assessment of water quality and phytoplankton community and further to know the current.

Sample collection

A systematic survey for sample collection, identification of phytoplankton and the physicochemical properties of water was done for a period of two years between November, 2014 to October, 2016. The surface water samples were collected in the clean sampling bottles (plastic, one liter capacity) manually on a monthly basis. Every water sample was taken during the morning time (between 9-10 am) in every first week of each month and photography was done to see the actual view of the pond. Every month, samples were taken from the sampling site approximately 6-8 feet away from bank of the pond with the help of a bamboo stick. Physical factors like water temperature and pH was recorded at the site. The water samples were brought to laboratory for estimation of certain physicochemical parameters according to the standard methods¹⁸. The samples for algal forms were collected through the phytoplankton-net and stored in separate bottles. Algal samples were also brought to the laboratory for microscopic examinations as reported earlier¹⁶. Most of the algal samples were analyzed fresh as far as possible while some amount of the samples were preserved in 4% formalin for further study. Various forms of algae were seen with the help of Japan make mirror type microscope and Camera Lucida and were drawn by HB pencil. The taxonomic identification of phytoplankton species was done with the reference of standard monographs and books¹⁹⁻²³.

Statistical analysis Data for physicochemical parameters and algal community were recorded as the mean and standard deviation (Mean \pm S.D.). Statistical analysis of data was carried out using Excel analysis ToolPak (MS Office). The quantitative measurements of algae were performed as reported earlier¹⁶



Figure.,1(a)- A view of Ranthambhore Fort Site)



Fig.,1(b)- A view of Jangali Pond (Sampling

RESULTS AND DISCUSSION

The present study was carried out for two subsequent years i.e. from October 2014 to November 2016. The monthly data on certain physicochemical parameters and possible phytoplankton population were observed in the surface water samples of Padmala Pond, Rani Sagar Pond and Jangali pond is located in the Ranthambhore fort in Sawai Madhopur (Rajasthan). The data of both the study years were evaluated seasonally (summer, rainy and winter). The recorded data on physiochemical parameters were given in Table 1, the data on seasonal diversity of Phytoplankton were represented in Table 2, and the Camera Lucida diagram of various forms of phytoplankton observed in the current study were given in Figure Plates 1 and 2.

Physicochemical characteristics

A total of thirteen physicochemical parameters of water were analyzed, these were temperature, pH, Chemical oxygen demand (COD), Biological oxygen demand (BOD), Dissolved oxygen (DO), Chloride, Calcium, Fluoride, Total alkalinity, Total hardness, Total dissolved solids (TDS), Nitrate and Phosphate (**Table-1**). The results show fluctuations in the values of physicochemical parameters in different seasons in both the sampling years which could be due to variation in climatic condition²⁴. The mean value of most of the parameters was observed greater in summer season. The higher values of DO in winter may be due to higher solubility of oxygen at relatively lower temperature and also by the circulation and mixing of water due to surface runoff in monsoon²⁵. Fluoride and total alkalinity contents were noted higher in the rainy season (July to October) with highest alkalinity in both the years. TDS, nitrate and phosphate values were recorded maximum in summer season (Table 1). The ranges of water temperature were varied, noted minimum (17°C) in winter season and maximum (36°C) in summer which may be due to the seasonal variation of sunshine and rain²⁴. The high temperature resulted in the decrease of water level, promoted high rate of organic decomposition and huge growth of hydrophytes as described²⁶. In India, the temperature is quite high during dry pre-monsoon season but with the advent of the southwest monsoon water temperature reaches its lowest value in August²⁷. Among the physicochemical parameters of water, temperature was found to play a crucial role in determining the diversity, productivity and periodicity of the algal flora. The concentration of different ranges of nitrate gives a useful indication of pollution in water and thus has the ability to support phytoplankton growth. The pH values indicate the slight alkaline nature of water. pH is one of the most important and single factor which influences the production of aquatic organisms²⁸. Limits of the majority of analyzed parameters were observed almost within the range of required and permissible limits as prescribed by Indian standards^{29, 30} except for the phosphate and DO values. The higher contents of phosphate (1.5 mg/l) and low levels of DO (1.5 mg/l) were recorded in summer season. Low DO assign of organic pollution, it's also due to inorganic reductions and other waste materials^{11, 13}. The values of hardness show moderate-hard to hard nature of pond water in all seasons. In general, the hardness of water may be temporary or permanent while the presence of phosphate is in lower

amount. The results of both the study years regarding monthly, seasonal and annual variation of physicochemical parameters of the ponds have been shown in the graphical diagrams (**Plates -9**).

Phytoplankton diversity

Seasonal variation with regard to the presence of various phytoplankton species has been observed (**Table-2**). The visible water blooms and the majority of phytoplankton community were found to be abundant during the summer season (March to June) where values of most of the physicochemical factors were also higher, such findings were also observed by several workers¹¹⁻¹⁷. Higher quantity of Ca (38 - 32 mg/l) (Table 1) in summer have been shown to promote the growth of all genera of green algae and most of the members of blue-green algae observed similarly as investigated¹³. In the present study period in Jangali Pond, a total of 17 genera and 26 species were found which belonging to Cyanophyceae (10 species), Chlorophyceae (10 species), Euglenophyceae (2 species) and Bacillariophyceae (4 species) were observed. The major presence of the members of Chlorophyceae and Cyanophyceae was dominant in summer thereafter decreased in rainy and winter seasons. While all species of Euglenophyceae and Bacillariophyceae attain maximum development during winter months than in rainy and lowest in summer season as also observed previously¹⁶. In summer months, the water level declines while in the rainy month's water level increases and become turbid. Several previous studies also showed that the winter months are more favorable for maximum development of diatoms^{16, 17}. The species of diatoms grow richly during high value of pH, high DO, low quantity of phosphate and low temperature. The occurrence and massive growth of phytoplankton in water bodies depends not only on physical factors (light, temperature and pH) but also on the chemical load which affects species composition¹⁰. Cyanophyceae was representing with 6 genera (*Oscillatoria*, *Lyngbya*, *Phormidium*, *Spirulina*, *Microcystis* and *Nostoc*) and 10 species and Chlorophyceae represented 6 genera with 10 species (Chlorococcales, Zygnematales Oedogonales) and Euglenophyceae represents only one order Euglenales while Bacillariophyceae class represents two orders Centrales and Pennales during the study period.

Table 1. Physicochemical parameters of water samples of Jangali Pond, Ranthambhore fort in district Sawai Madhopur, Rajasthan .(Nov 2014-Oct 2016)

| Parameter | Winter Season | | | | | Summer Season | | | | | Rainy Season | | | | | Annual Mean±SD |
|-----------|---------------|-----|-----|-----|-------------|---------------|-----|-----|------|-------------|--------------|-----|------|-----|------------|----------------|
| | Nov | Dec | Jan | Feb | Mean±SD | Mar | Apr | May | June | Mean±SD | July | Aug | Sept | Oct | Mean±SD | |
| Temp (°C) | 20 | 18 | 17 | 18 | 18.25±1.26 | 22 | 28 | 32 | 36 | 29.50±5.97 | 30 | 26 | 24 | 22 | 25.50±3.42 | 24.42±2.36 |
| pH | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 7.83±0.21 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 7.50±0.31 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.43±0.25 | 7.54±0.08 |
| COD | 42 | 25 | 30 | 50 | 36.75±11.35 | 187 | 180 | 186 | 190 | 185.80±4.19 | 170 | 160 | 85 | 65 | 120±52.76 | 114.17±26.22 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|-------------|-------------|
| BOD | 5 | 2.1 | 2.5 | 1 | 2.65±1.69 | 4 | 4.5 | 10 | 8 | 6.63±2.87 | 4 | 4.2 | 1.2 | 2 | 2.85±1.48 | 4.04±0.75 |
| DO | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 4.5 | 5.55±0.82 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.80±0.57 | 2.5 | 3 | 5.2 | 6 | 4.18±1.69 | 3.84±0.59 |
| Chloride | 34 | 32 | 36 | 40 | 35.50±3.42 | 55 | 45 | 50 | 60 | 52.50±6.45 | 58 | 55 | 52 | 52 | 54.25±2.87 | 47.42±1.93 |
| Calcium | 28 | 30 | 26 | 20 | 26±4.32 | 18 | 26 | 38 | 31 | 26.80±6.40 | 16 | 17 | 22.5 | 25 | 20.13±4.33 | 24.29±1.20 |
| Fluoride | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.10±0.08 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.80±0.06 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.33±0.17 | 0.39±0.06 |
| Alkalinity | 160 | 123 | 105 | 102 | 122.50±26.66 | 130 | 140 | 145 | 160 | 143.80±12.50 | 170 | 172 | 185 | 168 | 173.75±7.68 | 146.67±9.87 |
| TH | 88 | 98 | 105 | 115 | 101.50±11.39 | 110 | 125 | 102 | 90 | 106.80±14.68 | 84 | 78 | 66 | 78 | 76.50±7.55 | 94.92±3.57 |
| TDS | 240 | 255 | 280 | 290 | 266.25±22.87 | 280 | 300 | 310 | 325 | 303.80±18.87 | 225 | 205 | 190 | 188 | 202.±17.11 | 257.33±2.95 |
| Nitrate | 6.2 | 7 | 8.2 | 9 | 7.60±1.24 | 13 | 10 | 8 | 6 | 9.30±2.99 | 6.5 | 8 | 6.5 | 3.2 | 6.05±2.03 | 7.63±0.87 |
| Phosphate | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.29±0.09 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0.70±0.67 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.43±0.33 | 0.47±0.29 |

All values are in mg/l except the values of temperature and p

Table 2: Monthly and seasonal variation of phytoplankton species in Jangali Pond situated in Ranthambhore Fort, Sawai Madhopur (Rajasthan): November, 2014 to October, 2016

| S. No. | Algal Forms | Winter Season | | | | Summer Season | | | | Rainy Season | | | |
|--------|-------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|-------|-----|------|--------------|-----|------|-----|
| | | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
| | Cyanophyceae | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Phormidium retzii</i> | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
| 2 | <i>Microcystis flos-aquae</i> | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 3 | <i>Spirulina</i> sp. | - | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - |
| 4 | <i>Nostoc muscorum</i> | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | + |
| 5 | <i>N. passerinianum</i> | - | - | - | - | + | + | - | + | + | - | - | - |
| 6 | <i>N. punctiforme</i> | - | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + |
| 7 | <i>Oscillatoria proteus</i> | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - |
| 8 | <i>O. limosa</i> | - | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 9 | <i>Lyngbya aestuarii</i> | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 10 | <i>L. hieronymusii</i> | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| | Chlorophyceae | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Chlorella vulgaris</i> | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| 2 | <i>Closterium diniae</i> | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + |
| 3 | <i>Oedogonium curtum</i> | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | - |

Summer (March-June), Rainy (July-October), Winter (November-February); Present (+), Absent (-), Rare (\pm)

| S. No. | Algal Forms | Winter Season | | | | Summer Season | | | | Rainy Season | | | |
|--------|------------------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|-------|-----|------|--------------|-----|------|-----|
| | | Nov | Dec | Jan | Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct |
| 4 | <i>Spirogyra jungalis</i> | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + |
| 5 | <i>S. punctulata</i> | - | - | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - |
| 6 | <i>Pediastrum tetras</i> | - | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - |
| 7 | <i>P. simplex</i> | + | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
| 8 | <i>P. duplex</i> | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | <i>Scenedesmus dimorphus</i> | - | - | + | - | + | + | + | + | - | - | - | - |
| 10 | <i>S. quadricauda</i> | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| | Euglenophyceae | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Euglena acus</i> | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| 2 | <i>E. spirogyra</i> | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - |
| | Bacillariophyceae | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Synedra ulna</i> | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + |
| 2 | <i>Nitzschia palea</i> | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | <i>Pinnularia major</i> | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | <i>Cyclotella</i> sp. | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + |

Summer (March-June), Rainy (July-October), Winter (November-February); Present (+), Absent (-), Rare (\pm)

PLATE - 9




Figure 1. Monthly, seasonal and annual variation of physicochemical parameters in Jangali Pond (November, 2014 to October, 2015).




Figure 2. Monthly, seasonal and annual variation of physicochemical parameters in Jangali Pond (November, 2015 to October, 2016).

CONCLUSIONS

The recorded values of thirteen physicochemical parameters of water show fluctuations in different seasons, but the values of most of the parameters were found higher in summer season except for the pH and DO values which found slight higher in winter season. The results also show variation in both the sampling years. Fluoride and total alkalinity contents were noted higher in the rainy season. Limits of the analyzed parameters were observed almost within the range of required and permissible limits of Indian standards except phosphate (higher) and DO levels (low)

in summer. The values of hardness show moderate-hard to hard nature of water. Seasonal variation regarding the presence of various phytoplankton species has been observed in both the study years. The majority of phytoplankton taxa were found to be profuse during the summer season where values of most physicochemical factors were also higher. The summer and rainy months were more favorable for the proliferation of water blooms with dominant presence of Chlorophyceae and Cyanophyceae members. On the other hand, the members of Euglenophyceae and Bacillariophyceae were abundant in winter season. *Oscillatoria sp*, *Closterium sp*, *Microcystis sp*, *Nostoc sp*, *Pediastrum sp* and *Euglena sp*. Etc species are good indicators of water pollution.

These species are highly sensitive to pollution and thus recognized as good indicator of water pollution. This situation depicted a moderate level of pollution in the Rani Sagar pond. We conclude that adequate knowledge of phytoplankton is necessary for proper utilization of any water resource.

References-

1. Western D. Human-modified ecosystems and future evolution. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2001; 98(10): 5458-5465.
2. WHO. Guidelines for drinking-water quality: Health criteria and other supporting information. Second Edition, Volume 2, WHO, Geneva 1996: 951 p.
3. Khan FA and Ansari AA. Eutrophication: An ecological vision. The Bot. Rev. 2005; 71(4): 449-482.
4. Palmer CM. A composite rating of algae tolerating organic pollution. J. Phycol. 1969; 5(1): 78-82.
- 5 John DM, Whitton BA, Brook AJ (Eds.). The freshwater algal flora of the British Isles: An identification guide to freshwater and terrestrial algae. Cambridge Univ. Press, Cambridge 2002: 702 p.
- 6 .Cramer J. Algae of the Indian subcontinent: A collection of papers Bibliotheca Phycologica A. R. Ganter Verlag, Germany 1984: 1-389 p.
- 7 Verma PU, Chandawat D, Gupta U, Solanki HA. Water quality analysis of an organically polluted lake by investigating different physical and chemical parameters. Int. J. Res. Chem. Environ. 2012; 2(1): 105-111.
8. Chaturvedi RK, Sharma KP, Bhardwaj SM, Sharma S. Plankton community of polluted water around Sangner, Jaipur. J. Environ. and Pollut. 1999; 6(1): 77-84.

9. Smitha AD and Shivashankar P. Physico Chemical Analysis of the Freshwater at River Kapila, Nanjangudu Industrial Area, Mysore, India. *Int. Res. J. Environment Sci.* 2013; 2(8): 59-65.
10. Caroppo C, Roselli L, Di Leo A. Hydrological conditions and phytoplankton community in the Lesina lagoon (Southern Adriatic Sea, Mediterranean). *Environ. Sci. Pollut. Res.* 2017; 25(2): 1784-1799.
11. Bhasin S, Shukla NA, Shrivastava S. Algal biodiversity in relation with water quality criterion of River Kshipra, Ujjain, MP. *J. Biol. Sci. Med.* 2016; 2 (1): 37-44.
12. Sharma P and Bhardwaj N. Algal biodiversity in some water bodies of Kota, Rajasthan, India. *Int. Res. J. Biological Sci.* 2017; 6(9): 7-14.
13. Seeta Y and Reddy PM. Algal diversity and water quality in the Rivers of Telangana. *Int. J. Recent Sci. Res.* 2020; 11(3): 37702-37704.
14. Tiwari A and Chauhan SV. Seasonal phytoplanktonic diversity of Kitham lake, Agra. *J. Environ. Biol.* 2006; 27(1): 35-38.
15. Verma R, Singh UB, Singh GP. Seasonal distribution of phytoplankton in Laddia dam in Sikar district of Rajasthan. *Vegetos.* 2012; 25(2):165-173.
16. Sharma SS, Singh GP, Sharma VK. Seasonal phytoplanktonic diversity of Kalisil river in Keladevi wildlife sanctuary, district Karauli, Rajasthan, India. *Int. J. of Pharm. Bio. Sci.* 2012; 3(3): B890-899.
17. Maheshwari K, Vashista J, Paulose PV, Agarwal T. Seasonal changes in phytoplankton community of lake Ramgarh India. *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci.* 2015; 4(11): 318-330.
18. APHA. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st Edition. American Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation, New York, 2012.
19. Desikachary TV. Cyanophyta. ICAR Monograph on Algae. New Delhi, India 1959: 1-686 p.
20. Randhawa MS. Zygnemaceae. ICAR Monograph on Algae, New Delhi, India 1959: 1-478 p.
21. Prescott GW. How to Know the Fresh-Water Algae. WM.C. Brown Company Publishers, Dubuque, IA, USA 1964: 1-224 p.
22. Philipose MT, Chlorococcales. ICAR Monographs on Algae, New Delhi, India 1967: 1-365 p.
23. Iyengar MOP and Desikachary TV. Volvocales. ICAR Monograph on Algae, New Delhi, India 1981: 1-532 p.
24. Pei H, Liu Q HW Phytoplankton community and the relationship with the environment in Nansi Lake, China. *Int. J. Environ. Res.* 2011; 5(1): 167-176.
25. Gupta N, Pandeya P, Hussain J. Effect of physicochemical and biological parameters on the quality of river water of Narmada, Madhya Pradesh, India. *Water Science* 2017; 31: 11-23.
26. Sharma SS, Khandelwal S, Sharma VK. Aquatic macrophytes of Kalisil River in District Karauli, Rajasthan. *Res. J. Agricultural Sci.* 2012; 3(5): 1093-1096.

- 27.Sarojini Y. Seasonal changes in phytoplankton of sewage and receiving harbour waters at Visakhapatnam. *Phykos* 1996; 24: 4-11.
- 28.Devassy VP and Goss JI. Phytoplankton community structure and succession in tropical estuarine complex (Central West Cost of India). *Estuarine, Coastal Shelf Science* 1988; 27: 671-685.
- 29.BIS. Indian Standard: Drinking Water-Specification (Second Revision), Bureau of Indian Standards, New Delhi 2012: 11 p.
- 30.ISI (2012). Indian Standards Institution, Indian standard tolerance limit for Inland Surface Water subjected to pollution, Second revision, 10500:2012.

घरेलू हिंसा रोकने में महिला पुलिस की भूमिका की सार्थकता: एक विश्लेषण

डा. अर्चना शर्मा

उपप्राचार्या,

वेदान्ता स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रींगस (सीकर) राज

देश की आधी आबादी का भविष्य विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देश में संकटग्रस्त स्थिति में दिखाई दे रहा है। महिलाएं घर की चार दीवारी में भी असुरक्षित महसूस करे, इससे अधिक लाचारी व विवशता क्या होगी। जब स्वतंत्र राष्ट्र में महिलाएं अपने परिवार, सगे सम्बन्धियों, ईश्वर कहे जाने वाले पति परमेश्वर व अपने पिता के घर में भी अत्याचार, दुर्व्यवहार, हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि का शिकार होती हैं, क्या इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति गौण, निम्न, पीड़िता, शोषण, अत्याचारों व गुलामों की ही रहेगी? क्या हमारी शासन व्यवस्था के सभी आधार स्तम्भ व्यवस्थापिका, सरकार, न्यायपालिका व मीडिया मौन व चुप्पी लगा कर कठपुतली बना तमाशा देखता रहेगा ? क्या कानून व्यवस्था, अपराधियों की खोजबीन व उन्हें सजा दिलाने वाली पुलिस इस दिशा में लाचार व विवश ही बनी रहेगी ? शक्ति स्वरूपा नारी की समाज में यह दुर्दशा कब तक होती रहेगी। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” जैसी कहावत वर्तमान समाज में क्षीण होती जा रही है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार, शोषण, यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसी घटनाएं वर्तमान समाज में बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं को समाज में दोगुना दर्जा देने जैसी प्रवृत्तियों के कारण उत्पीड़न व शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। यहां तक की परिवार के निकट के रिश्तेदार माता, पिता, बहन, भाई, सास, ससुर, ननद, भाभी, आदि सदस्यों द्वारा महिलाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार होता है तथा उत्पीड़न से महिलाओं को शारीरिक व मानसिक आघात पहुंचता है। दहेज की आग में आज भी महिलाओं को धकेल दिया जाता है। दहेज व्यापार की मंडी में आज भी उनकी खरीद फरोख्त होती है। यह अत्याचार शहरी-ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित, व्यवसायिक- अव्यवसायिक, गृहणी -नौकरीपेशा, बच्ची एवं अधेड़ सभी वर्गों में बढ़ रहा है। महिलाएं घर की चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं हैं, उन्हें अपनों द्वारा ही प्रताड़ित होना पड़ता है, ब्यंगबाणों से छेदा जाता है। उनकी अस्मिता, शुचिता पर आक्रमण किया जाता है। जब विषादपूर्ण स्थिति में उनका हृदय तार-तार हो जाता है तब भी उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं होता। पति और सास-ससुर की गालियां, अपशब्द, दुष्चरित्र की संज्ञा, उपेक्षा व मानसिक प्रताड़ना से बेबस और लाचार होकर वह मौन रहकर सब कुछ सहती हैं। घरेलू हिंसा व प्रताड़ना से त्रस्त महिलाएं अपना समस्त जीवन, परिवार बच्चों और समाज के लिए अपने को दांव पर लगा देती हैं। **महादेवी वर्मा की ये पक्तियां कि** ‘संसार परिवर्तनशील है, यहां बड़े-बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियां लुप्त हो गई, जातियां मिट गई, रीति रिवाज बदल गए, रूढ़ियां टूट गई, सबकुछ बदल गया पर स्त्रियों की दशा नहीं बदलती है। इस कथन के द्वारा यह आंकलन किया जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

घरेलू हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के साथ घटित अपराधों के लिए पुरुष प्रधान मानसिकता के साथ-साथ सामाजिक परम्पराएं, बंधन, रूढ़ियां जिम्मेदार हैं। महिलाएं वर्तमान सभ्य, सुसंस्कृत और आधुनिक समाज में भी पुरुष वर्ग द्वारा शासित व संचालित हैं। पुरुष वर्ग ने महिलाओं पर सदैव अपना शिकंजा कसा है। समाज में महिलाओं पर अपना वर्चस्व कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी कारण महिलाएं विविध रूपों और विविध प्रकार के शोषणों का दंश झेलती हैं। तिरस्कार, उपेक्षा, शोषण, अपमान और अवमानना का विष पीती हैं और मूक पशु की भांति दिखाई देती हैं।

- समाज में पुरुषों की प्रधानता एवं महिलाओं को दोगुना दर्जा देने की परम्परा
- लैंगिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक, कानूनी प्रावधानों को सामाजिक स्वीकृति न मिलना।
- महिलाओं को हिंसा से बचाने हेतु बनाए गये कानूनी प्रावधानों का जमीनी स्तर पर लागू न होना।
- संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को निर्मित और लागू करने वाली सरकारी एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी।
- सार्वजनिक जीवन में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कम उपस्थिति।
- बाजारीकरण ने प्यार व यौन संबंधों को यौन वासना में बदल दिया है।
- स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता
- महिला साक्षरता प्रतिशत कम होना एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव।
- सामाजिक कुप्रथाएं— बाल विवाह, दहेज प्रथा, सतीप्रथा, पर्दाप्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, आदि

- पारिवारिक झगड़े और तनाव
 - घटते जीवन आदर्श या नैतिक मूल्यों का ह्रास
- महिला हिंसा के बढ़ते अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण :-

| महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित दर्ज मामलें | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| क्रसं | अपराध की प्रकृति | वर्ष | | | | |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | बलात्कार | 24206 | 24923 | 33707 | 36735 | 36651 |
| 2 | बलात्कार का प्रयास | — | — | — | 4232 | 4434 |
| 3 | महिला अपहरण | 35565 | 38262 | 51881 | 57311 | 59277 |
| 4 | दहेज हत्या | 8618 | 82533 | 8083 | 8455 | 7634 |
| 5 | महिलाओं के शील भंग करने के लिए उन पर किए गये हमलें | 42968 | 45351 | 70739 | 82235 | 82422 |
| 6 | महिलाओं को लज्जित करना | 8570 | 9173 | 12589 | 9735 | 8685 |
| 7 | पति एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा लज्जित करना | 99135 | 106527 | 118866 | 122877 | 113403 |
| 8 | विदेशी महिलाओं का अपहरण | 80 | 59 | 31 | 13 | 06 |
| 9 | महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना | — | — | — | 3734 | 4060 |
| अ | भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कुल मुकदमें | 219142 | 232528 | 295896 | 325327 | 314575 |
| 10 | सती रोकथाम अधिनियम में दर्ज मामलें | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | महिलाओं से अशोभनीय व्यवहार/प्रदर्शन | 453 | 141 | 362 | 47 | 40 |
| 12 | दहेज रोकथाम अधिनियम में दर्ज मामलें | 6619 | 9038 | 10709 | 10050 | 9894 |
| 13 | घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलें | — | — | — | 426 | 461 |
| 14 | महिलाओं के विरुद्ध अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलें | 2436 | 2563 | 2579 | 2070 | 2424 |
| ब | महिलाओं के विरुद्ध कुल एसएलएल अपराध | 9508 | 11742 | 13650 | 12593 | 12819 |
| | कुल योग (अ+ब) | 228650 | 244270 | 309546 | 337922 | 327994 |

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार पिछले दस वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में दुगुनी वृद्धि हुई है। इन दस वर्षों में 22.4 लाख घटनाएं दर्ज हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक एक घंटे में महिलाओं के प्रति अपराध की 26 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई। 2015 के आंकड़ें बताते हैं कि पिछले चार वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महिलाओं के प्रति क्रूर व जघन्य अपराधों में बलात्कार प्रमुख रहा है।

2015 की रिपोर्ट के अनुसार कुल बलात्कार की घटनाएं 34651 में से 33098 घटनाएं अर्थात् 95 प्रतिशत घटनाएं सगे संबंधियों आर पड़ोसियों द्वारा अज्ञान दी गई। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के आंकड़े वास्तविक जीवन में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का बहुत छोटा सा हिस्सा है। सच्चाई यह है कि भारतीय समाज में महिलाएं अपने प्रति होने वाले अपराध या अत्याचार को पारिवारिक दबाव व सामाजिक प्रतिष्ठा के भय से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती हैं साथ ही कानूनी प्रक्रिया की अनभिज्ञता और सामाजिक साहस के अभाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाती हैं जबकि स्वीडन में विश्व में सबसे ज्यादा अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज होती है। इसी प्रकार से भारत में दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों के सबसे ज्यादा मामलें दर्ज होते हैं। इसका कारण है महिला समाज में चेतना का स्तर अधिक होना और राज्य मशीनरी की तत्परता परन्तु यह तथ्य भी सही है कि महिलाओं की प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है और पूरा समाज इस परिघटना से चिंतित है। महिलाओं और बच्चियों से बढ़ती बलात्कार की वारदातों को रोकने के लिए केन्द्रीय केबिनेट ने क्रिमिनल लॉ कानून में संशोधन करते हुए 2018 में इसे मंजूरी दी।

इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है पर इसके बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार नहीं हैं। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग जैसे गंभीर अपराधों में महिलाओं की व्यापक संलिप्तता पाई गई है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने 8 अक्टूबर 2016 को निर्णय देते हुए घरेलू हिंसा कानून 2005 में संशोधन करते हुए यह निर्णय दिया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून में केवल व्यस्क पुरुषों के खिलाफ आरोप दाखिल करने की जगह महिला और अल्प व्यस्क पुरुष के खिलाफ भी कानून के अनुसार आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों के विवेचन, विश्लेषण और समाधानों के उपायों को महिला पुरुष वर्ग से जोड़कर या केवल कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में देखने की बजाय उसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में भी देखना होगा जिसके अन्तर्गत पुरुष प्रधान मूल्यों और संस्कृति का विकास होता है और परम्परागत मूल्यों व रूढ़ियों की सतह में महिलाएं हिंसा का विरोध नहीं कर सकती हैं।

घरेलू हिंसा से जुड़े मुद्दे—

महिलाएं प्राचीन काल से ही अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न का दंश झेलती रही हैं वृद्धारण्यक, उपनिषद, अथर्ववेद एवं मनुस्मृति में महिलाओं पर की जा रही हिंसाओं का उल्लेख मिलता है, मध्यकाल में स्त्रियों पर अत्याचारों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। महिलाएं पर्दाप्रथा, सतीप्रथा, बालविवाह एवं वैश्यावृत्ति जैसे बंधनों में जकड़ती गई, इसके कारण महिलाओं के विकास के द्वार बंद हो गये।

तसलीमा नसरीन की पुस्तक 'औरत होने का दर्द' में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार को रेखांकित किया गया है महिला अकेले घर विलम्ब से लौटती है तो उसे तर्कपूर्ण कारणों को स्पष्ट करना होता है। गैर मर्दों के साथ देखी जाती है तो उसके चरित्र पर सन्देह होता है। वर्तमान में महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण व मारपीट जैसी घिनौनी हरकतें बढ़ती जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या कोष और महिलाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सात राज्यों में 9205 पुरुषों से की गई बातचीत के आधार पर लिखी गई एक रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 6 पुरुष अपनी पत्नी के साथ हिंसक व्यवहार करते हैं। यह हिंसा भावनात्मक, शारीरिक, यौन संबंधी और आर्थिक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में भी देश में घरेलू हिंसा की व्यापकता की ओर संकेत किया है कि भारत में 14-49 वर्ष की 70 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह उभर कर आया है कि देश में 25 वर्ष से कम उम्र की पत्नियां पति के उत्पीड़न का अधिक शिकार होती हैं। शिक्षित पत्नियों की अपेक्षा अशिक्षित पत्नियां घरेलू हिंसा का अधिक शिकार होती हैं, ऐसा भी अनुमान है कि हर पांच में से दो विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा के विष का घूंट पीना पड़ता है। पुरुष वर्ग की नशाखोरी, जुआखोरी व कुत्सिक प्रवृत्तियों के कारण भी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। यही नहीं आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी महिलाएं विविध प्रकार से घरेलू हिंसा का जहर पीने का बाध्य हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरेलू हिंसा से मिली शारीरिक चोटों से लेकर दीर्घकालीन अवसाद यानी डिप्रेषन तक स्वास्थ्य समस्याओं की सूची लंबी हो रही है खासकर के गर्भावस्था के दौरान घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप कम वजन के शिशुओं का जन्म हो रहा है। घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं अपने परिवार, अपने बच्चों की देखभाल, संरक्षण व विकास सक्षम व सुचारु रूप से सम्पादित नहीं कर पाती। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है तथा परिवार जैसी महत्वपूर्ण इकाई के विघटन की तलवार लटक जाती है। ऐसे परिवारों के विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है ऐसे परिवार के बच्चों में हीनभावना, अवसाद, शंकालू, कमजोर मनोबल जैसी प्रवृत्तियां पनपने से समाज का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है बच्चों के गैर कानूनी व सामाजिक अपराध के भंवर में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। घरेलू हिंसा का जहर परिवार के साथ-साथ पड़ोस, समाज व देश को भी झेलना पड़ता है पारिवारिक विघटन होने पर सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगती है।

कन्या भ्रूण हत्या— शक्ति ज्ञान व सम्पत्ति की प्रतीक नारी को देवी तो मानते हैं पर फिर उसे दुनिया में नहीं आने देते। अल्ट्रासाउंड तकनीक का विकास गर्भ में बीमारियों का पता लगाने के लिए किया गया था, वह तकनीक आज बच्चे के लिंग जांच कर कन्या भ्रूण हत्या का अचूक नुस्खे के रूप में इकितयार की जा रही है। 2011 में जनगणना सर्वे के अनुसार 0-6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में प्रति एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 914 रह गई। सन् 1991 में लड़कियों की संख्या प्रति हजार 933 तथा 2001 में 927 थी। सर्वेक्षण के मुताबित देश के बड़े शहरों — महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, आदि में 914 से भी कम प्रतिशत रहा। पंजाब हरियाणा में यह आंकड़ा क्रमशः 846 तथा 830 रहा। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आते हैं कि भारत में 1986 से लेकर 2006 में एक करोड़ बच्चियों को गर्भ में ही मार डाला गया। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति के अनुसार एशियाई देशों (विशेषकर भारत व चीन में 11 करोड़ 70 लाख कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी गई) भारत

में प्रतिवर्ष 1 करोड 12 लाख गर्भपात होते हैं। जिनमें 67 लाख स्वभाविक न होकर प्रेरित होते हैं, जो बालिका भ्रूण हत्या के निमित्त बनते हैं। देश में 1 करोड बालिकाओं की कोख में ही हत्या कर दी जाती है। इसे रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत इस तरह गर्भस्थ शिशु की लिंग पहचान करने वाले डॉक्टर को 50 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। सितम्बर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों से इस दिशा में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए, ये आदेश वालेन्टरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब की याचिका की सुनवाई पर किया गया। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीएनडीटी) एक्ट के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकारें अस्पताल व डायग्नोस्टिक सेन्टरों पर कड़ी नजर नहीं रखती, इसके कारण महिला लिंगानुपात की स्थिति बिगड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा हैल्पलाइन टोल फ्री नम्बर पर किसी व्यक्ति द्वारा (पीसीपीएनडीटीए) के उल्लंघन तथा कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है शिकायत सही पाये जाने पर मुखबिर को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

बालविवाह— भारत में बालविवाह जैसी समस्या सदियों से चली आ रही है। 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 47 प्रतिशत बालिकाओं का नाबालिग रहते हुए ही विवाह कर दिया जाता है। यद्यपि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर महाराष्ट्र में गर्भवती स्त्रियां पहले ही तय कर लेती हैं कि उनमें एक लड़का व दूसरी के लड़की हुई तो वे विवाह कर देगीं। राजस्थान में आज भी आखातीज के अवसर पर दूध पीते बच्चों को गोद में बिठाकर विवाह कर दिया जाता है। कम आयु में विवाह होने, सन्तानें होने व पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है। वे बीमार बनी रहती हैं, फलस्वरूप मृत्यु दर बढ़ जाती है। औसत जीवन अवधि घट जाती है और सन्तानें दुर्बल पैदा होती हैं। पहली बार 1929 में बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम पारित किया गया। 1978 में व्यापक रूप दिया गया है। सन् 2006 में निर्मित बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 10 जनवरी 2007 से यह लागू किया गया। इस अधिनियम में बाल विवाह रोकने के लिए सशक्त कदम उठाये गए। इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत बाल विवाह करने वाले को दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। धारा 10 के तहत बाल विवाह सम्पन्न कराने वाले, दुष्प्रेरित करने वाले को भी दो वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। नए अधिनियम की धारा 15 के तहत इसे दण्डनीय अपराध मानते हुए कठोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बाल विवाह की सूचना कोई भी जानकार थाने में जाकर दे सकता है उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। पुलिस पूछताछ कर मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजती है। इसके आधार पर बाल विवाह में लिप्त अपराधियों को सजा दी जायेगी। बाल विवाह करवाने वाले को 3 माह की कैद 1000 रु0 जुर्माना या कैद व जुर्माना दोनों हो सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर ऐसे विवाह को रोकवाने की कार्यवाही भी कर सकती है।

विधवा पुनर्विवाह निषेध— विधवाओं को पति की मृत्यु के बाद नारकीय जीवन जीना पड़ता है। इससे सती प्रथा का प्रचलन हुआ, समाज में अनैतिकता व व्याभिचार में वृद्धि हुई, आर्थिक संकटों व पारिवारिक संघर्षों से तंग आकर ज्यादातर विधवाएं वैश्यावृत्ति अपना लेती हैं। विधवा विवाह निषेध से हिन्दू समाज की लाखों विधवाओं को दुखी जीवन जीना पड़ता है, उन्हें डायन, अनिष्टकारी जैसी संज्ञा दी जाती है। परिवार के नजदीकी रिश्तेदार एवं असामाजिक तत्व उसकी देह लूटने का प्रयास करते हैं, यदि वह जाल में फंस गई तो सारा दोष उसी पर मढ़ दिया जाता है।

सती-प्रथा — प्राचीन समय से चली आ रही इस परम्परा में किसी महिला के पति की मौत होने पर उसकी पत्नी को जीवित जला दिया जाता था, ये मानवाधिकारों के विरुद्ध है। 1988 में भारत सरकार सती निषेध अधिनियम 1987 पारित किया। इसके अन्तर्गत ऐसा करने के लिए उकसाने, दुष्प्रेरित करने पर मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास तथा जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, साथ ही जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर को सती कर्म को रोकने इससे सम्बन्धित सम्पत्ति जब्त करने तथा सती पूजा अर्चना के स्थानों को हटाने हेतु सशक्त किया गया है। यदि उनके इन कर्मों में कोई बाधा पहुंचाता है तो दण्ड व जुर्माने का भी प्रावधान है। इस आरोप में दोषी सिद्ध व्यक्ति को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जनप्रतिनिधित्व हेतु अयोग्य माना गया है।

दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या

गृह मंत्रालय की अपराध पंजीकरण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार 1987 से लेकर 1991 तक दहेज के कारण हत्याओं में 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में देश में दहेज प्रताड़ना में 99,135 मामलों, 2012 में 1,06,527 मामलों व 2013 में 1,97,762 मामलों दाखिल हुए। नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2011 में 47,746 महिलाओं ने व 2012 में 46,992 महिलाओं ने आत्महत्या की। छोटे-छोटे घरेलू विवाद दहेज प्रताड़ना में तबदील हो रहे हैं। कई बार बहू और उनके परिवार वाले अन्य मामलों में विवाद का बदला लेने के लिए इस कानून का सहारा लेती हैं। देश में प्रतिदिन 33 तथा प्रतिवर्ष 5000 हत्याएं दहेज से सम्बन्धित होती हैं। राजस्थान में वर्ष 2009 और 2010 में प्रति एक लाख महिलाओं पर 5 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। 2012 में 8233 महिलाओं की

हत्या दहेज के कारण हुई।

दहेज पीडित महिलाओं का अध्ययन करने के बाद आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आये हैं।

- दहेज प्रताड़ना से पीडित महिला शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में शोषित होती है।
- दहेज प्रताड़ना में आयु कोई मायने नहीं रखती, हर जाति, वर्ग, धर्म में यह बुराई फैल रही है। जिसमें महिलाओं का जीवन उसकी बलि पर होम कर दिया जाता है।
- दहेज प्रताड़ना संयुक्त परिवारों में अधिक पाई जाती है।
- 95-100 प्रतिशत पीडिताओं के प्रति दहेज की मांग पूरी करने के पश्चात् भी ससुराल वालों का रुख अपेक्षापूर्ण नहीं रहा।
- 60-65 प्रतिशत पीडित पक्ष ने दहेज की मांग को कर्जा देकर चुकाया और 35-40 प्रतिशत स्वयं की सम्पत्ति द्वारा दहेज की मांग को पूरा किया।
- 55-60 प्रतिशत पीडिताओं के प्रति विवाह के तुरंत बाद दुर्व्यवहार शुरू हो गया, जबकि 40-45 प्रतिशत के साथ बच्चा होने के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया।
- 90-95 प्रतिशत दहेज प्रताड़नाओं में पीडिताओं की सास, पति तथा 75 प्रतिशत में ससुर, ननद और 60 प्रतिशत में देवर की भूमिका मुख्य रही।
- 90-100 प्रतिशत पीडिताओं ने अत्याचारों को पहले चुपचाप सहन कर लिया, जब अत्याचार असहनीय हो गया तभी इसकी सूचना पीहर पक्ष को दी। अधिकांशतः दहेज प्रताड़िताओं ने उन पर होने वाले अत्याचारों की सूचना विलम्ब से पुलिस को दी क्योंकि उन्हें अपने और परिवार वालों की बदनामी का भय था।
- 80-90 प्रतिशत पीडिताओं को दहेज के कारण प्रताड़ित करके घर से निकाल दिया गया।
- दहेज प्रताड़नाओं के लिए 40-45 प्रतिशत पीडिताओं के ससुराल वालों को दहेज प्रताड़ना के लिए डराया व समझाया गया और 25-30 प्रतिशत ने स्वयं पीडिता को ही यह कहकर समझाया कि सबकुछ ठीक हो जाएगा और 20-25 प्रतिशत ने दहेज की मांग के प्रति असमर्थता जताई।

अधिकांशतः मृतकाएं विवाह के पश्चात् 6 से 24 महीने तक दहेज के लिए प्रताड़ना को सहन करती रही। विवाह के दो वर्ष के भीतर ही उन्हें मार दिया गया। अत्याचारों की सूचना मिलने पर 60-65 प्रतिशत पीडिताओं को उनके पीहर वालों ने समझाया और 30-35 प्रतिशत पीडिताओं के ससुराल वालों को डराया समझाया गया। मृतकाओं में से 45-50 प्रतिशत को जलाकर 20-25 प्रतिशत को जहर देकर 20-25 प्रतिशत को फांसी देकर और 5-10 प्रतिशत को गला दबाकर मारा गया है। अधिकांश मृतकाओं की संताने ननिहाल पक्ष में रह रही है।

दहेज प्रताड़ना कानून 1961-धारा 498ए के तहत दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने पर उसके पति व अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान है। दहेज उत्पीड़न में आत्महत्या के दुष्प्रेरक व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। धारा 304 (ख) के अन्तर्गत दहेज मृत्यु को अपराध मानते हुए कम से कम सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया जायेगा।

दहेज प्रताड़ना का मामला गैर जमानती है। दहेज लेना व देना, सहायता करना व मांगना कानूनी अपराध है। दहेज लेना व देने के जुर्म में पांच साल तक की कैद और पन्द्रह हजार रुपये जुर्माना तथा इससे ज्यादा राशि पर दहेज की रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है। इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कई बार यह कानून लीगल टेरेरिज्म यानी कानूनी आतंक का रूप ले लेता है। लडके व उसके परिवार वाले पति पत्नी के बीच अहं, मामूली पारिवारिक विवाद, अलग रहने की इच्छा के चलते इस कानून का दुरुपयोग करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग का जिक्र करते हुए बताया कि कानून सुरक्षा कवच के बजाय हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। 2012 में कोर्ट के अनुसार धारा 498 के तहत अपराध के लिए 19,772 व्यक्ति गिरफ्तार किये और गिरफ्तार किये व्यक्तियों में करीब एक चौथाई पतियों की मां, बहन, व बुजुर्ग थे, जो भारतीय दंड संहिता के तहत हुए कुल अपराधों का 4.5 फीसदी है। 498ए के मामलों में चार्जशीट की दर 93.6 प्रतिशत, जबकि सजा की दर मात्र 1.5 प्रतिशत है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कानून का प्रयोग कर महिलाएं झूठे मुकदमें दर्ज करवाती हैं। कई बार तो साथ न रहने वाले सास ससुर को भी दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जाता है। एक सर्वेक्षण में पुष्टि की गई, जिसमें विख्यात पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी भी शामिल थी। दहेज विरोधी कानून के तहत जितने भी मुकदमें दर्ज कराए जाते हैं, उनमें से अधिकांश झूठे व निराधार होते हैं। इस कानून को लडकियों ने ससुराल वालों से पैसा उगाहने का जरिया बना लिया है। इस कानून के दुरुपयोग के कारण घर बर्बाद हो रहे हैं बच्चों से भी कोर्ट में झूठ बुलवाया जा रहा है। ये कानून सम्पत्ति लेन-देन का जरिया

बनता जा रहा है। इस कानून के तहत मिले अधिकारों से लैस पुलिस प्रशासन व वकील भी आतंकवादी बनते जा रहे हैं, पैसे लेकर केस रजिस्टर कर रहे हैं। वकील विवाहित लड़कियों को गलत सलाह दे रहे हैं। 498ए के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत प्रतिमाह अपने और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की राशि मांगने का केस दाखिल करने की सलाह दे रहे हैं। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को दहेज प्रताड़ना से बचाना था लेकिन इसका प्रयोग पुरुषों के विरुद्ध हो रहा है। पत्नियां इस कानून का सहारा लेकर पतियों को ब्लेकमेल कर रही हैं। घर परिवार से अलग होने, जमीन जायदाद अपने नाम करने की धमकी दे रही हैं। दहेज प्रताड़ना के मामलों में धारा 498ए के तहत बड़ी तादाद में हो रही गिरफ्तारी और इसके बढ़ते आतंक पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। 2 जुलाई 2014 को दहेज से जुड़े मामलों पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के समय पुलिस के लिए निजी आजादी व सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाये रखना बहुत जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस दहेज प्रताड़ना सहित 7 साल तक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में केस दर्ज होते ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती उसे गिरफ्तार के लिए पर्याप्त कारण बताने होंगे। 498ए में कोई शिकायत आये तो गिरफ्तारी तब तक न हो जब तक कोई सबूत व गवाही उपलब्ध न हो, एफ.आई.आर की एप्लीकेशन में जो आरोप जैसे विवाह में दहेज की मांग लगाया जा रहा हो तो उसे साबित करने के लिए 2 गवाह और सबूत मांगे जाने चाहिये, तभी एफ.आई.आर दर्ज की जानी चाहिये, ताकि 498ए के संज्ञेय व गैर जमानती होने के कारण असंतुष्ट व लालची पत्नियां इस कवच का इस्तेमाल सुरक्षा कवच के बजाय हथियार के रूप में न कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे भी प्रावधान होने चाहिये जिनमें केस को लम्बित रखने व केस के झूठे होने पर वादी को सजा मिल सके, ताकि 498ए कानून के दुरुपयोग को रोका जा सके। कोर्ट ने पुलिस को भी यह हिदायत दी कि दहेज उत्पीड़न केस में आरोपी की गिरफ्तारी सिर्फ जरूरी होने पर ही की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन किन्हीं मामलों में 7 साल की सजा हो सकती है उनकी गिरफ्तारी सिर्फ इसी आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने यह अपराध किया ही होगा। इस कानून के दुरुपयोग ने शादी जैसे पवित्र बंधन को तोड़ना आसान बना दिया।

सुझाव:—इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को यह जिम्मेदारी दी जाये कि उनके क्षेत्र में होने वाली शादी में लड़की वालों की तरफ से दिये गये सामान की सूची का रिकार्ड रखा जाये। दहेज देने वाले व लेने वाले दोनों को गुनाहगार मानना होगा। सिर्फ लेने वालों के खिलाफ केस दर्ज हो, लेकिन देने वालों के खिलाफ नहीं इसे बदलना होगा। शादी के समय लेने-देने को पंजीकृत किया जाये, ताकि ये निर्धारित हो जाये कि ये दान स्वरूप है या दहेज स्वरूप है, यदि दहेज स्वरूप है तो शादी को तुरंत खारिज कर दिया जाए तथा दहेज लेने व देने वालों को तुरंत जेल भेज दिया जाये तथा उनकी कमाई के स्रोतों की जांच हो ताकि उस पर टैक्स लगाया जा सके।

दहेज हत्या को रोकने में पुलिस कार्यवाही, न्यायालय अन्वेषण और चिकित्सीय परीक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दहेज के लालची लोग एक निर्दोष अबला को मौत के घाट उतार देते हैं, इस सामाजिक अपराध को कम करने में यदि पुलिस अपने कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता के द्वारा कार्य करे, घटना घटित होते ही तुरंत सक्रिय हो, मुकदमा दर्ज करे, पीड़िता के प्रति सहानुभूति रखे, सहयोगी रूख अपनाएं, अपराधियों का कच्चा चिट्ठा अदालत में प्रस्तुत करे तो ऐसी घटनाओं के घटने में काफी कमी आ सकती है।

वैश्यावृत्ति व देह व्यापार का अनैतिक धंधा

महात्मा गांधी का कथन— “वैश्यावृत्ति मानव समाज के लिए कलंक है।” राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 60 हजार से भी अधिक बच्चियों को बड़े शहरों में लाकर वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। यहां तक कि नेपाल व बांग्लादेश से भी बच्चियां लायी जाती हैं। वर्ष 2013-2014 में गायब हुई 45 प्रतिषत बच्चों की वैश्यावृत्ति के लिए तस्करी की गई। देश में 2004 में वैश्यावृत्ति में लगी महिलाओं व युवतियों का सर्वेक्षण महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा करवाया गया। इस सर्वे के अनुसार देश में उस समय इनकी संख्या 28 लाख थी। इनमें से 36 प्रतिशत बच्चियां थी। सीबीआई की रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत में रेडलाइट क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक महिलाएं वैश्यावृत्ति का शिकार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में 612 जिलों में किये गये अध्ययन के मुताबिक आधे से अधिक जिलों में यौन शोषण के लिए नाबालिग युवतियों, महिलाओं की तस्करी होती है। देह व्यापार के लिए महिलाएं मजबूर हैं, यहां तक कि पिता, भाई ग्राहक ढूँढ कर लाते हैं।

देश में वैश्यावृत्ति की राज्यवार स्थिति (2013-2014 के अनुसार)

| राज्य | संख्या |
|--------------|------------------|
| महाराष्ट्र | 4,01,300 |
| पश्चिम बंगाल | 3,67,058 |
| आंध्रप्रदेश | 3,20,024 |
| तमिलनाडु | 3,03,750 |
| उत्तरप्रदेश | 2,71,868 |
| कर्नाटक | 2,00,701 |
| राजस्थान | 1,67,305 |
| गुजरात | 1,46,950 |
| मध्यप्रदेश | 1,44,338 |
| कुल | 28,27,534 |

भारत में 1956 में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम पारित किया गया। वैश्यावृत्ति की ओर धकेलने वाले 2-5 वर्ष का कारावास व 2000 रुपये का दण्ड का प्रावधान है। सन् 1986 में वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम व स्त्री अषिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम पारित किया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के द्वारा जारी की गई 2011 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 572, मुम्बई में 221, बेंगलुरु में 97, चेन्नई में 76, जयपुर में 92, महिला दुष्कर्म के अपराध दर्ज हुए। दिल्ली सरकार के द्वारा कराए गये एक सर्वेक्षण के मुताबिक राजधानी में 80 फीसदी महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करती हैं, विडम्बना यह है कि देश में महिलाओं की अस्मिता न घर में और न बाहर, न शिक्षा मंदिर, न पुलिस थाना, न छात्रावास, न जेल कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लचर कानून व्यवस्था ही ऐसे अपराधियों को निडर बना देती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में प्रति तीन मिनट में एक महिला का उत्पीड़न, प्रति 15 मिनट में 1 महिला से छेड़छाड़, प्रति 9 मिनट में पतियों के द्वारा उत्पीड़न, प्रति 77 मिनट में दहेज हत्या, प्रति 22 मिनट में बलात्कार होते हैं, जो एक घोर चिन्तनीय विषय है। 20 वर्षों में भारत में अदालतों में लम्बित महिला अपराधों का प्रतिशत 76 से बढ़कर 83 हो गया और सजायाबी का प्रतिशत 1991 में 41 प्रतिशत था जो 2000 में 29.8 और 2011 में घटकर 26.6 रह गया है, अर्थात् प्रति चार गिरफ्तार किये गए अपराधियों में से 3 छूट जाते हैं तथा अदालत में अपराध निपटाने में वर्षों लग जाते हैं तो पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा। घरेलू हिंसा से निजात महिलाएं तभी पा सकती हैं जब उन्हें मानसिक, वैचारिक, और शारीरिक रूप से आजादी मिलेगी। कितने भी कानून बन जाये जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक यह कानून यूं ही दम तोड़ते रहेंगे। कानून का क्रियान्वयन भी उतनी ही ईमानदारी से किया जाये जितना की उसका निर्माण किया गया है। भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में निरन्तर घटती जा रही है। 2001 के आंकड़ों के अनुसार 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। 76 प्रतिशत मर्दों की तुलना में 54 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों को बहुत कम स्कूल भेजा जाता है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या अधिक होती है। जमीन और सम्पत्ति के अधिकारों में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, न तो उनके नाम से कोई सम्पत्ति रजिस्टर्ड होती है और न ही पिता की सम्पत्ति में उन्हें हिस्सा मिलता है और न ही पति की पैतृक सम्पत्ति में तलाक के बाद भी उनका अधिकार होता है। 2005 में उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया गया, जिसके तहत पैतृक सम्पत्ति में बेटों के समान बेटियों को भी उत्तराधिकार प्रदान किया गया। औरतें जीवन भर हिंसा की शिकार होती हैं। महिलाओं के प्रति घटित कुल अपराधों में 2012 की स्थिति के अन्तर्गत राजस्थान चौथे स्थान पर है और पति के द्वारा क्रूरता के मामलों में राजस्थान भारत में तीसरे स्थान पर है। जयपुर शहर में वर्ष 2012 में प्रति 65 मिनट में एक बलात्कार की घटना घटती है, जबकि यह आकड़े अहमदाबाद में 139 मिनट, कोलकाता में 128 मिनट, बेंगलुरु में 97 मिनट, और चेन्नई में 93 मिनट रहा है। 2012 में महिला अपराधों की दृष्टि से दिल्ली, मुम्बई, जयपुर प्रमुख स्थानों पर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच की रही है। राजस्थान में वर्ष 2012 में घटित 2049 बलात्कार के मामलों में अपराधियों में 44 मामलों में अपराधी पिता व परिवार का सदस्य, 174 मामलों में निकट का रिश्तेदार, 582 मामलों में पड़ोसी, 1213 मामलों में अन्य परिचित व्यक्ति रहें हैं अर्थात् महिला घर की चार दीवारी में भी सुरक्षित नहीं है। 2012 में राजस्थान राज्य में 202 दलित वर्ग महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई हैं जो राष्ट्रीयता के स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

बलात्कार की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।

| वर्ष | बलात्कार |
|------|----------|
| 2008 | 21467 |
| 2009 | 21397 |
| 2010 | 22172 |
| 2011 | 24206 |
| 2012 | 24993 |
| 2013 | 34182 |

16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में एक छात्रा के साथ बर्बर गैंगरेप के बाद तो ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार देश में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, हर 44 मिनट में एक महिला का अपहरण तथा हर 24 घण्टे में 17 महिलाएं दहेज हत्या की शिकार होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2013 में भारत के 88 शहरों में दिल्ली, मुंबई के बाद जयपुर महिला अपराधों में तीसरे स्थान पर है। महिला उत्पीड़न में अपराध धारा 498 (क) के अन्तर्गत न्यूनतम 5 से 10 वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला को किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाने हेतु बाध्य करना, बलपूर्वक असहाय या धोखे में रखकर अपहरण में अपराध धारा 360 से 369 तक अपहरण की श्रेणी में आते हैं। इस हेतु अलग-अलग सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। केन्द्र व राज्य सरकारों के महिला सुरक्षा के तमाम प्रयासों के बावजूद न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों व गांवों में भी महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। महिला उत्पीड़न के मामलों में 40 प्रतिशत ऐसे मामले हैं जिसमें अवयस्क बालिकाएं शिकार हुई हैं, इनमें भी 60 प्रतिशत मामलों ही पुलिस में दर्ज होते हैं, इनमें भी अदालत 12.6 प्रतिशत मामलों निबटा पाई है।

वर्तमान अध्ययन में महिला उत्पीड़न पर किये गये शोध में प्राप्त तथ्यों और आंकड़ों के विप्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि:-

- बलात्कार पीडित महिला के साथ समाज व सहयोगियों का व्यवहार उपेक्षापूर्ण व असहयोगात्मक होता है।
- इस अध्ययन के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि बलात्कार की घटना घटित होने के पश्चात् परिवार का रुख सहानुभूतिपूर्ण रहता है। लेकिन जब पुलिस में रिपोर्ट करने की बात आती है तब यह सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के स्थान पर उपेक्षापूर्ण व्यवहार की शुरुआत हो जाती है।
- बलात्कार के मामलों में अपराधी के लिए पीडिता की आयु कोई मायने नहीं रखती है।
- बलात्कार की घटनाएं अशिक्षित महिलाओं की अपेक्षा शिक्षित महिलाओं के साथ अधिक घटित हुई हैं।
- बलात्कार अविवाहित महिलाओं की अपेक्षा विवाहित महिलाओं के साथ अधिक हो रहा है।
- 90 प्रतिशत पीडिताओं के साथ बलात्कार विवाहित पुरुषों द्वारा किया गया है।
- बलात्कार की घटना घरेलू महिलाओं की उपेक्षा कामकाजी महिलाओं के साथ अधिक घटित हो रही है।
- आज बलात्कार से कोई भी समाज, वर्ग, जाति अछूते नहीं रहें हैं।
- 32 प्रतिशत पीडिताओं के साथ बलात्कार की घटना उनके स्वयं की घर में, 16 प्रतिशत के साथ अभियुक्त के घर में, 20 प्रतिशत के साथ एकांत में तथा 28 प्रतिशत के साथ उनके कार्यस्थल पर घटित हुई है।
- 60 प्रतिशत पीडिताओं पर बलात्कार से पूर्व किसी भी प्रकार दबाव नहीं था।
- 80 प्रतिशत पीडिताओं से बलात्कारी व्यक्ति पूर्व परिचित थे।
- 60-70 प्रतिशत पीडिताएं डॉक्टरी जांच से सन्तुष्ट नहीं पायी गईं।
- 60-70 प्रतिशत पीडिताएं बलात्कार की घटना के कारण सामाजिक दुर्बलता तथा पुरुष प्रधानता को मानती हैं।
- 100 प्रतिशत पीडिताएं बलात्कार की घटना को अतिगम्भीर विषय मानती हैं।
- 100 प्रतिशत पीडित महिलाएं समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती।
- बलात्कार पीडिता के जीवन की त्रासदी बनकर रह जाती है, यह हर पल अपनी ही दृष्टि में गिरी हुई आत्मग्लानि से दबी सुबक-सुबक कर रोती हुई जिन्दगी व्यतीत करती है।

घरेलू हिंसा की रोकथाम के उपाय

पिछले एक दशक में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों व हिंसा का ग्राफ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि घरेलू हिंसा को रोकने के लिये अनवरत् कानून बना कर महिलाओं को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई है। इनमें घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 इस दिशा में सबसे प्रभावी एवं व्यावहारिक कदम है, पर इसके बावजूद भी घरेलू हिंसा

थमने का नाम नहीं ले रही है। महिलाओं में हिंसा के 38 प्रतिशत मामलों घरेलू हिंसा का ही परिणाम होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की शीघ्र व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पर दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पुलिस ऐसी शिकायतों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती यहां तक की बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहां पर्याप्त महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाने और सुधारने के लिए शिक्षा, जागरूकता प्रत्यायन आचार, सार्वजनिक प्रभाव और सामुदायिक कार्यों द्वारा ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा। महिलाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में सर्वोच्च स्तर पर रही है, क्योंकि उन्होंने हर घर में शौचालय बनाने की बात रखी तो उसका संबंध नारी अस्मिता और शौच के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं से जोड़ा गया, जिसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी है। गांव और कस्बों में रात के अंधेरे में जब महिलाएं शौच के लिए निकलती थीं तब उनके साथ छेड़खानी या बलात्कार जैसी कितनी ही हिंसक घटनाएं होती थीं। शौचालय बनने से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगी है।

भारत में फास्ट ट्रेक अदालतों की सूची वर्ष 2011 की रिपोर्ट के अनुसार—

| क्र.सं | राज्यों के नाम | वर्ष 2000 | वर्ष 2005 | वर्ष 2011 |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | उत्तरप्रदेश | 242 | 242 | 153 |
| 2 | महाराष्ट्र | 187 | 187 | 51 |
| 3 | बिहार | 183 | 150 | 179 |
| 4 | गुजरात | 166 | 166 | 61 |
| 5 | पश्चिम बंगाल | 152 | 119 | 109 |
| 6 | राजस्थान | 83 | 83 | 83 |
| 7 | कर्नाटक | 93 | 93 | 87 |
| 8 | मध्यप्रदेश | 85 | 66 | 84 |
| 9 | आंध्रप्रदेश | 86 | 87 | 108 |
| 10 | ओडिशा | 72 | 41 | 35 |
| कुल | | 1734 | 1562 | 1192 |

भारत में राज्यवार कार्यरत पारिवारिक न्यायालयों की सूची (31.10.2014 को जारी)

| क्र.सं | राज्य | पारिवारिक न्यायालयों की संख्या |
|--------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | बिहार | 33 |
| 2 | मध्यप्रदेश | 31 |
| 3 | केरल | 28 |
| 4 | राजस्थान | 28 |
| 5 | आंध्रप्रदेश, तेलंगाना | 27 |
| 6 | महाराष्ट्र | 25 |
| 7 | ओडिशा | 17 |
| 8 | गुजरात | 17 |
| 9 | दिल्ली | 15 |
| 10 | कुल | 410 |

पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। देश में 763 फैमिली कोर्ट कार्य कर रहे हैं।

राज्य व राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला पुलिस, अधिकारियों व महिला पुलिस थाने, फास्ट ट्रेक अदालतें, पारिवारिक न्यायालय जैसे अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं, परन्तु महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कुछ मूलभूत प्रश्नों की ओर हमें अभी भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। औरतों के अधिकारों के प्रति उदासीनता पर समाज को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

विश्व में 125 से भी अधिक देशों में घरेलू हिंसा को गैर कानूनी घोषित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा को रोकने हेतु अनवरत प्रयास किये गए। विभिन्न अधिनियम पारित करके महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया।

इनमें —

1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम— 1929

2 हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार अधिनियम —1937

3 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम— 1954

- 4 हिन्दू विवाह अधिनियम- 1955
- 5 प्रसव लाभ अधिनियम -1961
- 6 दहेज प्रतिबंध अधिनियम -1961
- 7 गर्भवती उपचार अधिनियम- 1971
- 8 समान पारिश्रमिक अधिनियम -1976
- 9 बाल विवाह निषेध अधिनियम- 1976
- 10 स्त्री अपशिष्ट निरूपण अधिनियम -1986
- 11 सती निषेध अधिनियम- 1987
- 12 प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम -1994
- 13 भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001
- 14 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम -2005
- 15 उत्तराधिकार संशोधन कानून- 2005
- 16 महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध निवारण विधेयक- 2012
- 17 महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक- 2013

घरेलू हिंसा अधिनियम- 2005 के तहत किये गये प्रावधान:-

निसंदेह महिला सशक्तिकरण की दिशा में ठोस ,व्यावहारिक व प्रभावी कदम साबित होगा। इस कानून के माध्यम से घरेलू महिलाओं को हिंसा, अत्याचार व उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी। इस कानून के तहत शारीरिक , भावनात्मक व आर्थिक शोषण, धमकी, गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, अपमान करना, बच्चा नहीं होने पर, दहेज के लिए प्रताड़ित करना आदि घरेलू हिंसा की परिधि में समावेशित किये गये हैं। इस कानून के द्वारा ऐसी महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की गई है जो बिना विवाह बंधन के किसी पुरुष के साथ रह रही हैं। इस कानून के तहत महिलाओं से ऊंची आवाज में बोलने, ताने मारने, व्यंग्य करने तक को अपराध की श्रेणी में माना गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को गैर जमानती अपराध मानते हुए 1 वर्ष की सजा या 20 हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं की आर्थिक व वित्तीय आवश्यकताओं की परिपूर्ति नहीं करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है। इस अधिनियम के तहत किसी भी हालत में घरेलू महिला को घर से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये अधिनियम महिलाओं को अत्याचार व प्रताड़ना के विरुद्ध सशक्त संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम को लागू करने से लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। इस कानून को 5 भागों में बांटा गया है।

1. प्रथम अध्याय में मुख्य बातों को पारिभाषित किया गया है।
2. द्वितीय अध्याय में घरेलू हिंसा सम्बन्धी विशेष वर्णन व इससे सम्बन्धित विविध पहलुओं की व्यवस्था की गई है।
3. तीसरे अध्याय में सुरक्षा अधिकारियों व सेवा प्रदाताओं के अधिकारों व कर्तव्यों का उल्लेख है।
4. चतुर्थ अध्याय में प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों की विस्तृत व्याख्या की गई है।
5. पंचम में दण्ड अपराध व सुरक्षाकर्मियों व सेवा प्रदाताओं की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

यही नहीं इस कानून के अन्तर्गत सेवा प्रदाता (धारा 10) का भी प्रावधान किया गया है। जो कोई भी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संगठन हो सकती है, जो चिकित्सा कानूनी व वित्तीय सहायता जैसे तरीके द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित हो तथा संस्था व कम्पनी राज्य सरकार के पास पंजीकृत हो।

इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैं:-

- धारा-5 के अधीन उन अधिकारों व अनुतोष के बारे में जानने, संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता की सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- धारा-18 के अधीन घरेलू हिंसा के कृत्यों से स्वयं और अपने बच्चों के लिए संरक्षण प्राप्त करना।
- धारा-18 के अधीन अपने स्त्रीधन, गहने, कपड़े और दैनिक उपभोग की वस्तुएं व अन्य घरेलू सामान वापस कब्जे में लेना।

- धारा- 6,7,914 के तहत चिकित्सा सहायता, आश्रय, परामर्श व विधिक सहायता प्राप्त करना।
- धारा-22 के अधीन घरेलू हिंसा के कारण हुई शारीरिक एवं मानसिक क्षति या अन्य आर्थिक नुकसान के लिए प्रतिकर।
- धारा- 12,18,19,21,22,23 के अधीन शिकायत करने या किसी न्यायालय में सीधे ही अनुतोष के लिए आवेदन करना।
- किसी खतरे से बचाव के लिए पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता लेना।
- धारा-18 के तहत न्यायालय की अनुज्ञा के बिना संयुक्त बैंक खाते या लॉकरो का प्रचालन ना करने के लिए आदेश प्राप्त करना।
- धारा-19 के तहत घर में शांतिपूर्वक निवास करने तथा जिस घर में आप रह रही है, उस पर कोई ऋण न लेने या मकान बेचने से रोकने के संबंध में आदेश प्राप्त करना।
- धारा-18 के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्तियों को उनसे सम्पर्क तथा पत्र व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

घरेलू हिंसा से ग्रस्त महिलाएं किसी खतरे, संकट या विपदा से निपटने हेतु पुलिस या संरक्षण अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। घरेलू हिंसा सम्बन्धित विविध मामलों से पीडित महिलाएं संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता आदि की सेवा व सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

ये अधिनियम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से ही रुढ़िवादी, संकीर्ण व अन्धविश्वासी समाज को आधुनिक व प्रगतिशील समाज में परिवर्तित करना सम्भव हो पाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस कानून के जरिए दादी, नानी, बहन, बेटी, पत्नी, यहां तक कि नौकरानी को भी कानून सुरक्षा कवच उपलब्ध करवा दिया गया है। इस कानून के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आवेदन पत्र पर तीन दिन के भीतर विचार किया जाये तथा 60 दिन के भीतर उसके बारे में फैसला सुना दिया जाये। यह कानून दीवानी व फौजदारी दोनों मामलों में पीडित महिलाओं को राहत प्रदान करते हुए महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबन्ध करता है। यही नहीं इस कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दण्डनीय व गैर जमानती अपराध मानते हुए इसे प्रभावी सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। निश्चित रूप से यह अधिनियम रुढ़िवादी, अन्धविश्वासी एवं पर्दाप्रथा आदि परम्परागत बन्धनों में जकड़ी महिलाएं हिम्मत व साहस का परिचय देते हुए घरेलू हिंसा की घटनाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालें उन्हें आवाज प्रदान करें। महिलाओं की सिसकियां घर की चार दीवारी में दम तोड़ देती हैं। पारिवारिक विघटन का भय, बच्चों की जिम्मेदारियां व भविष्य, समाज में बदनामी का खौफ ऐसे तत्व हैं, जो महिलाओं को मौन कर देते हैं, मौन रह कर जुल्म सहना या परिवार तोड़ना, महिलाएं इसी विवशता व असमंजस के भंवर के जाल में फंसी रहती हैं। ससुराल और पीहर पक्ष पीडित महिला को शिकायत न दर्ज करवाने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं ताकि पीडित महिला समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए घरेलू हिंसा का दंश चुपचाप झेलती रहे।

26 अक्टूबर 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी न किसी रिश्ते में बंधी स्त्री शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना की स्थिति में अदालत की शरण लेती है तो पुलिस मनमानेपन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकती है। यह कानून एक विधवा स्त्री के जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस कानून के सहारे महिलाएं कुछ सशक्त हुई हैं अब उन्हें पारिवारिक औरत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शारीरिक मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन फरवरी 2013 में भारतीयदंडसंहिता के अन्तर्गत अलग अपराधी श्रेणी 326ए और 326बी में रखा गया है। इसके तहत पीडिता को अपनी रक्षा के अधिकार के तहत हमलावर को जान से मारने का भी अधिकार दिया गया है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में बलात्कार जैसे अपराधों में अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है ताकि महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आए, मगर कहीं न कहीं समन्वय और तालमेल की कमी से अक्सर अपराधी छूट जाते हैं।

घरेलू हिंसा को रोकने में पुलिस की भूमिका:—घरेलू हिंसा से संबंधित घटनाओं में अधिकांशतः यह देखा गया है कि पीडिताएं अपने प्रति किये जाने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाती हैं। जिसका कारण सामाजिक भय तथा पुलिस का डर रहता है। इसके अलावा वह पुलिस को पूरा सहयोग भी नहीं कर पाती है। वह घटित घटना के बारे में सही बयान तथा पुलिस द्वारा पूछे गये सवालों का जबाब सही रूप में नहीं देती इससे पुलिस को अपराधी के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती और अन्वेषण में भी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि सारा केस पीडित के बयान पर ही आधारित होता है। यदि पीडिता ही बार-बार बयान बदलती है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बचने के अधिक अवसर मिल जाते हैं, यह भी देखा गया है कि महिलाएं पीहर या ससुराल पक्ष की सलाह या दबाव

के कारण ही मुकदमें दर्ज करवाती है। अधिकांशतः पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस का व्यवहार उपेक्षापूर्ण और नकारात्मक दृष्टिकोण का होता है वह केस की तहकीकात ठीक ढंग से नहीं करते हैं या इसमें अधिक समय लगाते हैं। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार ही अन्वेषण और अनुसंधान कार्यवाही करनी होती है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि पुलिस स्टाफ कम होने के या इमरजेंसी आने पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस प्रबन्ध में ड्यूटी देनी पड़ती है। जिसके कारण कई बार कार्यवाही में विलम्ब भी हो जाता है। कई बार पीडिता को मुकदमा दर्ज करवाने के बाद धमकियाँ, समझौता, प्रलोभन और दबाव से भी पुलिस को अवगत नहीं करवाया जाता, जब तक पीडिता स्वयं पुलिस का सहयोग नहीं करेगी पुलिस उचित कार्यवाही नहीं कर सकती है।

पीडिताओं को क्यों गैर जरूरी, लंबी पुलिस व अदालती कार्यवाही से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि उनकी कोई गलती नहीं, सिवाय इसके कि वे औरतें हैं। पुलिस थानों में रिपोर्ट लिखवाने के लिए जुल्म, अत्याचार की शिकार महिला को घंटे बैठना पड़ता है। पुलिस थानों में यह नहीं देखा जाता कि पीडिता पर क्या गुजर रही है। पुलिस की पूछताछ व मेडिकल जांच से उसे गुजरना पड़ता है। सालों पुरानी इसी प्रक्रिया के कारण महिलाएं शोषण, यातना, अत्याचार सहने के बावजूद रिपोर्ट नहीं लिखवाती हैं। मेडिकल जांच किस बेरहमी व अमानवीय तरीके से की जाती है। यह बात भी किसी सबूत की मोहताज नहीं है। बलात्कार, हिंसक लूट, छेड़खानी, अत्याचार इन सभी की शिकार महिलाओं को रिपोर्ट लिखवाने के लिए घंटों बैठना पड़ता है। यह उनकी मानसिक यंत्रणाओं को बढ़ाने वाली बात है।

वीरों की भूमि और बहादुरों के देश में मर्द लुटती युवती को देख कर दुबक जाते हैं। देश की कानून व्यवस्था और असुरक्षित माहौल को मात्र कोस कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। यदि बुजदिली छोड़कर पीडित महिला की मदद करें तो उसे सुरक्षा मिल सकती है। सामाजिक सरोकारों व नैतिक जिम्मेदारियों की बाते करके महिलाओं को पुलिस व अदालत के चक्कर में पड़ वक्त व पैसा बर्बाद करने के बजाए जागरूक बुद्धिजीवी बनना है।

देश में पहली बार 14 दिसम्बर 2017 को हरियाणा सरकार द्वारा महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरुआत की गई है इसके तहत 1000 महिला पुलिस स्वयंसेवी नियुक्त की गई है ताकि पुलिस और समुदाय के मध्य एक समन्वय बनाते हुए हर ग्राम पंचायत पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए।

देशभर में आज भी महिला पुलिस फोर्स में पुरुषों के मुकाबले 7 प्रतिशत महिलाएं ही कार्यरत हैं। ऐसे में अक्सर महिलाएं अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत करने में संकोच और लाज महसूस करती हैं। निसंदेह यह व्यवहारिक दिक्कत भी है। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अलवर गैंगरेप मामले के बाद 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं इसमें महिलाओं के अपराधों के लिए अलग से डीएसपी की नियुक्ति करना और महिलाओं की एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रत्येक जिले में एसपी की व्यवस्था की गई है। यदि थाना प्रभारी एफआईआर लिखने से मना कर दे तो एसपी स्तर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और थाना प्रभारी से इस संबंध में जबाब तलब भी किया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए राज्य सरकारों को पुलिस बलों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया। केन्द्र शासित प्रदेशों में यह कदम सरकार पहले ही उठा चुकी है। नीति आयोग ने भी कम से कम 30 प्रतिशत पदों पर सरकार से महिला पुलिसकर्मी की भर्ती की सिफारिश की है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में अच्छा प्रयास भी किया है। घरेलू हिंसा हो या दुष्कर्म का मामला पीडिता को इंसान के लिए भटकना न पड़े इस हेतु वन स्टॉप सेंटर में पीडिता की काउंसिलिंग, रिपोर्ट दर्ज कराने, कानूनी सलाह समेत रहने खाने की व्यवस्था हेतु 1 अप्रैल 2015 से यह स्कीम कार्यान्वित की गई है। पहले चरण में प्रति राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश में एक सेंटर स्वीकृत किया गया, साथ ही 2016-2017 में दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की गई। आधी आबादी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 10 दिसम्बर 2017 को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन रखी गई। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति, तकनीक, स्वयंसेवी महिला पुलिस, और समाज की इच्छा शक्ति जो बदलाव लाना चाहती है, वह मात्र कागजों, भाषणों, चुनावी घोषणाओं और कानून बना देने मात्र से नहीं होगा बल्कि वास्तविकता के धरातल पर भी इसे लागू करना होगा।

पुलिस से संबंधित महिलाओं को प्राप्त अधिकार:-

पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, इसलिए उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिये गये हैं, परन्तु इन अधिकारों का पुलिस दुरुपयोग न करें इसलिए महिलाओं को ये जानना आवश्यक है।

1. गिरफ्तारी के समय महिलाओं को प्राप्त अधिकार

➤ आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए।

➤ यह बताना भी आवश्यक है कि आपका जुर्म क्या है। पुलिस का यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि आपके

खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। जुर्म बताना भी आवश्यक है।

- कुछ अपराधों के लिए वारंट बताना जरूरी नहीं है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
- आप किसी वकील को बुलाकर कानूनी सलाह भी ले सकती हैं।
- गिरफ्तारी के समय जोर जबरदस्ती करना गैर कानूनी है।
- गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाना गैर कानूनी है।
- गिरफ्तारी के बाद तुरंत पुलिस को मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी की रिपोर्ट देनी होगी।
- गिरफ्तार की गई महिला को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना जरूरी है।
- मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखना गैर कानूनी है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो थाने पर गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजन को थाने में मौजूद रहना चाहिये।
- महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस ही कर सकती है।

2. पूछताछ के समय महिलाओं को प्राप्त अधिकार

- पूछताछ के लिए आपको थाने में या कहीं और बुलाये जाने पर आप इन्कार कर सकती हैं। आप से पूछताछ घर पर अथवा आपके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही की जायेगी।
- बिना पढ़े या बिना जाने आप किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत न करें।
- पुलिस के सामने हुआ इकरार या बयान अदालत में अमान्य है।
- मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया गया जुर्म मान्य है, किन्तु वह पुलिस के दबाव में न हो।
- जो पुलिस अधिकारी पूछताछ में शामिल हैं, उसका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिये।
- 15 साल से कम उम्र की किसी भी महिला को थाने में या अन्यत्र कहीं पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।

3. तलाशी के समय महिलाओं को प्राप्त अधिकार

- महिला के शारीरिक तलाशी महिला पुलिस ही ले सकती है।
- पुरुष पुलिस द्वारा मात्र सामान, मकान, दुकान, या सम्पत्ति की तलाशी ली जा सकती है।
- तलाशी के लिए हमेशा वारंट की आवश्यकता नहीं होती है।
- तलाशी के पहले आप तलाशी लेने वाली की तलाशी ले सकती हैं।
- तलाशी का एक पंचनामा बनाना जरूरी है जिसमें जब्त की गई वस्तु का विवरण होना चाहिये तथा इस पंचनामे पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी होने चाहिये, जो तलाशी के समय मौजूद हैं। इस पंचनामे की एक प्रति आप भी प्राप्त कर सकती हैं।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर) के दौरान की जाने वाली कार्यवाही:-

- यह रिपोर्ट मौखिक या लिखित हो सकती है।
- यदि आप अनपढ़ हैं तो आपके बताये अनुसार पुलिस लिखेगी फिर पढ़कर सुनाएगी। यदि आपको सही लगे तभी आप उस पर अंगूठा लगाये या दस्तखत करें और यदि ठीक न लगे तो दुबारा से लिखवायें।
- रिपोर्ट लिखने का कोई निश्चित तरीका नहीं है आप जैसे चाहे लिखकर दे सकती हैं।
- रिपोर्ट में समस्त आवश्यक जानकारी होनी चाहिये। जैसे नाम, पता, अपराधी का नाम, पता, हुलिया, अपराध की जानकारी, स्थान, और घटित घटना इत्यादि।
- एफ.आई.आर की एक प्रति पुलिस से अवश्य ले लें, यह आपका हक है।
- अपनी सुरक्षा के लिए रिपोर्ट लिखवाते समय कुछ जान पहचान के व्यक्तियों को अवश्य ले जाएं।

एफ.आई.आर के दौरान महिलाओं को प्राप्त अधिकार

- पुलिस द्वारा आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाये।
- एफ.आई.आर को स्वयं पढ़े या किसी से पढ़वाने के बाद ही इस पर हस्ताक्षर करें।
- पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने पर आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा स्थानीय मजिस्ट्रेट की मदद लें।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करें।

• पुलिस की चिन्तनीय स्थिति

- परन्तु सर्वे में यह पाया गया कि पुलिस का व्यवहार पीडिता के प्रति उपेक्षात्मक व नकारात्मक रहता है।

- पुलिस केवल 35 प्रतिशत अपराधियों को ही पकड़ने में सफल हो पाती है। 65 प्रतिशत अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बच जाते हैं।
- 65-70 प्रतिशत महिलाएं पुलिस कार्यवाही से असन्तुष्ट हैं।
- 65-70 प्रतिशत पीडिताओं का यह कहना है कि पुलिस रिप्लैट व पहुंच के आधार पर भी कार्य करती है।
- 65-70 प्रतिशत पीडिताओं को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पश्चाताप हुआ।
- 75 से 80 प्रतिशत पीडिताओं का मानना है कि उनके प्रति हुए अत्याचारों को विरुद्ध रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज की जाती है, जिससे अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अधिकांशतः यह देखा गया कि पीडिताएं अपने प्रति हुये अत्याचारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन स्वेच्छा से नहीं जाती हैं।

कई बार पुलिस की लापरवाही भी ऐसी घटनाओं पर नाकामयाब दिखाई देती है। ऐसी घटनाओं को देखने के बाद यह लगता है कि थानों में बैठी पुलिस किसकी मदद कर रही है। शायद गरीब या असहाय या पीडिताओं की तो नहीं, पुलिस का हाल यह है कि वह न तो वारदातें रोक पा रही है ना पीडितों की मदद कर पा रही है और न ही इन्हें इंसान दिला पा रही है। लोक अभियोजक को पुलिस अधीक्षक को यह कहना पड़ा कि उनके विभाग का रवैया न्याय दिलाने वाला नहीं है। केवल पुलिस ही नहीं अपितु जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले सांसद और विधायक महिला सुरक्षा के इस बिगड़ते हालात पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सीकर जिले में वर्ष 2011 में 50 मामलें 2012 में 55 मामलें 2013 में 73 मामलें 2014 में 79 मामलें और 2015 में अब तक 57 मामलें पुलिस के सामने आये हैं, जो बालिकाओं की सुरक्षा पर सवालिया चिन्ह है। प्रतिवर्ष दुष्कर्म के मामले निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं।

- कानून की सैद्धांतिक बनाम व्यावहारिक लड़ाई मुख्य रूप से पुलिस के लिए सिरदर्द सिद्ध होती हैं। संविधान, न्यायपालिका और जनमत के त्रिकोण के बीच में फंसी पुलिस चाहकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है, न ही दूसरा पक्ष पुलिस दुविधा को समझने का प्रयास करता है।
- पुलिस व्यवस्था की सैद्धांतिक अवधारणाओं में सुधार एवं परिवर्तन किये जाने चाहिए। जो देश, काल, समाज व व्यक्तियों द्वारा अनुकूल व्यावहारिक अवधारणाओं पर आधारित हो। सैद्धांतिक अवधारणाएं आदर्शात्मक परिस्थितियों के निर्माण की कल्पना करती हैं, जो मानवीय व्यवहार की जटिलता व अस्थिरता में संभव नहीं होती। उदाहरण उत्तरी भारत में बाल विवाह निरोधक कानून एक नितान्त सैद्धांतिक कानून है, परन्तु उसकी व्यावहारिकता लगभग शून्य है। यदि विवाह पंजीकरण अनिवार्य शर्त कर दे तो कुछ वर्षों में बाल विवाह पर अंकुश लग जायेगा। यदि विवाह पंजीयन में वर वधु की आयु सहित राशन कार्ड तथा सम्पत्ति के कई विवरण बाध्य करेंगे, तो बाल विवाह पर रोक लगाई जा सकती है।
- जाति पर आधारित समस्याएं, महिलाओं की परिस्थितियां, पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक विषमताओं व अन्य असहाय व्यक्तियों के कल्याण हेतु भारत में बहुत से कानून प्रवर्तित हैं पर फिर भी सामाजिक समस्याएं नियंत्रित नहीं हो पा रही हैं।
- गृहविभाग का मानवाधिकार प्रकोष्ठ, राज्य मानवाधिकार आयोग के साथ सम्बद्ध है। जिसमें महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी भी पदस्थापित है 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में आया। राज्य महिला आयोग के साथ महिला पुलिस थानों को भी सम्बद्ध किया गया है। राजस्थान में पहला महिला थाना गांधीनगर, जयपुर में 8 मई 1989 को खोला गया। राजस्थान पुलिस की अपराध शाखा ने अपराधियों का पता लगाने तथा खुफिया सूचनायें एकत्र करने हेतु क्राईम पुलिस हेल्पलाइन भी 1 जुलाई 2000 से शुरू की गई। जिसमें कोई भी व्यक्ति टेलीफोन नं. 1090 पर मुफ्त कॉल करके पुलिस को अपराधों की सूचना दे सकता है।
- महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने की सुविधा राजस्थान सरकार की ओर से शुरू की गई सुगम समाधान, सम्पर्क राजस्थान, राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।

www.sugamrpg.raj.nic.in

www.sampark.rajasthan.gov.in

www.rscw.rajasthan.gov.in/onlinecomplaints.aspx

www.ncw.nic.in/onlinecomplaintsvz/frmcomplaints.aspx

फेसबुक महिलाओं की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार का हेल्पलाइन नम्बर 1091 एवं 1090 है। राज्य सरकारों

व जिला प्रशासन की ओर से भी कई फेसबुक अकाउन्ट जारी किये गये हैं। असुरक्षित महसूस करने पर महिलाएं इस नम्बर पर सूचना दे सकती हैं। राजस्थान में गरिमा हेल्पलाइन नम्बर 7891091111 और 181 है।

व्हाट्सएप महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से व्हाट्सएप नम्बर दिये गये हैं। राजस्थान में 8764868100 व 8764868200 है।

सोशल मीडिया मददगार— पुलिस अधिकारी ट्वीटर पर भी शिकायत ले सकते हैं।

महिला पुलिस की भूमिका:—

2015 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला पुलिस थाने

| क्र.सं | राज्य | महिला पुलिस थाने (संख्या) |
|--------|-------------|---------------------------|
| 1 | तमिलनाडु | 196 |
| 2 | उत्तरप्रदेश | 71 |
| 3 | आंध्रप्रदेश | 32 |
| 4 | गुजरात | 31 |
| 5 | राजस्थान | 24 |
| 6 | झारखण्ड | 22 |
| 7 | मध्यप्रदेश | 09 |
| 8 | पंजाब | 05 |
| 9 | छत्तीसगढ़ | 04 |
| 10 | हरियाणा | 02 |

देश में डीजीपी, स्पेशल डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी स्तर की कुल 96 महिला अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं। अधिकारी से लेकर हेड कांस्टेबल तक में 2021 तक 2,17,026 महिलाओं की संख्या है। जो कुल पुलिस अधिकारियों का मात्र 10.5 प्रतिशत है। गृह मंत्रालय के अनुसार मिलिट्री फोर्स में 9,118 महिलाएं वर्तमान में हैं। जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीटी, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल व असम राईफल्स की कुल संख्या बल 9.8 लाख है। इनमें महिलाएं मात्र 5.33 प्रतिशत हैं। भारत में 518 पुलिस थानों की स्थापना के बावजूद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में सभी पुलिस स्टेशनों के क्रियान्वयन का लिंग आधारित हिंसा के पीड़ितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अरुणाचल प्रदेश प्रथम व हरियाणा देश का दूसरा राज्य होगा, जहां सभी जिलों में महिला थाने हैं। हरियाणा में सभी 21 जिलों में एक-एक महिला थाने की शुरुआत 28 अगस्त 2015 रक्षाबंधन के अवसर पर की गई। महिलाओं से जुड़े विशेष अपराधों की जांच केवल महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी करेंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना व पुलिस प्रताड़ना व अत्याचारों से बचाना है।

हरियाणा सिविल सचिवालय के पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल ने बताया कि महानिरीक्षकों व अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए महिला थाने स्थापित कर तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने महिला पुलिस थानों में परामर्श केन्द्र खोलने के भी निर्देश दिए, ताकि पारिवारिक झगड़ों को अदालतों में ले जाने के बजाय उन्हें आपसी सुलह से निपटाने के प्रयास किये जा सकें, उन्होंने सीएम विंडो आने वाली हर तरह की शिकायतों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में बाल विवाह, दहेज हिंसा, महिला उत्पीड़न, विधवाओं पर अत्याचार आदि में एफआईआर से लेकर समस्त पुलिस कार्यवाही महिला पुलिस के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि महिला पुलिस पीड़िता का दर्द व यातनाओं को ज्यादा भलीभांति समझ सकती है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष पुलिस का व्यवहार पीड़िता के प्रति अमानवीय व असंवेदनशील रहता है वह सारे मामलों का उत्तरदायी महिलाओं को ठहराते हैं और उन्हें समझौता करने समझाने बुझाने के लिए दबाव बनाते हैं। महिला पुलिस थाने, महिला पुलिस अधिकारी व महिला न्यायाधीशों के द्वारा महिला हिंसा संबंधी मामलों की जांच पड़ताल व सुनवाई हो ताकि पीड़िता का समय पर व सही न्याय मिल सके।

अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिये और आरोपों की समय रहते जांच की जाये। निर्दोषों को ज्यादा दिन तक आरोपों का कलंक ना ढोना पड़े। सरकार की नाकामयाबी को नकारा नहीं जा सकता भारत में बालिका यौन उत्पीड़न को न केवल पुलिस वाले अविश्वास की नजर से देखते हैं बल्कि मेडिकल परीक्षण के दौरान

भी उन्हें अपमानित होना पड़ता है। हमारे देश में यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रशासन तंत्र उपयुक्त नहीं है पुलिस मीडिया मेडिकल स्टाफ प्रशासनिक अधिकारी मुकदमों को खारिज करने में रहते हैं, ऐसे बुरे वक्त से बच्चे गुजरते हैं तो उन्हें परिवार की मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। पुलिस को पीड़िता के प्रति संवेदनशीलता मददगार बनने से संबंधित आवश्यक सुधार करने चाहिये। आज पूरी दुनिया के समक्ष बाल यौन उत्पीड़न एक बड़ी चुनौती है, जरूरत है कि अभिभावक बच्चों के साथ संवाद बनाये रखें।

इसे रोकने के लिए प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा क्राईम प्रोटेक्शन सेन्टर बनाये जाने चाहिये। यह सुविधा केवल राजधानी और बड़े शहरों में ही है। शहरों में महिलाएं अपने हक के लिए लड़ लेती हैं, पर गांव में अधिकतर महिलाएं शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी कई बार सोचती हैं। अतः गांवों तक महिला थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये।

महिला पुलिस की आवश्यकता से संबंधित तर्क:-

- घरेलू हिंसा को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती। धारा 498 (ए) के तहत काफी अधिकार प्राप्त हैं, पर पुलिस की संवेदनशीलता व मानसिकता में बदलाव नहीं आया है।
- अभी भी घरेलू हिंसा के कई मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती बल्कि रोजनामचे में ही लिख लिया जाता है। आंकड़े बढ़ जाएंगे, अतः केस दर्ज नहीं होते हैं, गांव की औरतों को एफआईआर की प्रति भी नहीं दी जाती है।
- पति द्वारा पीटना, मानसिक यंत्रणा देने को पुलिस गंभीर मुद्दा नहीं मानती, उनके अनुसार पति या ससुराल में मारा-पीटा गया तो क्या बात है, उन्हें शारीरिक चोट भी गंभीर समस्या नहीं लगती।
- पुलिस 498(ए) के मामलों में बिना प्रशिक्षित पारिवारिक परामर्शदाता के सलाह देती है, पुलिस वाले पैसे लेकर औरतों को समझौते के लिए मजबूर करते हैं ताकि केस कमजोर बन जाएं। समझौते में न तो घटना का विवरण होता है और न ही ऐसी बाध्यता कि पति भविष्य में उसे प्रताड़ित नहीं करेगा।
- डायन प्रथा, नाता, विधवाओं पर अत्याचार आदि मानसिक यंत्रणाओं के मुद्दे पर पुलिस तंत्र असंवेदनशील है। पुलिस इसे सामाजिक मुद्दा बताकर अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लेती है।
- वर्तमान में हर पुलिस थाने पर कम से कम एक या दो महिला पुलिस अधिकारी लगाये तो गये हैं, पर अधिकांशतः पुरुष पुलिस का ही बहुमत होने से उनकी आवाज दब जाती है, वे घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की अधिक मदद नहीं कर पाती हैं।
- कई बार महिला पुलिस का भी शोषण होता है।
- पुलिस का मानना है कि घरेलू हिंसा के काफी मामले झूठे होते हैं।

सुझाव:-घरेलू हिंसा विधेयक महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण, यातना, दुर्व्यवहार, भेदभाव, क्रूरता को रोकने में तभी सफल व सार्थक भूमिका निभा सकता है, लेकिन जब घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाएं आवाज उठाने की ताकत जुटा सके। वह अपनी सिसकियां व चीखों को मजबूत स्वयं के रूप में कानून व न्यायालय के समक्ष समझा सके। यदि महिलाएं घरेलू हिंसा का विषय मूकदर्शक बनकर सहती रहेंगी तो हिंसा का ये कहर बढ़ता ही जायेगा। षीना बोरा हत्याकाण्ड, नैना साहनी तंदूर काण्ड, षिवानी भटनागर यौन शोषण काण्ड, जयपुर का जे.सी बोस छात्रावास काण्ड, अंजना मिश्रा काण्ड, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में घटित बलात्कार काण्ड, तेजाब काण्ड, महिला को डायन बताना, मारना जैसी घटनाएं, महिला उत्पीड़न व हिंसा के ज्वलंत उदाहरण हैं, जिसे रोकने के लिए महिला को खुद कमर कसकर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दोषी पक्ष को कठोर सजा दिलवाने का प्रयास करना है। ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

देश के सर्वांगीण व तीव्र विकास करने हेतु आवश्यक है कि समाज के आधे वर्ग को प्रताड़ित करने के स्थान पर उन्हें प्रोत्साहित, संरक्षित किया जावे ताकि विकास प्रक्रिया में उनकी प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

1 महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच मनोभाव व मानसिकता में परिवर्तन किया जाना चाहिए। पुरुष वर्ग महिलाओं को अपना प्रतिद्वंदी न समझकर सहयोगी समझते हुए विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

2 पारिवारिक न्यायालयों को सुदृढ़ व अधिक प्रभावी बनाकर विवादों का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि हिंसा के विस्तार को रोका जा सके।

3 महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों व कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी समाचार पत्रों संचार व प्रचार माध्यमों से दी जाए ताकि वे घरेलू हिंसा के अभिषाप से मुक्त हो सकें।

4 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए क्योंकि जब

वे अपने पैरो पर खड़ी होगी तभी महिला हिंसा को कम किया जा सकेगा।

5 घरेलू हिंसा अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए।

6 स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठन भी प्रभावी भूमिका निभाकर पीडित महिला की सहायता कर सकते हैं।

7 कई पीडित महिलाएं धनाभाव के कारण कानून की शरण नहीं ले पाती, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाए।

8 पुलिस व प्रशासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करे, न्यायालयों में महिला न्यायधीशों द्वारा मुकदमों की सुनवाई की जावे।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिये शैक्षणिक स्तर पर लागू किये जाने वाले उपाय

विद्यार्थियों के साथ घरेलू हिंसा (घर में होने वाले भेदभाव) आदि विषयों पर स्कूल, कॉलेजों में व्यवस्थित तरीके से बातचीत शुरू की जानी चाहिए। इसके लिए काउंसिलिंग सेल होने चाहिए ताकि इस उम्र की लड़कियों के साथ हो रही घरेलू हिंसा पर बातचीत करके समाधान खोजा जा सके।

- 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के-लड़कियों से काम करवाने पर रोक लगाने हेतु बाल अपराध घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षार्थ विशाखा गाइडलाइन्स बनाई गई है। घर में या बाहर छोटी-छोटी बालिकाओं का यौन शोषण होता है, इसके लिए सशक्त कानून बनाया जाए।
- 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों में आत्मविश्वास भी पैदा किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य सशक्त महिला का निर्माण करना होना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास पैदा करना और अन्याय का मुकाबला करने की ताकत देना, नई शिक्षा नीति व शिक्षक का दायित्व होना चाहिए।
- लड़कियों को हर हालात में स्वावलंबी बनने का प्रशिक्षण देना जरूरी है। अभी तक सोच केवल लड़कियों के विवाह करने तक ही सीमित है, इसे बदलना होगा और लड़कियों को भी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक जैसे दायित्वों की तरफ मोड़ना होगा। भारत सरकार द्वारा अनु0 23 के अनुसार नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उन्हें शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार दिया गया है ताकि वैश्यावृत्ति, भीख मांगने, ट्रेफिकिंग आदि के लिए मजबूर करने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
- सम्पत्ति में लड़कियों का पूरा हक होना चाहिए। इसके लिए घर के वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। 2005 में उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके बेटियों को भी पैतृक सम्पत्ति में बेटों के समान अधिकार प्रदान किया गया है।
- 2004-2005 से लिंग आधारित बजट का शुभारंभ करके बजट में लैंगिक भेद को दूर किया गया है। वर्तमान समय में 56 मंत्रालयों और विभागों में लिंग आधारित बजट इकाइयों का शुभारंभ किया गया है।
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975-1985) के दौरान महिलाओं के प्रति हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, दहेज हत्या जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई जिनके खिलाफ महिला संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया। नारी कल्याण हेतु स्वावलम्बन योजना, स्वाधार योजना, कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास आदि शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा 2006 में महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। स्वाधार-गृह योजना कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए तथा उनके जीवनयापन एवं पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से 2001-2 में पुरु की गई। इस योजना का लाभ घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव अथवा विवाद की शिकार महिलाएं, जिन्हें गुजारे के लिए कोई साधन दिए बिना घर से निकाल दिया हो, एक वर्ष तक रह सकती हैं और 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं अधिकतम पांच वर्ष तक रह सकती हैं, इसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है।
- पुरुषों के साथ-साथ लड़कों को भी काम करने की आदत विकसित की जाए, उनका पालन पोषण अलग तरीके से ना हो, ताकि घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को वह गंभीरता से समझ सकें।

समुदाय स्तर पर : -घरेलू हिंसा का निवारण समुदाय स्तर पर भी होना चाहिए। महिला समूह या संगठन को मजबूत बनाया जाए। गांव की औरतें बैठक बुलाकर इस तरह की समस्याओं को समाधान खोजें। समुदाय और पंचायतों को वैधानिक अधिकार दिये जाये। कोर्ट, पुलिस तक गंभीर मामलों ही पहुंचें।

जिला सहायता समितियों के माध्यम से:- इन समितियों में पुलिस अधिकारी एवं महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन होने चाहिए। महिला आयोग इनकी समय समय पर समीक्षा करे कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं।

1. पुलिस की भूमिका को काफी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इनके प्रशिक्षण में घरेलू हिंसा व महिला संवेदनशीलता को विशेष रूप से शामिल किया जाए।
2. प्रत्येक थाने पर समस्या समाधान शिविर हर महीने आयोजित किये जाए और इनकी जानकारी के लिए प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इनका दिन, समय और स्थान अखबार, रेडियो या दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाए।
3. थाना स्तर पर काउन्सलर हो, खासतौर पर घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस जब समझौता कराती है, तो प्रशिक्षित काउन्सलर की मदद ली जाए।
4. महिला आयोग को महिला हिंसा के संबंध में संदेश समय पर मिलने चाहिए, ताकि वह अपने निर्णयों को सरकार से दबाव पूर्वक मनवा सके।

अन्य सुझाव:-

1. अल्पवास गृह जगह-जगह होने चाहिए, जिनमें मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सेवाएं जुड़ी हो।
2. पंचायतों में पांच स्टेपिंग कमेटियों का प्रावधान है। ये कमेटियां घरेलू हिंसा के मामलों व महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर विचार करे।
3. कोर्ट के फैसले नियत समय पर होना चाहिए।
4. घरेलू हिंसा के संबंध में जगह-जगह जन अदालतें लगनी चाहिए।
5. घरेलू हिंसा पर न्यायिक फैसलें सरल भाषा में व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है।
6. हर महीने थाने पर ऐसा दिन निश्चित हो, जब कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त कर सके।

निष्कर्ष:

- समाज, सरकार, प्रशासन, पुलिस, संसद और मीडिया के माध्यम से जन-जन तक हमारी आवाज पहुंचे। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जनजागरूकता व सजगता आये यही हमारा प्रयास है। इससे एक सार्थक, ठोस, व्यावहारिक व नीतिगत दिशा प्रदान करना व समाज में प्रचलित रूढ़िवादी प्रथाएं, अंधविश्वास, नकारात्मक सोच को बदलकर महिला वर्ग को पुरुष के समान बराबरी का दर्जा, उनके हक, अधिकार और न्याय दिलवाना, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेजप्रथा, डायन प्रथा, विधवाओं पर अत्याचार, तलाक और अन्य घरेलू हिंसा जैसे अमानवीय कृत्यों को रूकवाकर महिला उन्नति व विकास का मार्ग प्रशस्त करना, घरों में होने वाले अत्याचारों के संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि महिलाएं इस तरह की ज्यादतियों की पीड़ा किसी को नहीं बताती, बता भी दे तो कोई सकारात्मक नतीजा नहीं होता। समाज व सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं को अत्याचारी परिवार के चंगुल से बचाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत में नारियों की धर्म, परम्परा और कुल प्रतिष्ठा को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। स्त्री जटिल भारतीय सामाजिक व्यवस्था से लड़कर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयासरत् तभी बन सकती है जब समाज, परिवार, प्रशासन व शासन का सहयोग निरन्तर प्राप्त होगा।

संदर्भ ग्रंथ-

1. महिलाओं के प्रति अपराध-प्रज्ञा शर्मा, पोइन्टर पब्लिशर्स
2. महिला एवं मानवाधिकार-एम. ए. अंसारी, ज्योति प्रकाशक, जयपुर
3. भारतीय पुलिस-व्यवस्था व विवशता-डा. सुरेन्द्र कटारिया, आर बी एस ए पब्लिशर्स, जयपुर
4. महिला एवं पुलिस-अमिता जोशी, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो, नई दिल्ली
5. कन्या भ्रूणहत्या एवं महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, प्रकाशनारायण नाटाणी, बुक एनक्लेव, जयपुर

Congo Red Dye Adsorption by French Fries-like CeO₂: A Kinetic Study

Dr. Mahesh Kumar Paliwal
Department of Chemistry,

Vedanta Postgraduate Girls' College, Reengus Sikar Rajasthan, India, 332404

Introduction

Since the last few decades, water purification and treatment technologies attracting significant consideration because of the increasing number of various dye effluents such as congo red, methylene blue, methyl orange, methyl red, and acid fuchsin in water sources by several industries viz textile, paper, plastics, and leather tanning.[1,2] This dye effluent is the primary source of water pollution. Further dyes undergo degradation and produce various secondary products, which are water-soluble and highly toxic and lead to cause cancer in the bladder, a disorder in the spleen, liver, and reproductive system, and allergic action to the skin and eyes.[3,4] To remove such impurities from the water system, physical and chemical treatment processes, including biological and chemical coagulation/flocculation, ion exchange, oxidation, electrooxidation, membrane separation, ozonation, and adsorption, are adopted.[5] Among various processes, the adsorption method is highly significant in environmental sustainability, effortless, easy to perform and observe, and no secondary products formed after treatment.[6] The adsorption method is further classified into chemical adsorption (chemisorption) and physical adsorption (physisorption). The physisorption proceeds through van der Waals forces, and chemisorption proceeds through chemical interaction between the adsorbed and adsorbent molecules. We can say that electrons are shared between adsorbent surface-adsorbed molecules.[7] The dye adsorption mechanism is classified into three stages. (i) Adsorbate molecules migrate from the bulk solution to the adsorbent's outer surface, denoted as film diffusion. (ii) Molecules of the adsorbate migrate within the pores of the adsorbent, which proceed over the outer surface, denoted as intra-particle diffusion

or pore diffusion). (iii) Adsorbate molecules sorption occurs over the pores' internal surface and the adsorbent's capillary space.[8,9]

People use various types of material to remove color impurities. Still, among different materials, CeO₂ is found to be an excellent material owing to having high oxygen storage, environmental sustainability, unique electronic properties, alterable surface, and multiple physiognomies. [10]

Therefore, in this manuscript, I have developed a French fries-like CeO₂ by implementing a synthetic hydrothermal route (a greener approach) using a rate-controlling and a morphology tuning agent. The material was characterized by powder X-ray diffraction and scanning electron microscopy. Further, the dye adsorption experiment was performed using a fixed concentration/amount of dye and CeO₂ for different time scales.

Experimental section

1. Material synthesis

In a usual material synthesis, 5 mmol of analytical grade Ce(NO₃)₃·6H₂O was dissolved in 40 mL of high-purity water. The subsequent solution was stirred for a while to get uniform distribution. To this, a 40 mL solution of cetyltrimethylammonium bromide, CTAB (prepared by dissolving 2.5 mmol of CTAB in 40 mL high-purity water) was added deliberately using a magnetic stirrer. After stirring for half an hour, 20 mmol of solid dimethyl urea was added to this mixture and again stirred the mix for a while. Finally, the complete solution was transferred to a Teflon-lined stainless steel autoclave and heated in a digital hot-air oven at 150 °C for 24 h for hydrothermal reaction. After completing the hydrothermal reaction and cooling to atmospheric temperature, a white-colored CeO₂ precursor material was obtained by washing centrifugally (using water, water-ethanol mixture, and ethanol) and drying at 60 °C overnight. This precursor material is converted into French fries-like CeO₂ by heating in a muffle furnace at 400 °C for 3 h.

2. Characterization techniques

PANalytical XPERT-PRO diffractometer was used to record X-ray diffraction (PXRD) patterns by utilizing Cu-K α ($\lambda=0.1540$ nm) radiation generated at 40 kV and 40 mA with a scan rate of 0.02° s⁻¹

from 10° to 80°. FEI-Nova nano SEM 450 field emission microscope was used to characterize the material's morphology. Perkin-Elmer LAMBDA-750-Uv-Visible-Nir-spectrophotometer used to illustrate the dye adsorption experiment at maximum absorption wavelength (λ_{max}) of congo red (CR) (496 nm).

3. Adsorption kinetic experiment

The kinetic study of the Congo red dye was performed by Batch adsorption experiment using 25 mg/L dye stock solution. To prepare the above stock solution, 25 mg dye was dissolved in 1 liter of high-purity water using a volumetric flask. The batch adsorption experiment was performed in a 20 mL reaction tube with the help of an electrical magnetic stirrer. The reaction tube was filled with 5 mL of dye solution (containing 25 mg/L concentration of dye), and to this, 5 mg of adsorbent (French fries-like CeO₂) was added, and the reaction tube was stirred using a magnetic pellet on a magnetic stirrer for various time interval viz. 5, 10, 20, 40, 80, and 160 minutes.

The amount of dye adsorption q_t (mg/g) at time t on the adsorbent was estimated using the following equation:

$$q_t = \frac{(C_0 - C_t)V}{m} \dots\dots\dots 1$$

in which C_0 and C_t (mg/L) corresponds to the concentration of dye at initial and after time t , V , the volume of the solution (L), and m is the mass of adsorbent used for adsorption (g)

Results and Discussion

Physical characterization

The comprehensive X-ray diffraction profile of the material is presented in Figure 1, which demonstrates diffraction peaks at the two-theta degrees of 28.6, 33.1, 47.5, 56.5, 58.9, and 69.4 corresponding to the (111), (200), (220), (311), (222), and (400) crystal plane of FCC type CeO₂ (JCPDS card no. 81-0792). Besides, no other peaks in the diffraction pattern substantiate the material's phase purity.





Figure 1. Powder X-ray diffraction pattern of CeO₂.

The following reactions are involved during forming of precursor and French fries-like CeO₂. [11,12]



The approximate crystallite size of the materials was calculated using the Scherrer equation, which is found to be 19 nm. The small crystallite size indicates kinetically controlled precipitation of metal precursor under hydrothermal conditions.

The FESEM images of the material are shown in Figure 2. The low magnification FESEM image of the material in Figure 2A displays French fries-like surface morphology. The high magnification image in Figure 2B demonstrates that the French fries-like morphology is supposed to form from the controlled aggregation and self-assembly of multiple layers.




Figure 2. (A) Low magnification and (B) High magnification FESEM images of CeO₂.

Adsorption Kinetic Study

For the kinetic study of Congo red (CR) dye, 5 mg of CeO₂ and 5 ml of CR dye solution (25 mg/L) were magnetically stirred for different intervals ranging from 5 to 160 minutes. After stirring for a certain period, the supernatant dye solution was subjected to UV-Vis absorption spectroscopy. The resultant UV-Vis absorption spectra and the digital photographs of the dye solution after adsorption at different time intervals are presented in Figure 3A. It is observed from Figure 3A that the corresponding absorption intensity for CR dye decreases rapidly in the initial 5-10 min, and after 10 min, the intensity decreases slowly. The adsorption kinetics of CR dye is studied from the corresponding q_t vs. t graph, presented in Figure 3B. Figure 3B show that the adsorption rate is very fast for CR in the initial 5 minutes, and the equilibrium for CR is achieved within 80 minutes. The high adsorption rate in the initial 5-10 minutes shows better adsorption efficacy of the French fries-like CeO₂. The higher adsorption rate of the CeO₂ at the beginning of the adsorption course is because many active sites are initially vacant on the CeO₂ surface, which decreases with time. Subsequently, the dye molecules compete to access the vacant adsorption sites.[13-15] The quantity of adsorption at 80 minutes is calculated using equation 2 and is found to be 14.53 mg/L.

$$q_t = \frac{(C_0 - C_e)V}{m} \dots\dots\dots 2$$

To identify the rate of adsorption and type of adsorption mechanism, pseudo-first-order, and pseudo-second-order kinetics were investigated for the material.[16]




Figure 3. (A) shows the UV-vis absorption spectra, and the inset shows the digital photograph of CR dye solutions after adsorption on CeO₂ for different time intervals. (B) shows the adsorption kinetics of CR on CeO₂.

The pseudo-first-order kinetic model (in which the rate-limiting step is physisorption) was investigated using equation 3.

$$\log(q_e - q_t) = \log q_e - \frac{k_1}{2.303} t \dots \dots \dots 3$$

in which q_e and q_t correspond to the amount (mg/g) of the adsorbed dye at equilibrium and time t (minutes), respectively, and k_1 (min⁻¹) denotes the pseudo-first-order rate constant.

Table 1. Pseudo-first-order kinetic parameters for the adsorption of CR dye on CeO₂

| C ₀ (mg/L) | q _{e,exp} (mg/g) | k ₁ (min ⁻¹) | R ² |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 25 | 14.53 | 0.050 | 0.96 |

The value of k_1 for CR on CeO₂ is calculated from the linear fitted $\log (q_e - q_t)$ vs. t plot, as shown in Figure 4A, and the efficiency parameter for pseudo-first-order kinetics is listed in Table 1. The correlation coefficient (R²) for dye diverges broadly from 1, which recommended that pseudo-first-order kinetics do not follow the rate-determining adsorption step. The adsorption of the dye on CeO₂ does not proceed via the physisorption process.[17]




Figure 4. Shows the (A) pseudo-first-order kinetics plot and (B) pseudo-second-order kinetics plot.

Further, the pseudo-second-order kinetic model (in which the rate-limiting step is chemisorption) for dye adsorption is investigated using equation 4.

$$\frac{t}{q_t} = \frac{1}{k_2 q_e^2} = \frac{1}{q_e} t \dots \dots \dots 4$$

in which k_2 ($\text{g}/[\text{mg min}^{-1}]$) is the pseudo-second-order rate constant, q_e and t (min) correspond to the quantity (mg/g) of adsorption at equilibrium and time, respectively. The pseudo-second-order rate constant (k_2) for the adsorption of CR dye on CeO_2 is calculated from the linear fitted t/q_t vs. t plot, presented in Figure 4B. The kinetic parameters of pseudo-second-order kinetics for CR on CeO_2 are listed in Table 2. It is observed from Table 2 that the correlation coefficient (R^2) value for dye is almost equal to 1, which shows that the rate-determining adsorption step obeys pseudo-second-order kinetics. The adsorption of CR dye on CeO_2 proceeds through the chemisorption process.[18]

Table 2. Pseudo-second-order kinetic parameters for the adsorption of CR dye on CeO_2

| C_0 (mg/L) | $q_{e,\text{exp}}$ (mg/g) | k_2 (g/mg min ⁻¹) | R^2 |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|-------|
| 25 | 14.53 | 0.06 | 0.999 |

Conclusions

In summary, French fries-like CeO_2 is fabricated by dimethyl urea-mediated synthesis under hydrothermal heating conditions. Broad physical characterizations of the material demonstrate phase purity, low crystallinity, and fries-like morphology developed by aggregation of layers. The CeO_2 shows high adsorption efficiency for CR dye. Thorough kinetic analyses of the dye show that

their adsorption follows the pseudo second order kinetics, proving the dye chemisorption on fries-like CeO₂. The excellent adsorption capacity of fries-like CeO₂ is ascribed to a layered structure, which allows full surface access to the dye molecules. Further, the strong electrostatic force of attraction between the anionic CR dye molecules and CeO₂ also plays a vital role in adsorption.

Acknowledgment

I acknowledge the Vedanta Postgraduate Girls' College Reengus Sikar for providing the basic research facilities and laboratory space. Materials Research Centre (MRC), MNIT Jaipur, is acknowledged for providing PXRD, FESEM, and UV-Vis spectroscopy facilities.

References

1. D. Papagiannaki, M.H. Belay, N.P.F. Gonçalves, E. Robotti, A. B. Prevot, R. Binetti, P. Calza, Chem. Eng. J. Adv. 10 (2022) 100245.
2. A. R. Auxilio, P. C. Andrews, P. C. Junk, L. Spiccia, Dyes Pigm. 81 (2009) 103–112.
3. J. Kaushik, V. Kumar, K. M. Tripathi, S. K. Sonkar, Chemosphere 287 (2022) 132225.
4. R. Aggarwal, A. K. Garg, D. Saini, S. K. Sonkar, A. K. Sonker, G. Westman, Ind. Eng. Chem. Res. 62 (2022) 649–659.
5. V. Luis, S. Kumar, E. M. Nomena, G. S.-Alvarez, A. P. Mathew. ACS Applied Nano Materials 3 (2020) 7172–7181.
6. J.R. de Andrade, M.F. Oliveira, M.G.C. da Silva, M.G.A. Vieira, Ind. Eng. Chem. Res. 57 (2018) 3103–3127.
7. E. N. E. Qada, S. J. Allen, G. M. Walker, Chem. Eng. J. 124 (2006) 103–110.
8. L. Ma, Q. Wang, S.-M. Islam, Y. Liu, S. Ma, M.-G. Kanatzidis, J. Am. Chem. Soc. 138 (2016) 2858–2866.
9. J. Mittal, Permissible synthetic food dyes in India, Reson 25 (2020) 567–577.
10. G. Moussavi, M. Mahmoudi, J. Hazard Mater. 168 (2009) 806–812.
11. M. K. Paliwal, S. K. Meher, Adv. Mater. Interfaces 6 (2019) 1900889.
12. S. K Meher, G. R. Rao, J. Chem. Sci. 126 (2014) 361–372.
13. M. Ghaedi, A. Hassanzadeh, S.N. Kokhdan, J. Chem. Eng. Data 56 (2011) 2511–2520.
14. S. Patel, G. Hota, RSC Adv. 6 (2016) 15402–15414.

15. L. Liu, Z.Y. Gao, X.P. Su, X. Chen, L. Jiang, J. Yao, ACS Sustain. Chem. Eng. 3 (2015) 432–442.
16. L. Meng, X. Zhang, Y. Tang, K. Su, J. Kong, Sci. Rep. 5 (2015) 7910.
17. S.R. Manippady, A. Singh, B.M. Basavaraja, A.K. Samal, S. Srivastava, M. Saxena, ACS Appl. Nano Mater. 3 (2020) 1571–1582.
18. S. Chatterjee, N. Guha, S. Krishnan, A.K. Singh, P. Mathur, D.K. Rai, Sci. Rep. 10 (2020) 111.

स्वास्थ्य प्रबंधन में राज्य सरकार की भूमिका : एक अध्ययन

नीतू शर्मा

सहायक आचार्य

वेदान्ता स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रींगस

प्रस्तावना—

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र एवं समाज की मानवीय सम्पत्ति है। व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र एवं समाज के समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है। अतः जनहित की दृष्टि से सरकार नागरिकों को चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ अपनी कुछ भौगोलिक पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक विषिष्टता रखता है। राज्य में दो तिहाई भाग रेगिस्तानी तथा एक बड़ा भाग जनजाति बाहुल्य एवं पहाड़ी है। रेगिस्तानी क्षेत्र में तो सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना भी कठिन है।

राज्य में साधनों की अल्पता तथा कठिन वातावरणीय परिस्थितियों के कारण राज्य के नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करवाना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है। जिसको पूर्ण करने हेतु राज्य का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कृत संकल्पित है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ध्येय समस्त नागरिकों के लिए 'अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य स्तर' की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु शीर्ष संस्था के रूप में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर राज्य के नागरिकों का समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण कर उन्हें कार्य रूप में परिणित करती है। राज्य के समस्त नागरिकों को अधिकाधिक लाभान्वित करने तथा उत्कृष्ट सेवाओं की उपलब्धता के प्रयोजनार्थ विभाग चिकित्सा सुविधाओं का निरन्तर विस्तार कर रहा है। राज्य में क्षय रोग, मलेरिया, अन्धता, एड्स आदि रोगों पर नियन्त्रण तथा कुष्ठ रोग के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के असाध्य एवं गम्भीर रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु 'मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष' तथा जॉच एवं उपचार की सुविधा हेतु 'चिकित्सा सुविधा कार्ड' नामक योजनाएँ राज्य में लागू हैं, इनसे लाभान्वित होने वालों की संख्या में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना—

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना का सुदृढीकरण कर राज्य सरकार द्वारा आमजन के स्वास्थ्य में निरन्तर सुधार की प्रक्रिया जारी है। इस योजना का लाभ राज्य की सम्पूर्ण जनता के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य का कोई भी व्यक्ति दवा के अभाव में चिकित्सा सुविधा से वंचित नहीं है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से राज्य के लगभग 17550 चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क दवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। राज्य के लिये आवश्यक दवा सूची तैयार की गई है। जिसमें वर्तमान में निम्न प्रकार की दवायें सर्जिकल एवं सूचर्स शामिल हैं— दवायें—591, सर्जिकल्स—73, सूचर्स—77। राजकीय चिकित्सा संस्थानों में संचालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जा रही दवाईयों की सूची प्रदर्शित की गई है। आउटडोर रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र ओ.पी.डी. के समयानुसार तथा इन्डोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिये दवा की उपलब्धता 24 घण्टे सुनिश्चित की गई है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के बजट में बढोत्तरी—

इस योजना को प्रारंभ करने से पूर्व राजस्थान प्रदेश की जनता रुग्ण होने पर धन के अभाव में इलाज के चलते जिन्दगी — मौत से जूझते दम तोड़ देती थी लेकिन इस योजना के बाद हर साल अस्पतालों में निःशुल्क दवा, सर्जिकल उपकरण के उपलब्ध होने से आउटडोर एवं इनडोर में मरीजों की संख्या में वृद्धि होने लगी। जिससे वर्ष 2011 में इस योजना का बजट 190 करोड़ का था जिसे वर्तमान में बढ़ाकर अब 965 करोड़ रुपये तक हो गया है।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा कोरोनाकाल में भी मरीजों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुये कोरोना से ग्रसित मरीजों को मंहगी दवाएँ और जीवनरक्षक इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये। केन्द्र सरकार की ओर से दवा की उपलब्धता, उच्च तकनीक, संख्या जैसे मापदण्डों के आधार पर कोरोना प्रबंधन में राजस्थान प्रदेश का नाम अप्रैल 2019 में देशभर में हुई रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

योजना के लाभ—

- ❖ उच्च गुणवत्ता व कम लागत की चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक और संवेदनशील प्रयास जिसके अन्तर्गत राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य उपयोग में आने वाली

आवश्यक दवाईयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

- ❖ आम वर्ग के दवा पर होने वाले खर्च में कटौती हो रही है।
- ❖ धन की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं से वंचित वर्ग के लोगों का ईलाज सम्भव हुआ है।
- ❖ दवाईयों व इन्जेक्शन आदि के साथ – साथ सामान्यतया उपयोग में आने वाले सर्जिकल उपकरणों जैसे – नीडल, डिस्पोजेबल सीरिज, आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट व टांको हेतु सूजर्स आदि भी निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
- ❖ सामान्यतया रोगी को तीन दिन की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। अति आवश्यक होने पर या विशेष परिस्थितियों में कारण इंगित करते हुये 7 दिन तक की दवा उपलब्ध करवायी जा रही है।

निःशुल्क दवा योजना में सर्वाधिक दवाएँ मुफ्त देने और लगभग 100 प्रकार की मुफ्त जॉचों के लिए राजस्थान ने देशभर में अलग पहचान बनायी है। साथ ही राजस्थान निःशुल्क दवा वितरण योजना में सर्वाधिक 712 प्रकार की विभिन्न दवाईयों निःशुल्क उपलब्ध करवाकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना—

राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 मई वर्ष 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की थी। पहले इस योजना का दायरा 10 लाख रुपये था जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 25 लाख रुपये कर दिया गया है। अब प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान का कोई भी परिवार 25 लाख रुपये तक का ईलाज कैशलेस करा सकेगा। इसके लिए परिवार के मुखिया को इस बीमा योजना में पंजीकरण कराना होगा पंजीकरण शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन बीमा योजना के प्रीमियम की राशि सालाना 850 रुपये बीमित परिवार को जमा करानी होगी। राजस्थान के लगभग 1 करोड़ 33 लाख परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना द्वारा प्रदेश के 700 निजी अस्पतालों में ईलाज किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग अनवरत रूप से प्रयासरत है कि प्रत्येक अस्पताल में ई.सी.जी. टेक्निशियन नियुक्त किये जाये एन.एच.एम. में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों को शीघ्र अतिषीघ्र भरा जायें। वर्तमान बजट में राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की जा चुकी है कि इस बीमा योजना में लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की प्रीमियम राशि भी राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।

राज्य सरकार के अनुपम प्रयास से अब आम जनता के मन में स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक जागरूकता भी उत्पन्न हो गई है जिससे अस्पतालों की ओ.पी.डी. संख्या में इजाफा हुआ है।

इन सभी प्रयासों से ही राजस्थान राज्य अब बीमारू राज्य से बाहर निकलने में सक्षम हो पाया है साथ ही राज्य सरकार के कोरोना प्रबंधन की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जा चुकी है। इन सभी प्रयासों को देश के अन्य राज्यों को भी लागू किया जाना चाहिए जिससे देश के हेल्थ इन्फ्रास्ट्राक्चर को मजबूती मिल सके जो कि देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

गुणवत्ता परीक्षण—

दवाओं की गुणवत्ता की जांच ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्रीज द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। आरएमएससी द्वारा दवा प्राप्त करने के पश्चात् उसे निषेध क्षेत्र में रखा जाता है एवं पुनः इन दवाईयों की प्रयोगशाला जांच आरएमएससी द्वारा सूचीबद्ध प्रयोगशाला में की जाती है तथा दवाईयों के जांच में खरा उतरने के पश्चात् आम जनता को वितरण के लिये अस्पतालों को जारी की जाती है।

कम्प्यूटराइजेशन—

दवाओं के स्टॉक के प्रबन्धन हेतु जिला औषधि भण्डार को कम्प्यूटराइजेशन कर विशेष ऑनलाइन मानिट्रिंग प्रणाली स्थापित की गई है। जिसमें सभी चिकित्सा संस्थानों की सूची के साथ-साथ दी जाने वाली दवाईयों की सूची भी उपलब्ध है।

शोध का उद्देश्य—

प्रस्तुत शोध विषय 'स्वास्थ्य प्रबंधन में राज्य सरकार की भूमिका: एक अध्ययन' का मुख्य उद्देश्य राजकीय अस्पतालों में सम्पूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने एवं अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में 'मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना' चरणबद्ध तरीके से लागू की है। शोध का उद्देश्य वर्तमान में आ रहे सकारात्मक बदलावों एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है, जिससे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी, और लक्ष्योन्मुख बनाया जा सके।

सन्दर्भ सूची-

1. स्वास्थ्य सेवायें, प्रभात खबर समाचार पत्र, 11 मई 2022
2. आजादी के 70 दशक बाद भी क्यों स्वास्थ्य आज भी नहीं है। मौलिक अधिकार एनडीटीवी, 21 अक्टूबर 2021
3. केन्द्रिय बजट 2021-22 स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
4. स्वास्थ्य सूचकांक 2017-18 चिन्ताजनक है जन स्वास्थ्य प्रभात खबर 30 जनवरी 2019
5. rajswasthya.nic.in
6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रगति प्रतिवेदन 2018-19 स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर पृ 59
7. आर्थिक समीक्षा केन्द्रिय वित्त मंत्रालय, 4 जुलाई, 2019
8. जन स्वास्थ्य अभियान के विश्लेषण पर आधारित सबरंग की रिपोर्ट, जुलाई 17, 2019
9. निःशुल्क दवा योजना में सर्वाधिक दवाई मुफ्त देने ओर करीब 100 प्रकार की **Free** जांचों के लिए राजस्थान की देश में धाक है। दैनिक भास्कर 25 अगस्त 2019
10. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग प्रगति प्रतिवेदन 2018-19 स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।

Poetry: The Healer of Society

Sanghmitra Rathore

Assistant Professor

Vedanta P. G. Girls' College Reengus (Raj.)

E-mail: sanghmitrarathore01@gmail.com

Abstract:

Human civilization has passed through several stages of development on which the imprint of material and non-material elements is clearly reflected. Poetry is an important part and achievement of human civilization. It is present in all human society in various forms. Poetry has an incomparable contribution in the upliftment of society. Whatever emotions the human went through, he expressed his state of mind in the form of poetry. He sang songs in his joy, poured poetry in his cry, made it the medium of expression of all his feelings of sorrow, jealousy, hatred, joy, fear, love etc. A poet brings out his personal feelings in his poetry and he finds that his feelings are not only of his own but of every reader who find himself related to all those emotions. Poetry is an important part of our socio- culture. On one hand, poetry was composed by being influenced by social conditions, while on the other hand such poems were also composed which changed the direction of society itself. In Indian poetry where epics like Ramayana and Mahabharata have not only represented Indian culture but they have also given a new direction to the society. Indian society takes maximum inspiration from these prominent epics. Kabir, Surdas, Raidas, Meera, Raskhan, Jaidev, Ashvaghosh, Kalidas, Tulsi have influenced the Indian folk the most. On the other hand, if we look at the western writers, then the poetic compositions of Homer, Ovid, Sappho, Chaucer, Shakespeare, Milton, Keats, Shelley etc. have worked to heal the society in hardships and give it a new direction.

Keywords: Poetry, Society, Poets, Indian Literature, English Literature.

Introduction:

The great Sanskrit poet Bharthari says for poetry that the state's luxury is nothing in comparison to the joy that comes from a poem. He writes,

“Sukavitā ydyasti rayen kim?”

Renowned Sanskrit rhetorician Mamatta Bhatt described the importance of poetry in his celebrated classic book Kavyaprakash in which he wrote:

Kāvyam yathsethakrite vyavharvide shivteratiye

Sadya paramnirvritaye kantanmitatayopadeshjuje”

(Poetry brings fame and riches, knowledge of the ways of the world and relief from the lips of beloved consort.)

Whenever man has been troubled by war, epidemic, natural calamity or personal suffering, his search for peace has always stopped on art. Literature is universal. It is present in every corner of the world beyond all natural and man-made boundaries. Literature is one of the most important mediums of effective expression of human emotions. In a civilization in which language and writing style developed well, various traditions of literature were preserved through writing and those parts of human civilization which were unable to express their expression through writing, expressed their views orally. Poetry creation preserves the expression of human beings. At the end of reasoning and intellectual seriousness, man finds his shelter in the expression of emotions. Poetry is composed by the combination of individual expressions, their reactions, imaginations and immediate situations. Man turns to various mediums and subjects to get his factual knowledge and information, but emotionally he finds himself closest to literature only.

Constructivist sensations provide new experiences to the society, give life to the familiar experiences and give expression to the feelings which we know but for whose expression we do not know the words. As a result, our consciousness expands and our senses are refined.

The most remarkable thing about poetry is that it is personal and universal at the same time. Human emotion is the main basis of poetic composition. Various psychologists have found in the discoveries

made by them that no matter where the person lives in any corner of the world, whether he comes from civilized society or from rude, whether he is educated or uneducated, whether he lives in tribes or in the present modern world, there are similar sentiments to be found everywhere. Humans are emotionally homogeneous across geographic, economic, social and cultural differences.

When there are so many similarities emotionally in human societies, it is clear that there must be similarities in their means of expression as well. People all over the world express their feelings through art, writing, dancing, music, painting, acting, etc. The performance of individual expressions in art makes those expressions universal because the reader, the listener or the viewer, finds himself connected to those feelings. He finds that his feelings are not limited to him only but to every person who is a part of the society.

Poetry not only does the work of expression, but it also plays a very important role in healing the society. Society passes through several stages of rise and fall in the development of its civilizations. The mirror of society, literature keeps the different layers of society open in front of us. While literature presents the social events and their impact in front of the readers, it also presents us a corner where we find ourselves emotionally connected and calm.

There are many parts of literary creation in which poetry, stories, essays, novels, plays etc. are prominent. Poetry is an important part of literature. Poetry is not a subject of debate or argument, but a medium of expression of pure emotion. This is the reason why poetry is popular among educated and uneducated society, written and public society. Poetry not only enhances the moments of happiness but also guides a man by holding his hand in the moments of disappointment.

Indian Poetry:

The roots of Indian poetry can be traced back to the Vedic period, much earlier in history. India is a country of unity in diversity where people of many languages and cultures live together. The cultural diversity here makes Indian poetry even more unique. Indian poetry is very rich both in oral and written form. Indian poetry is of high importance not only in expression but also has spiritual significance. The ancient Indian Hindu texts, which are the basis of Indian civilization and culture, have a plurality of poetry. These Indian texts give morality to human life, inspire them towards the right path, describe their problems and at the same time solve them. Indian poetry has existed for many years in the form of folk poetry, but its evidence is found in written form in the form of Vedic poetry.

Vedic Poetry:

Vedic poetry is one of the oldest and most attested texts of Hinduism. Vedas are the basis of Indian Sanatan culture. There is a majority of followers of Hinduism in India and Hindu culture is not only the lifestyle of the people but also the center of unwavering faith. Vedas are followed with great devotion. All the rites of life are followed on the basis of Vedas and in times of crisis distressed people find their refuge in the teachings mentioned in Vedas, Puranas and Upanishads.

Ramayana:

Ramayana is an epic composed by Maharishi Valmiki in which the life of Rama is presented in poetic form. Shri Ram is the most revered and idealised man in India. From the birth of Shri Ram to the exile, from the slaughter of Ravana to Ramrajya, Maharishi Valmiki has depicted the life character of Ram in the Ramayana with poetic beauty. All aspects of human life are engraved in the life of Ram. All the difficult situations of life and their solutions get the most importance in Hindu religious texts. Ramayana epic is the best place in healing the society and giving a new direction.

Mahabharat:

After Ramayana, if the Indian public is most influenced by any book, then it is the epic Mahabharata composed by Maharishi Vyas. The Mahabharata, though primarily a saga of the Kauravas, the Pandavas and the throne of Hastinapur, is a major epic that guides the society through many characters and their journey of life. The Mahabharata is not only rich in poetic form but it is a description of different stages of human life. Mahabharata is the history of India. There is pain, there is conflict, there is hatred, there is longing, there is war, there is repentance, there is love, there is a message of peace and there is conspiracy. The most followed and cited book Gita, which throws light on the importance of action, is also a part of it. It is written in Mahabharata itself:

Alankritam shubhe shabde samyaerdivyamānusheh,

Chhandovrittishachah vividhernavitam vidushām priyam.

(This Mahabharata, composed with auspicious words and composed of various verses from the times of Gods and humans, will be dear to the scholars.)

Poetry of Ashvaghosh:

Ashvaghosha was a 2nd century Buddhist monk and ancient poet from Ayodhya. Ashvaghosha was a philosophical poet and through poetry he spread the teachings of Buddhism. Ashvaghosha has revealed the path of salvation through the religion of poetry. He brought the principles and teachings of Buddhism to the general public through poetry. Where there is rasa in his poetry, there is also philosophy of life, which along with providing poetic pleasure to the reader, also gives his philosophical thoughts. He says in his poetic book Buddhacharita to call upon man to understand nature:

“Tatra tu prakrtim naam viddhi prakritikovid,

Panch bhootānynkaram buddhiavyāktamev cha buddhacharit”

Similarly, further telling people the means of attaining peace, he describes how the lamp attains peace due to the decay of oil. Similarly, if the soul is not in the state of creation, then it neither goes to earth, nor to space, nor to any direction but attains peace.

“Dopa yathā nivritiabhuyusheto

Naivanim gachhati nantariksham

Dosham n kanchidwidisham n kanchit

Snehchayāt kewalameti shantim.”

Poetry of Kalidas:

Who does not know the great poet Kalidas of Sanskrit. Kalidas, who composed the classic poems of Sanskrit literature, is seen as one of the best poets in world literature. It is the irony of the common people that even the author who has most influenced is not able to have a clear opinion about the time of his birth, as his time of birth is not clearly mentioned in his poetry. Some historians place him in the first century and some in the fourth century after the esoteric study of contemporary authors and texts. But the common folk give priority to the poetic and emotional beauty of the author more than the time of his birth. Kalidasa's first poetic work is Ritusanhar, in which the poet has given a unique description of natural beauty. On the other hand, Kalidasa's second creation Meghdoot, imitating the stories found in Vedic and Buddhist literature, through his poetic beauty, has employed psychic tendencies in the cloud by making him a messenger. In Meghdoot, there is a very captivating mention of the expression of various human emotions, just as a Yaksha who wants to meet his beloved in a dream is deprived of that too.

“Twāmālikhya pranāyukupitām dhāturage shilāyā

Mātmānam te chranāpatitam yāwdichhāmi kartum

Astrestwāwanmuhurupāchiteharshtirālupyate me

Kroorstāsminnapi nah sahate sangam nau kritāntah”

Similarly, in Kumarasambhavam, he has written the story of the marriage of Shiva Parvati and the killing of Tarakasur by their son Kartikeya. At the same time, in his best epic Raghuvansh, he has described the hereditary story of Maharaj Dilip. Apart from these, Malvikagnimitram, Vikramorvarshiyam and Abhigyan Shakuntalam are the best works of Kalidasa. The timeless poetry of the great poet Kalidas is a continuous flowing spring of joy for the readers.

Apart from Sanskrit, wonderful poetry was also composed in Hindi literature, but those who became most loved in the public mind are its folk poets. Kabir is not a writer but a devotee philosopher, who has brought bhakti and philosophy among the people through poetry. The most important feature of his poetry was that he did not write poetry for the purpose of making it in a cultured form, but he sang about his life experiences, philosophy and devotion. Indian society is a religious society. He turns to God with the hope of helping him in the difficulties of his life and gives the credit for the joy and gaiety of his life to God. In such a situation, it is natural that he will seek peace and joy in his life, only through devotion and God. The character of Shri Ram is most followed in India. The Ramayana, composed by Maharishi Valmiki, was out of reach of the people as it was in Sanskrit. Tulsi took his revered Ram to the masses. Similarly, in Indian culture, God is worshiped in two forms – Saguna and Nirguna. Where Kabir represents the virtuous devotion of God, Meera believes in the real form of God. Kabir completely rejects the pomp and social evils of the world in his couplets. He was not in favor of showing off. He writes:

Kartā dise keertan, unchā kari kari dhund

Jārṇ bujh kare kuchh nahin, yon hi āndha rund

Kabir has also described the problems of the common man in his couplets and has given their solutions too. In one such couplet, he is warning the people that there is only one God who can do good to them.

Kabir kahatā jātā hai, suntā hai sab koi

Ram kehayā bhalā hoigā, nahin tar bhalā na roi

Where Kabir is Nirgunavadi, Meera worships God in the Sagun form of Shri Krishna. Meera tells about getting God through love, not disinterest like Kabir. Meera also has hatred from the world, but it is a different attachment filled with love for God. As:

Hari hit se het kar, sansār aasa tyāg

Dās Meera laal girdhar, saḥaj kar vairāg

Meera sees her God in a virtuous form. She waits for his arrival. She says that she runs to the palace and is distracted in her vow of adoration as soon as she realizes that she has heard the sound of Shri Krishna coming:

Suni ho main Hari aawan ki aawāz

Mahal chadh chadhi joun meri sajani, kab aawe mahārāj

Apart from these, the poetry of Surdas, Raidas and Raskhan is also the center of faith and devotion of the Indian people, in which they keep searching for peace and joy.

Western Poetry:

Just as Indian poetry provides emotional comfort and peace to many readers, Western poetry does the same work for the western world. Where the root of Indian poetry is very old and goes back to the Vedic period, Western poetry also keeps a considerable expansion in the field of literature. Ancient Greek literature is extremely rich and occupies a very important place in Western poetry. It is the result of the excellence of western poetry that even after so many years of its texts first appearance, it is equally popular among the people. In this, the readers have found solutions to the problems and inequalities of life in the form of philosophy that is portrayed in poetry. There have also been many important poets and playwrights in Western poetry whose writings are in Greek, Roman and Latin languages. One of the few important writers among these is Homer. Homer is one of the oldest and greatest poets of Greece. As is the case with most ancient poets, there is a dispute among historians and litterateurs regarding the time of his birth, yet 7 to 8 BCE is considered to be his birth time. Homer's epic Iliad and Odyssey are among the greatest and most popular poems in world literature. His works have been translated into the major languages of the world and are equally popular with readers, even after so many years of their original publication. Apart from Homer, Western writers like Ovid, Sappho, Shakespeare, Milton, Shelly, Keats etc. also influenced the public in a big way, people found their shelter in their poems. While their poems encourage the enthusiasm of the people, they also found them connected with their heartfelt feelings. Western poetry has a great reach in itself because it is written in the English language and English is a global language, so its reach is far and wide, that is why even after so many years it is read by many people and It is liked that people find themselves connected in their poetry, they find protection of their feelings in these poems.

Conclusion:

Poetry has been a source of solace and healing for individuals and communities throughout history. It has the power to inspire hope, offer comfort, and provide a means of expression for emotions that are difficult to articulate through other forms of communication. Poetry has the ability to connect people across time and space, as well as across cultural and linguistic barriers, promoting empathy and understanding among diverse communities. Poetry has been used as a tool for personal healing and self-reflection for centuries. Through writing and reading poetry, individuals can process complex emotions and experiences, and gain insight into their own psyche. Poets often draw upon their own experiences of pain and trauma, crafting works that resonate with readers who may be experiencing similar struggles.

Man sees the world in physical form, he concentrates on those aspects of the world which satisfy his needs and help him in earning a living. The poet sees the world with a supernatural eye, he transforms the unseen beauty and philosophy into poetry through his creativity. From it he finds the joy that the poet creates with his supernatural vision and artistry. In reality, poetry is that which gives a new perspective to the listener or the reader, whether it is a view of life and the world in a different way or a

new world beyond life. Many types of situations have come into the world several times and people have ultimately found the shelter of their feelings in poetry.

References:

- Mahamahopadhyay, Dr. Sir Ganganatha Jha. Kavyaprakash of Mammata with English Translation (Revised). Bhartiya Vidya Prakashan. Varanasi. 1967. Print
- Sharma Dr. Vedvrat. Bhakti Kavya ka Mulyankan. Aakash Publishers and Distributers. Ghaziabad. 2002. Print
- Sastri Gaurinath. A Concise History of Classical Sanskrit Literature. Motilal Banarasidas Pvt. Ltd. Delhi. 1998. Print
- A History of Sanskrit Literature. Keith A. Berridale. Motilal Banarasidas Pvt. Ltd. Delhi. 1996. Print
- A History of Sanskrit Literature. Macdonell Arthur. Motilal Banarasidas Pvt. Ltd. Delhi. 1990. Print

मारवाड़ी समाज में नारी के उदात्त स्वरूप का चित्रण (पीली आँधी के सन्दर्भ में)

डॉ. सुशीला गढवाल
वेदान्ता स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, रींगस (सीकर) राज

मारवाड़ी समाज में प्रेम के भावों का चित्रण प्रभा खेतान के उपन्यास पीली आँधी के सन्दर्भ में किया गया है। प्रभा खेतान स्वयं मारवाड़ी समाज के पली बड़ी हैं। चूँकि मारवाड़ी समाज का उद्देश्य धन कमाना ही माना जाता है उनकी स्त्रियाँ भारी-भरकम गहनों और वस्त्रों से अपने को सुसज्जित रखती हैं। लेकिन पीली आँधी में मारवाड़ी समाज में नारी और पुरुष के ऐसे रूप का चित्रण किया गया है जिनके अन्तर्मन में प्रेम के कोमल भाव पनपते हैं। लेकिन समाज परिवार की इज्जत व मर्यादाओं के आगे वे अपने प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन्हीं की सुन्दर प्रस्तुति “पीली आँधी” में सुराणाजी और पद्मावती के माध्यम से की गई है। पीली आँधी उपन्यास में रूंगटा हाउस की तीन पीढ़ियों की महिलाओं की स्थिति का चित्रण किया गया है।

मारवाड़ी समाज:— भारत का प्रमुख व्यापारिक समुदाय है मारवाड़ी समाज और मारवाड़ी को मात्र व्यापारी मानने की भ्रान्ति भी लोगों में प्रचलित थी। अतः मारवाड़ी की पहचान पैसे को ही महत्व देने वाले एक व्यापारी के रूप में लोगों में स्थापित हो चुकी थी।

मारवाड़ी शब्द की निरुक्ति:— मारवाड़ी शब्द की निरुक्ति के सम्बन्ध में विद्वान एकमत नहीं हैं। बालचन्द्र मोदी का हवाला देते हुए डॉ. डी.के. टिकनेत ने अपनी पुस्तक “मारवाड़ी समाज” में बताया है कि “मारवाड़” शब्द संस्कृत के “मरुवार” का अपभ्रंश है एवं प्राचीनकाल में यह मरु प्रदेश कहलाता था। इसकी व्याख्या करते हुए बालचन्द्र मोदी ने कहा कि “माड” जैसलमेर का ही दूसरा नाम था और “वाड़” मेवाड़ का अंतिम अंश इस तरह ‘माड़वाड़’ से ही ‘मारवाड़’ बना। इस प्रकार जैसलमेर और मेवाड़ को ही इस शब्द की व्युत्पत्ति का आधार माना जाता है। उनका कथन है कि “यह शब्द किसी प्रकार सांस्कृतिक, साम्प्रदायिकता को प्रकट नहीं करता बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान प्रान्त के लिए गौरव का विषय है।” जयपुर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ तथा पुरातत्वेता पुरोहित श्री हरिनारायण जी ने लिखा “राजपूताना से बाहर जाने वाले लोग अपने पहनावे रहन-सहन, व्यवहार और व्यापार आदि में समानता के कारण राजस्थान में बाहर कलकत्ता, मुम्बई आदि भारत में समानता के कारण राजस्थान से बाहर कलकत्ता, मुम्बई आदि भारत के सभी स्थानों में मारवाड़ी कहे जाते हैं। भले ही वे राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर अथवा जयपुर के या अन्य किसी राज्य के निवासी हों।”²

मारवाड़ी शब्द का प्रथम प्रयोग:— मारवाड़ी समाज पर स्वतन्त्र रूप से लेखन करने वाले मारवाड़ी समाज की पत्रिका ‘समाज विकास’ के सहायक सम्पादक रहे ‘शम्भू चौधरी’ ने अपनी पुस्तक ‘मारवाड़ी’ ‘देस का न परदेस का’ में मारवाड़ी शब्द के प्रथम प्रयोग के बारे में बताया है कि मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कब से होना शुरू हुआ इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलता परन्तु जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ इस शब्द का प्रथम प्रयोग बंगाल में ही हुआ है। इस बात का प्रमाण जैम्स टॉड द्वारा “मारवाड़” शब्द का प्रयोग है जबकि बंगाल में जॉब चार्नक ने अपनी डायरी में इस शब्द का उल्लेख किया है। जॉब चार्नक की डायरी (1655-1693) में एक स्थान पर यह लिखा है कि “हिन्दुस्तान में एक मारवाड़ी जाति ही ऐसी है जो अन्य सभी जातियों की अपेक्षा वाणिज्य व्यापार करने में दक्ष और ईमानदार है।”³ (संदर्भ बालचन्द्र मोदीकृत देश के इतिहास में मारवाड़ी जाति का स्थान पृ.स. 302, 35)

मारवाड़ी की परिभाषा व गृहित अर्थ:— ‘मारवाड़ी समाज एक तथ्यात्मक विवेचन’ आलेख लिखने वाले श्री रतनशाह से सम्बन्धित एक आलेख राजस्थानी पारिवारिक मासिक पत्रिका ‘माणक’ में (जोधपुर से) प्रकाशित हुआ। रतन शाह की पुस्तक ‘मारवाड़ी समाज’ एक तथ्यात्मक विवेचना में मारवाड़ी समाज की विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें ही एक प्रसंग उल्लेखित है कि आस्ट्रेलिया की एक मिडियाकास्ट कम्पनी को मारवाड़ी समाज पर एक टेलीचित्र तैयार करना था। इस सिलसिले में शोधकर्ता एवं लेखक श्री कीथएडम भारत आए हुए थे। उन्होंने अनेक शोधपत्रों का अध्ययन किया, ‘मारवाड़ी समाज’ पर सर्वप्रथम शोध करने वाले टी. एस. टिम्बर्ग की पुस्तक ‘मारवाड़ी समाज व्यवसाय से उद्योग में’ का भी अध्ययन किया। किन्तु वे सन्तुष्ट नहीं हुए उन्हें लगा कि कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। कई प्रश्न थे— मारवाड़ी शब्द से आशय किसी समाज से है या समूह से यह जाति है या मात्र एक वर्ग है। कोई व्यक्ति मारवाड़ी है यह कैसे पहचाना जाता है। उसके कर्म से या क्षेत्र से जहाँ से वह आया है या उसकी भाषा या संस्कृति से।

— मारवाड़ी समाज द्वारा व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में की गई प्रगति के कारणों की व्याख्या करते हुए टी.एस. टिम्बर्ग व मारवाड़ी समाज पर स्वतन्त्र लेखन करने वाले डॉ. डी.के. टिकनेत आदि लेखकों ने मारवाड़ी समाज के कुछ गुणों/प्रवृत्तियों जैसे साहसिकता मितव्ययिता, व्यवहारिकता, संयुक्त परिवार प्रणाली और व्यापारिक प्रशिक्षण धार्मिक और जाति भावना आदि की तरफ ध्यान आकर्षित किया तथा मारवाड़ी को विस्तृत रूप से परिभाषित किया। टॉमस ए. टिम्बर्ग ने अपनी पुस्तक “मारवाड़ी पुस्तक” में मारवाड़ियों के बारे में लिखा है “भारत की अर्थव्यवस्था के

आधुनिक क्षेत्र की आधी से अधिक सम्पत्ति पर राजस्थान के उत्तरी भाग की एक व्यापारी जाति जो आमतौर पर मारवाड़ियों के नाम से जानी जाती है का नियन्त्रण है।”

सन् 1935 में स्थापित अखिल भारत वर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन नामक सामाजिक संस्था जिसका उद्देश्य मारवाड़ी समाज का सर्वांगीण विकास करना था। इसके संविधान के अनुसार मारवाड़ी “ वे व्यक्ति जो राजस्थान प्रदेश एवं उसके निकटवर्ती भू-भागों के जहाँ का रहन-सहन राजस्थान से मिलता-जुलता हो निवासी हो या वे स्वयं अथवा उनके पूर्वज उन भू-भागों से आकर अन्य स्थानों पर बस गये हो।”⁴ लेकिन इस परिभाषा पर श्री रतनशाह ने विरोध प्रकट करते हुए रहन-सहन की जगह भाषा पर जोर दिया।

अतः सन् 1985 में गठित अखिल भारतीय मारवाड़ी यूवा मंच ने मारवाड़ी को इस प्रकार परिभाषित किया “ मारवाड़ी से तात्पर्य राजस्थान, हरियाणा, मालवा एवं उनके समीपवर्ती भू-भागों के रहन-सहन भाषा एवं संस्कृति वाले व व्यक्ति जो स्वयं अथवा उनके पूर्वज देश या विदेश के किसी भू-भाग में बसे हो वे अपने को मारवाड़ी मानते हैं।”⁵

डॉ. डी.के. टिकनेतः— प्रारम्भ में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग मात्र व्यापारी/व्यवसायी वर्ग के लिए होता था लेकिन धीरे-धीरे उदारवादी विचारों के प्रभाव से इसमें राजस्थान और आसपसत्रास के अन्य क्षेत्रों की उन सभी जातियों को सम्मिलित कर लिया गया जो राजस्थान की परम्परागत संस्कृति से जुड़ी हुई थी। अतः “मारवाड़ी” के अन्तर्गत केवल अग्रवाल, माहेश्वारी, ओसवाल, खण्डेलवाल और सरावगी ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, राजपूत, जाट, माली, मुसलमान, हरिजन, तथा वे तमाम जातियाँ हैं जो राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को अपने में समेटे हुए हैं। मारवाड़ी शब्द केवल व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का ही वाचक नहीं बल्कि उसके नौकरीपेशा लोग और मजदूर भी शामिल हैं।”⁶

पीली आँधी की कथाः— पीली आँधी प्रभा खेतान का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो सन् 1996 में प्रकाशित हुआ। पीली आँधी की कथावस्तु सुजानगढ़ (राजस्थान)के सेठ गुरुमुखदास जी रूंगटा की हवेली से शुरू होती हुई कोलकाता के रूंगटा हाउस तक की यात्रा करवाती है। आजादी से पूर्व राजस्थान अनेक रियासतों में बंटा हुआ था। रियासत का मुखिया राजा होता था। रजवाड़ों का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। जब रामेसर और किशन प्रवास से लौटकर आते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उनका धन राजकुमार मानसिंह धौड़ेतियों के साथ मिलकर लूट लेता है। ऐसी परिस्थितियों में सूखे धोरों पर चलकर रात के अंधेरे में किशन रूंगटा अपने परिवार के साथ अपनी धरती को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है लेकिन वहाँ जाकर भी वह अपनी मिट्टी की खुशबू को भूला नहीं पाता। वह अपने संस्कारों खान-पान और पहनावों को बनाये रखता है।

रामेसर का बेटा माधों पूर्ण निष्ठा के साथ रात-दिन मेहनत कर पैसा कमाता है और एक मुनीम की नौकरी से करोड़पति बनने तक की कठिनाईयों भरा सफर पूरा करता है। किशन का बेटा सांवर जो माधो का छोटा भाई था भोग में डूबा रहता है। माधों का मुनीम पन्नालाल सुराणा मालिक माधों बाबू की मृत्यु के बाद भी पूर्ण ईमानदारी से काम करता है। पद्मावती (माधो की पत्नी) अपनी संतान न होने हुए भी देवर के बच्चों को अपना मानी है और उनका पालन-पोषण करती है। घर की इज्जत को पति की इज्जत मानती है और उस पर कभी आंच नहीं आने देती कितने की आवरणों में ढकी हुई पद्मावती के अन्तर्मन में क्या है कोई नहीं जान पाता। वह सुराणाजी से प्यार करती है पर उसे स्वीकार नहीं कर पाती है घर में अनुशासन रखती है अपने मन की परतों में दबे हुए दुःख को कभी प्रत्यक्ष नहीं होने देती। सुराणाजी की मृत्यु के बाद सुराणाजी की हस्तलिखित डायरी को लाल कपड़े में लपेट कर “गीता” की भाँति रखती है किसी को छूने नहीं देती। सबको लगता है कि पवित्र ग्रन्थ “गीता” है। लेकिन ताई जी (पद्मावती) जानती है उस लाल कपड़े में बड़ी डायरी में क्या है। ताईजी को गौतम की बहू सोमा में अपनी छवि नजर आती है। ऐसा लगता है परम्परागत परिवेश में रहने वाली ताईजी (पद्मावती) आधुनिकता की समर्थक है तभी तो जीवन के अंतिम दिनों में हिम्मत करती है और घर की उस मान मर्यादा को जिसे वर्षों से बनाती बचाती आई थी। उसने उसने को लांघ कर घर त्याग कर गई बहु को वापस बुलाती है उसी के हाथ से अंतिम बार पानी की बुंद ग्रहण करती है उसे अपनी जायदाद में हिस्सा देती है तथा लाल कपड़े में लिपटी “गीता” देती है सोमा जब उसे पढ़ती है तो ताईजी और सुराणा जी का सात्विक प्रेम उसके सामने प्रकट होता है।

— रूंगटा हाउस की स्त्रियाँ मंहगे वस्त्रों और आभूषणों के संग्रह में अपना परम सुख मानती है वही बहु सोमा अपने प्यार के लिए सुविधाभोगी जीवन को त्याग कर एक साधारण प्रोफेसर के साथ जीवन निर्वाह करती है। घर के लिए स्त्री का पूर्ण समर्पण चाहिए। पद्मावती कहती है “घर की नींव में ईंट नहीं होती बेटा! स्त्रियों का त्याग होता है। इस उपन्यास की माधों के जीवन तक की कहानी लेखिका ने अपनी माँ तथा नानी से सुनी हुई कहानी के आधार पर लिखना शुरू किया था। उपन्यास में माधों के जीवन के बाद का हिस्सा स्वयं द्वारा देखे गये परिवेश का प्रगटीकरण है। प्रभा खेतान कहती है कि “ मारवाड़ी समाज को मैंने जैसा देखा और समझा बस उसे ही उकेरने की चेष्टा की।”

“पीली आँधी” उपन्यास मारवाड़ी समाज के अनछुए पहलुओं को पर्त दर पर्त खोलता है। प्रभा खेतान का यह उपन्यास बिहारी पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है।

मारवाड़ी समाज में नारी का उदात्तरूपः— पीली आँधी उपन्यास में मारवाड़ी परिवार की तीन पढ़ियों की औरतों की कहानी है, राजस्थान में उठने वाले बालू के ढूँह से जो आँधी चलती है वह पीली होती है इसी आँधी के कारण और सूखे से ग्रस्त होकर मारवाड़ी अलग-अलग जगहों पर जाकर बस जाते हैं। वहाँ व्यापार करने लगते हैं और उनकी स्त्री और परिवार गाँव में ही रह जाता है, पति के वियोग में स्त्री दुःखी रहती है। लेकिन पीली आँधी उपन्यास में स्थिति इसके विपरित है। प्रभा खेतान ने “पीली आँधी” में स्त्री के उदात्त स्वरूप एवं प्रेम का चित्रण किया है। करनीबाई/पद्मावती/ताईजी के हृदय में उत्पन्न प्रेमभाव को लेखिका ने उदात्त प्रेम भावों की श्रेणी में स्थान दिया है। करनी बाई के अपार सौन्दर्य को देख माधो बाबू उसे “पद्मावती” नाम देते हैं। पद्मावती अपने से उम्र में दो गुना बड़े पति से अपार स्नेह करती है लेकिन वह अपने पति का प्रेम भी प्राप्त नहीं कर पाती है। पति का रात-दिन कोलियारी की खानों में धन कमाने में लगे रहने व स्वयं के देवर के बच्चों के पालन-पोषण में लगे रहने से वह पति प्रेम से वंचित रहती है ऐसा नहीं है कि माधो बाबू अपनी पत्नी से (पद्मावती) प्रेम नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन पद्मावती को वे ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। 32 वर्ष की अवस्था में ही पद्मावती विधवा हो जाती है माधो बाबू के मुनीम सुराणाजी की उम्र भी ज्यादा नहीं थी हालाँकि वे विवाहित थे उनके बच्चें भी थे लेकिन पद्मावती और सुराणा जी के मन में एक दूसरे के प्रति कोमल भाव जाग्रत होने लगते हैं जब सोमा लाल कपड़े में लिपटी हुई डायरी को “ जो हमेशा ताईजी की गोद में रहती, ताईजी जब ध्यान करती तब भी उनकी गोद में इस लिपटे हुए लाल कपड़े को मैंने अक्सर देखा था।” पढ़ती है तब उसके सामने ताईजी का निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है लेकिन सुराणाजी और ताईजी एक दूसरे से प्रेम करते हुए भी इसे प्रकट नहीं कर पाते यह सोचकर कि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो जाए। सुराणा जी ताईजी को देखकर ही मन नहीं मन सोचते हैं। “ अचानक हम लोगों के बीच अनचाहे एक गहरी आत्मीय उमर आई और इसे मैं क्या कहाँ? एक बड़ा कोमल एहसास? नहीं इससे अधिक इससे अधिक कुछ सोचने की मेरी हिम्मत नहीं। मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मगर कैसी मर्यादा? क्या एहसासों और ख्यालों को आप मर्यादा के ढाँचे में बंद कर सकते हैं।”⁸ सुराणा जी पद्मावती (ताईजी) से प्रेम करते हैं लेकिन वे सोचते हैं “ कि क्या यह सच नहीं कि वह मुझे पंसद करती है मुझ पर गहरा विश्वास करती है मेरा सहारा चाहती है लेकिन इसका अर्थ प्यार तो नहीं? रात को मुझे उत्तर मिल गया मैं समझ गया हूँ कि वह जगी हुई है मेरे बारे में सोच रही है चाहती है वह भी मुझे चाहती है नहीं वह सोई नहीं वह जगी हुई है।”⁹ सुराणा जी और पद्मावती सामाजिक बन्धनों और मर्यादाओं के उल्लंघन होने के डर से आपके हृदय में प्रकट होते प्रेम के कोमल भावों को चाहकर भी स्वीकार नहीं कर पाते। सुराणाजी का उदात्त प्रेम उनके विचारों में प्रकट होता है जब वे सोचते हैं कि “मेरी पूरी दुनिया तो तुम्हारे ही इर्द-गिर्द घूम रही थी मुझे पता नहीं था कि किसी को चाहना कितना कष्टकर है आवेग कैसे अंग-प्रत्यंग को शिथिल कर देते हैं। क्या तुम समझ पाओगी? पद्मावती? कि रात-दिन हर पल किसी के बारे में सोचना उसकी चाहत से घिरे रहना कैसे लगता है? मैं कह पाऊँगा? उस पीड़ा को समझ पाऊँगा जब रातों में जागता रहा था। जब पहले पहल तुमने कहा था सुराणाजी कहीं मुझसे कुछ गलत हो गया है मैं.....दिन.....में दिन-रात आपके बारे में सोचती रहती हूँ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना? और प्रश्न करती हुई तुम? मैं तुम्हें क्या समझती? क्या तुम मेरे भाषा मेरे शब्दों को समझ पाती है और मैं तुम्हें किस पथ पर ले जा रहा हूँ.....आह! पद्मावती मैं अपनी ही कामना के सामने निशस्त्र हूँ चाहत के सामने परास्त हूँ इच्छा के सामने वशीभूत हूँ और तुम्हें ऐसे पथ पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ कभी भूले भटके तुमने कदम रखने का नहीं सोचा होगा।”¹⁰

सुराणाजी पद्मावती के साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पर आते हैं जहाँ वे दोनों अपने परिवार और समाज दोनों से दूर थे। एक दिन सुराणाजी ने अपने मन की बात पद्मावती से कह दी पद्मावती ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी गहरी आँखों का धीरे से यों कहना— “ मैं जानती हूँ। बहुत पहले से जानती हूँ।”

पद्मावती सुराणा जी कहती है कि “मैं आपसे दूर रहना चाहती हूँ दूर रहने की चेष्टा करती हूँ लेकिन रह नहीं पाती और उसकी आँख छलछला आई थी मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं कभी आपकी नहीं हो सकती।”¹¹

पद्मावती अपने परिवार देवर के बच्चों और बड़े बाबू की इज्जत के लिए देवरजी सुराणाजी के प्रति उत्पन्न प्रेम को प्राप्त नहीं करना चाहती । वह कहती है— “ हाँ मेरे हैं देवर जी बिगड़ते जा रहे देवरानी भोली ठहरी। सुराणाजी मेरा घर बिखर जायेगा। बच्चे रूल जायेंगे। बड़े बाबू की इज्जत मिट जायेगी।”¹²

सुराणा जी सोचते हैं कि वह मेरे लिए नहीं सोच रही थी। वह अपने परिवार के बारे में चिन्तित थी। वह सुराणा जी से कहती है आप जो बोलेंगे। मैं वही करूँगी क्योंकि मैं आपके प्यार करती हूँ लेकिन सुराणाजी में विधवा हूँ किसी पराए पुरुष का ख्याल भी गलत है। है ना..... मगर समाज की दृष्टि? सुराणाजी समाज तो गंगाजल को नाले का पानी रहे बिना नहीं रहता।

इस प्रकार पद्मावती अपने परिवार समाज आदि की परवाह करती हुई आपने प्रेम को परिवार व समाज के सामने प्रकट नहीं होने देती। वह सुराणाजी से कहती रहती है “मैं बस एक चीज चाहती हूँ बिल्कुल गोपनीयता। आप प्रतिज्ञा कीजिए हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। देखिए हम दोनों का परिवार है हम इतना बड़ा जोखिम कैसे उठा

सकते हैं कि हमारी जान चली जाए।”¹³

सुराणाजी और पद्मावती एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को परिवार की इज्जत व समाज की मर्यादाओं के सामने दबा देते हैं। सुराणाजी पद्मावती से कहते हैं कि “ मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। मैं जानता हूँ तुम दुनिया से डरती हो।”¹⁴ सुराणा पद्मावती को दुल्हन की तरह श्रृंगार करने को कहते हैं केवल आज एक बार बस एक बार यह चुनर ओढ़ लो, यह श्रृंगार कर लो, नथ पहन लो, मैं तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ जो पहले-पहले देखा था।

— “ और वह जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई....आँसू भरी आँखों से कह रही थी सुराणाजी आपके कहने से चुनड़ी तो मैंने ओढ़ ली लेकिन मांग कैसे भरूँ? सुराणाजी सिंदूर का दाग इतनी जल्दी तो मिटेगा नहीं साबुन से धोने पर रगड़-रगड़ कर पोंछने पर भी दो-चार दिन तो ललाट पर ललाई रह ही जाती है।.....जानते हैं सुराणा जी जब बड़े बाबू का स्वर्गवास हुआ तब मैं शीशे में अपनी सूनी सफेद मांग देखा करती और धीरे-धीरे मांग से रगड़-रगड़ कर हिंगलू का दाग मिटाती रहती.....मैं उस समय बहुत रोती थी सुराणाजी उस समय बहुत रोती थी।”¹⁵

पद्मावती अपना प्रेम न पा सकी शायद यही कारण था कि जब सोमा को अपने नपूसंक पति गौतम से स्नेह और संतान प्राप्त नहीं होती तो वह प्रोफेसर सुजीत से प्यार करने लगती है और परिवार व समाज की मर्यादाओं को तोड़कर प्रोफेसर के पास चली जाती है। ताईजी सोमा का दर्द समझती है ताईजी को लगता है कि जो दुःख और दर्द मैंने भोगा है वो सोमा का सहन ना करना पड़े अतः वह सोमा का पक्ष लेती है और ड्राइवर से कहकर अपनी गाड़ी से सोमा को उसकी मंजिल तक पहुँचा देती है।

निष्कर्षत कहा जा सकता है कि मारवाड़ी समाज में जहां नारी पर अनेक बन्धन थे पति वियोग सहना होता था ऐसे में नारी मन में उठने वाले प्रेम के कोमल भावों को वह किस प्रकार समाज व परिवार की इज्जत के लिए कूचल देती है। इस प्रकार प्रभा खेतान ने “पीली आँधी” उपन्यास में नारी के उदात्त स्वरूप का चित्रण बड़े सुंदर शब्दों में किया है। प्रेम के उदात्त भावों को भी सुराणा व पद्मवती (ताईजी) के माध्यम से बहुत की सुन्दर व सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। साथ ही मारवाड़ी समाज के अर्थ रीति-रिवाजों व परम्पराओं मारवाड़ी की पहचान को भी व्यक्त करती है।

प्रस्तुत शोध आलेख में मारवाड़ी समाज का अर्थ परिभाषा व पीली आँधी उपन्यास की कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया है। मारवाड़ी समाज में नारी की स्थिति बड़ी दयनीय हुआ करती थी। ऐसे में स्त्री का किसी अन्य पुरुष से प्रेम करना लेकिन उसे प्राप्त न कर पाने की पीड़ा को सहना वो भी इसलिए कि समाज क्या कहेगा। उसके परिवार का क्या होगा। वह चुपचाप दुःख के आँसू पी जाती है। मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में—

“अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी

आँचल में दुध और आँखों में पानी”

उपरोक्त पंक्तियाँ प्रभा खेतान के उपन्यास पीली आँधी में चित्रित नारी के उदात्त स्वरूप की कहानी बयान करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मारवाड़ी समाज— डॉ. डी.के. टिकनेत पृ.स. 1,3
2. मारवाड़ी:देश का न परदेश का— शम्भू चौधरी पृ. 36
3. मारवाड़ी:देश का न परदेश का— शम्भू चौधरी पृ. 35
4. मारवाड़ी:देश का न परदेश का— शम्भू चौधरी पृ. 38
5. मारवाड़ी:देश का न परदेश का— शम्भू चौधरी पृ. 38
6. मारवाड़ी समाज डी.के. टिकनेत पृ. 3,4
7. पीली आँधी 271
8. पीली आँधी 277
9. पीली आँधी 277
10. पीली आँधी 278
11. पीली आँधी 281
12. पीली आँधी 281
13. पीली आँधी 283
14. पीली आँधी 299
15. पीली आँधी 303